Wednesday, 05 April, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र / First Session]

(Fourth Lok Sabha)

Preservation Unit 6-7-92
Fumigated 04-1-84
Parliament Library

[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. II contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

बुधवार, 5 अप्रैल, 1967 । 15 चैत्र, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
xi	पंक्ति 4 में `राष्ट्रपति के अभिभाषण पर` के बाद `धन्यवाद` शब्द और 'Motion' के बाद 'of Thanks' शब्द भी पढ़िये ।
1140	नीचे से पंक्ति 8 में `श्री दिनेश सिंह` से पहले `वाणिज्य मंत्री` भी पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14, बुधवार, 5 अप्रैल, 1967/15 चैत्र, 1889 (शक)

No. 14, Wednesday, April 5, 1967/Chaitra 15, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
259. नई दिल्ली में स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के सरकारी निवास-स्थान को संग्रहालय का रूप देना	Conversion of the Official Residence of the Late Shri Jawaharlal Nehru at New Delhi into a Museum	.. 1041—1044
260. सरकार बनाने के लिए राज्य-पालों के पथ प्रदर्शन के हेतु सिद्धान्त	Guiding Principles for Governors to form Government	.. 1044—1052
261. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा	All-India Judicial Service	.. 1052—1054
262. शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Changes in the Education system	.. 1054—1058
अ० सू० प्र० संख्या **S. N. Q. Nos.**		
6. टेलीग्राफ चेक आफिस, कलकत्ता	Telegraph Check Office, Calcutta	.. 1058—1060
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
263. ह्विटले परिषद् योजना	Whitley Council Scheme	.. 1060
264. अध्यापकों के वेतन-क्रम	Pay Scales of Teachers	.. 1060—1061
265. पंजाब और हरियाना के बीच साझी कड़ियां	Common Link between Punjab and Haryana	.. 1061
266. मेहतरों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Scavengers	.. 1061
267. इंजीनियरी पदालियों में फालतू कर्मचारी	Surpluses in Engineering Cadres	.. 1061—1062

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्रं० संख्या S. Q. Nos.		
268. बम्बई की व्यापारिक फर्मों के विरुद्ध मामले	Cases against Bombay Business Firms ..	1062
269. बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गुम फाइलें	Files Missing in Bihar and West Bengal ..	1062—1063
270. काच्ची बल्लीहारी कोयला खान में 'अन्दर रहो, काम न करो' हड़ताल	Stay-in Strike in Katchi Ballihari Colliery ..	1063—1064
271. औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन योजना	Family pension scheme for Industrial Workers ..	1064
272. पुनर्वास पुनर्विलोकन सम्बन्धी समिति	Committee of Review of Rehabilitation ..	1064
273. महानगर परिषद्, दिल्ली	Metropolitan Council, Delhi ..	1064—1065
274. पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा जारी किया गया कथित परिपत्र	Alleged Circular Issued by Pak. High Commission ..	1065—1066
275. भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों की यूनियन	Indian Audit and Accounts Department Employees Union ..	1066
276. उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद	U. P.—Bihar Boundary Dispute ..	1066—1067
277. बिहार में ईसाई धर्म-प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Missionaries in Bihar ..	1067—1068
278. मेसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता में छंटनी	Retrenchment in M/s. Braithwaite and Company, Calcutta ..	1068
278-क. कलकत्ता में इंजीनियरी फर्में	Engineering Concerns in Calcutta ..	1068—1069
279. उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्री के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	C. B. I. Report on former Orissa Ministers ..	1069
280. कोयला खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board for Coal Mining Industry ..	1069
281. मद्यनिषेध	Prohibition	1070
282. उड़ीसा के कांडों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	C. B. I. Report on Orissa Affairs	1070
282-क. कर सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिये विशेष अभिकरण	Special Agency for disposal of Tax matters ..	1070—1071

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
283. चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए धन का नियतन	Allocation for Education in the Fourth Plan ..	1071
284. तार टेलीफोन सेवाएं	Telegraph/Telephone Services ..	1071—1072
285. शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	Education Commission Report ..	1072—1073
286. बिहार में दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू	Urdu as Second Language in Bihar ..	1073
287. जयपुर में तारों की बुकिंग	Booking of Telegrams at Jaipur ..	1073
288. बस्तर कांड के बारे में पाण्डे आयोग का प्रतिवेदन	Pandey Commission Report on Bastar Incidents ..	1073—1074
288-क. गो-हत्या विरोधी आन्दोलन	Anti-Cow Slaughter Agitation	1074
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
510. डाकघरों की मुहरें	Postal Marks ..	1074—1075
511. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में पदोन्नतियां	Promotions in the Central Hindi Directorate ..	1075—1076
512. राजनैतिक पीड़ितों को सहायता	Grants to Political Sufferers	1076
513. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या	Strength of Judges of High Courts	1076
514. रोजगार कार्यालयों में दर्ज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates Registered in Employment Exchanges. ..	1077
515. डाकघरों में जमा राशि	Deposits in Posts Offices ..	1077
516. खेतिहर तथा बागान मजदूरों के कार्मिक संघ	Agricultural and Plantation Workers Trade Unions ..	1077—1078
517. पोस्टकार्ड की कीमत में कमी	Reduction in price of Post Card ..	1078
518. हिन्दी टेलीप्रिंटरों का निर्माण	Manufacture of Hindi Teleprinters ..	1078
519. जम्मू और काश्मीर तथा दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था	Jammu and Kashmir-Delhi Direct Telephones System ..	1079
520. पोस्टल स्टोर डिपो	Postal Stores Depots ..	1079

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

521. नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा खोले गये नये स्कूल	New Schools opened by N. D. M. C.	.. 1079—1080
522. नई दिल्ली के स्कूलों का विलय	Merger of New Delhi Schools	.. 1080
523. नई दिल्ली में स्कूल	Schools in New Delhi Area	.. 1080—1081
524. भारत में ईसाई धर्म-प्रचारक	Christian Missonaries in India	.. 1081
525. धनबाद की कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति	Industrial Committee on Dhanbad Coal Mines	.. 1082
526. ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल	Schools run by Christian Missions	.. 1082
527. इम्फाल में गोलीकांड	Firing at Imphal	.. 1082
528. 'आनन्द मार्ग' संस्था	"Anand Marg" Institution	1083
529. चन्देल मुख्यालय (हैडक्वार्टर) पर नागाओं द्वारा आक्रमण	Attack by Nagas on Chandel Headquarters	.. 1083
530. हिमाचल प्रदेश को पंजाब के न्यायालयों से फाइलों का हस्तांतरण	Transfer of Files from Punjab courts to Himachal Pradesh	.. 1083—1084
531. कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड	Cochin Dock Labour Board	.. 1084
532. काश्मीर में पाये गये हथियार तथा गोला बारूद	Dumps of Arms and Ammunition Unearthed in Kashmir	.. 1084—1085
533. तकनीकी संस्थाओं के लिए अमरीकी ऋण	U. S. Loan for Technical Institutes	.. 1085
534. तकनीकी शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए उद्योगों पर शुल्क लगाना	Levy on Industry for Financing Technical Education	.. 1085
535. दिल्ली में कारों और स्कूटरों की चोरी	Theft of Cars and Scooters in Delhi	.. 1085—1087
536. शिक्षित और प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देना	Employment of Educated and Trained Women	.. 1087
537. गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी कक्षायें	Hindi Classes conducted by the Home Ministry	.. 1087
538. रीगल पार्क (नई दिल्ली) में पटाखों के फटने की घटना	Explosion of Cracker in Regal Park, New Delhi	.. 1088

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
540. केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारी	Temporary Central Government Employees	..	1088
541. गोआ के बारे में निर्णय	Decision on Goa		1088
542. भारत अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान	Indo-American Educational Foundation	..	1089
543. विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	Indiscipline among Students	..	1089
544. प्रशासकीय सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	..	1089—1090
545. श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग	National Commission on Labour		1090
546. संस्कृत का विकास	Development of Sanskrit	..	1090—1091
547. कोयले से संश्लिष्ट प्रोटीन	Synthetic Protein from Coal		1091
548. शिव सेना, बम्बई	Shiv Sena, Bombay	..	1091—1092
549. बर्मा से वापस आये भारतीय	Indian Migrants from Burma	..	1092
550. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश में नियुक्ति	Posting of C. P. W. D. personnel in Himachal Pradesh	..	1092--1093
551. दण्डकारण्य परियोजना के लिये चौथी योजना में आवंटन	Fourth Plan allocation for Dandakaranya Project	..	1093
552. उड़ीसा में खुलने वाले नये डाकघर	Post Offices to be opened in Orissa		1093
553. प्राथमिक पाठशालाओं को सहायता	Assistance to Primary Schools	..	1093—1094
554. कृष्णनगर, पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी परिवार	Pakistani Families in Krishna Nagar, West Bengal	..	1094
555. अंग्रेजी का जारी रहना	Continuance of English	..	1095
556. युवक सेवाओं का विभाग	Department of Youth Services		1095
557. दिल्ली में अपराधों का बढ़ना	Increase in Crimes in Delhi	..	1095—1096
558. वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसन्धान का विकास	Expansion of Scientific and Technological Research	..	1096
559. भारत में पाकिस्तानी जासूस	Pak. Spies in India	..	1096
560. आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के बाजार	Markets on Assam-East Pak. Border	..	1097

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

561. बिहार में इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी	I. C. S. Officers in Bihar ..	1097
562. दिल्ली में हुई हत्यायें	Murders Committed in Delhi ..	1097
563. डाक और तार विभाग का भवन, कोटा	P. & T. Building, Kotah ..	1098
564. उड़ीसा में प्राचीन मन्दिरों तथा स्मारकों का संरक्षण	Protection of Ancient Temples and Monuments in Orissa ..	1098
565. केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये मामले	Cases Referred to C. B. I. ..	1098—1099
566. विश्वकोष का प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन	Publication of Encyclopaedia in Regional Languages ..	1099—1100
567. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में श्रमिकों में अशान्ति	Labour Unrest in Neiveli Lignite Corporation ..	1100
568. उड़ीसा से राजनैतिक व्यक्तियों के भाग निकलने के बारे में जांच	Investigation into Escape of Political Persons from Orissa	1100
569. केन्द्रीय सरकार के अधीन कैशियरों/पार्लियामेंट असिस्टेंटों के पद	Posts of Cashier/Parliament Assistants in Central Government. ..	1100—1101
570. स्वायत्तशासी संस्थाओं, आयोगों तथा समितियों द्वारा नियुक्त किये गये सेवा-निवृत अधिकारी	Retired Officers appointed by Autonomous Bodies, Commissions and Committees ..	1101
571. जनता से हिन्दी में प्राप्त आवेदन-पत्रों का निपटारा	Disposal of Applications received in Hindi from Public ..	1101
572. राजपत्रित अधिकारियों की पुनः नियुक्ति	Re-Employment of Gazetted Officers ..	1101—1102
573. शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Education Ministry	1102
574. 15 मार्च, 1967 को मिजो लोगों के साथ हुई मुठभेड़	Clash with Mizos on 15-3-1967 ..	1102
575. काशीपुर में पुरातत्वीय खुदाई	Archaeological Excavation at Kashipur ..	1103
576. 12 मार्च, 1967 को मिजो लोगों का सिल्चर जेल से भाग जाना	Escape of Mizos from Silchar Jail on 12-3-1967 ..	1103

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

577. चंडीगढ़ के एक गांव के स्कूल का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of a School in a Chandigarh Village ..	1103—1104
578. संगीत नाटक अकादमी में अनियमिततायें	Irregularities in Sangeet Natak Akademi ..	1104
579. श्री अतुल्य घोष के विरुद्ध आरोप	Allegations against Shri Atulya Ghosh	1104
580. खनन इंजीनियर	Mining Engineers ..	1105
581. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जन्म-तिथि सम्बन्धी विवाद	Dispue regarding date of birth of Chief Justice M. P. High Court ..	1105—1106
582. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों के मामले में पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त का सत्यापन	Police verification for appointments in Public undertakings ..	1106—1107
583. प्रादेशिक भाषाओं में संघ लोक-सेवा आयोग की परीक्षाएं	UPSC Examination in Regional Languages ..	1107
584. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965 ..	1107
585. काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयास	Attempt on the Life of Kashmir Chief Minister	1108
586. चलचित्र उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Film Industry	1108
587. श्रमिकों के लिये रोजगार बीमा, सेवा-निवृत्ति तथा परिवार पेंशन योजना	Employment Insurance Retirement and Family Pension Scheme for Labourers ..	1108—1109
589. अनुसूचित जातियों तथा अनु-सूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	1109—1110
590. इटावा-भिन्ड टेलीफोन सेवा	Etawah-Bhind Telephone Service ..	1110
591. भिन्ड ग्वालियर टेलीफोन लाइन	Bhind-Gwalior Telephone Line ..	1110
592. ग्वालियर के टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत	Building for Telephone Exchange, Gwalior ..	1110
593. कोचीन गोदी कर्मचारी	Cochin Dock Workers ..	1111

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

594.	दिल्ली में दुकानों को खोलने तथा बन्द करने का समय	Shop Timings in Delhi ..	1111
595.	सिरमूर गद्दी का उत्तराधिकार	Sirmur Succession ..	1112
596.	सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय लिपि	National Script for All Languages of India ..	1112
597.	मंत्रियों के वेतन भत्ते आदि	Emoluments of Ministers ..	1112—1113
598.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित सम्पत्तियां	Properties Acquired by the Central Government ..	1113—1114
599.	प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज होस्टल तथा मेस कर्मचारी संघ, चटमंगलम, केरल	Regional Engineering College Hostel and Mess Employees Union, Chathamangalam, Kerala	1114
600.	टेलीफोन कर्मचारी	Telephone Employees ..	1114
601.	टेलीफोन काल का शुल्क	Charges for Telephone Calls ..	1114—1115
602.	केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व	Representation of Minorities in Central Government Services ..	1115
603.	कलकत्ता में टेलीफोनों के बिल तैयार करने का काम	Telephone Billing in Calcutta ..	1116
604.	मध्य प्रदेश में टेलीफोन लाइनें लगाना	Installation of Telephone Lines in M. P. ..	1116
605.	दिल्ली में अवैतनिक मैजिस्ट्रेट	Honorary Magistrates in Delhi ..	1117
606.	दिल्ली में पुलिस संवर्गों का वेतन	Salary of Police Cadres in Delhi ..	1117
607.	तटीय श्रमिकों की शिकायतें	Grievances of Shore Labour ..	1117—1118
608.	तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा	Job Security for Employees of Oil Companies ..	1118
609.	दिल्ली में एक लड़की का अपहरण	Kidnapping of a Girl in Delhi ..	1118—1119
610.	धनबाद कोयला खानों में दुर्घटनाएं	Accident in Dhanbad Coal Mines ..	1119
611.	गोआ में एक कोयला खान में दुर्घटना	Accident in a Coal Mine in Goa ..	1119—1120

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
612. नागाओं द्वारा करों की वसूली	Collection of Taxes by Nagas ..	1120
613. दिल्ली में जवान लड़कियों का अपहरण	Kidnapping of Young Girls in Delhi ..	1120—1121
614. 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत सुरक्षा नियमों निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrests under DIR/Preventive Detention Act during Indo-Pak. Conflict in 1965. ..	1121
615. उर्दू का दर्जा	Status of Urdu ..	1121
616. विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र	Indian Student's Studying Abroad ..	1122
617. मुठभेड़ में भारतीय तस्कर व्यापारियों की मृत्यु	Indian Smugglers killed in Encounters ..	1122—1123
618. दिल्ली के केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उपचारी कक्षाओं (रेमेडियलक्लासेज) के अध्यापक	Teachers of Remedial Classes held by Central Board of Higher Secondary Education, Delhi ..	1123
619. दिल्ली नगर निगम में वित्तीय संकट	Financial Crisis in DMC ..	1123
620. प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission ..	1124
620-क. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के कर्मचारियों के लिये प्रतिकर भत्ता	Compensatory Allowance to Employees of Andaman and Nicobar Islands Administration ..	1124
620-ख. छात्रों की सेनाओं संबंधी अमरीकी विचार-गोष्ठी के लिये पुरस्कार	Award for U. S. Seminar on Students Services ..	1124—1125
620-ग. जीव-रसायन तथा प्रयोगात्मक औषधि संस्था, कलकत्ता	Institute of Biochemistry and Experimental Medicine, Calcutta ..	1125
620-घ. खादी ग्रामोद्योग भवन, मद्रास	Khadi Gramodyog Bhawan Madras, ..	1125—1126

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	.. 1126—1128
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन (सीटो) के बहुत से सदस्य देशों के साथ हाल ही में नई दिल्ली में हुई एशियाई रक्षा सम्बन्धी विचार-गोष्ठी में भारत द्वारा भाग लेना	India's participation in Secret Seminar on Asian Defence held in Ne.. Delhi recently with several NATO and SEATO Member States	..1126—1127
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta	.. 1126—1127
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	.. 1126, 1127, 1128
श्रीमती स्वेतलाना अलील्यूवा के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव	Motion of Privilege re. Mrs. Svetlana Alleleuva Affair	.. 1128—1148
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	.. 1128, 1129, 1131-1133, 1146-1147, 1148
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	.. 1130, 1134, 1136, 1143, 1145, 1147
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	.. 1130, 1136
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	.. 1129, 1136-1137, 1140
श्री दत्तात्रेय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte	.. 1133, 1134, 1135, 1137
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	.. 1137
श्री नाथपाई	Shri Nath Pai	.. 1133, 1137-1138, 1147, 1148
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	.. 1138-1139
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	.. 1139
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjii	.. 1135, 1139
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 1128, 1131, 1134, 1136, 1143, 1148
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 1131, 1140
श्री उमानाथ	Shri Umanath	.. 1140, 1144

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	.. 1140-1141
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	.. 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 1149—1151
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	Motion on the President's Address	.. 1151—1158
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	.. 1151—1157
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill	.. 1158—1162
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 1158
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	.. 1158
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 1158—1159
श्री सोनावने	Shri Sonavane	.. 1159
श्री कृष्ण गुलाब देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	.. 1159
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	.. 1159
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	.. 1159
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2,3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	.. 1160—1162
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	.. 1160, 1161, 1162
श्री कृष्ण गुलाब देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	1162
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	1162
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	1162
भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) विधेयक	Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill	.. 1163—1168
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 1163
श्री शिन्दे	Shri Shinde	.. 1163-1164
श्री दत्तात्रेय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte	.. 1164—1166
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	.. 1166
श्री ब्रह्म प्रकाश	Shri Brahm Prakash	.. 1166—1167
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnammorthi	.. 1167—1168
श्री बसवन्त	Shri Baswant	.. 1168
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	.. 1168

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 5 अप्रैल, 1967/15 चैत्र, 1889 (शक)
Wednesday, April 5, 1967/Chaitra 15, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नई दिल्ली में स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के सरकारी निवास-स्थान को संग्रहालय का रूप देना

* 259. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू के नई दिल्ली स्थित भूतपूर्व सरकारी निवास-स्थान को संग्रहालय का रूप देने पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) स्वर्गीय प्रधान मंत्री के निवास स्थान को संग्रहालय का रूप देने पर बहुत अधिक धन खर्च होने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को त्याग देने का है;

(ग) क्या दूसरे प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्बन्ध में भी एक ऐसा ही संग्रहालय बनाने का कोई प्रस्ताव किसी के द्वारा रखा गया था; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अब तक लगभग 55,000 रुपए।

(ख) और (ग). अभी ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, It has been in the newspapers that the present Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi again wants to shift to Nehru memorial museum, and the removing of the present museum is under consideration. Will the Minister give a detailed statement on this subject ?

Prof. Sher Singh : These are all speculations.

Shri George Fernandes : May I know whether it is a fact that the Nehru memorial museum would not be removed from Teen Murty and no other new Prime Minister would use it as his residence.

Prof. Sher Singh : Nothing could be said about the future.

Shri Sidheshwar Prasad : Whether the Government is considering to shift all the important things regarding Shri Jawahar Lal Nehru from Teen Murty to the Nehru University, which has recently been opened so that it may be convenient for the Indians as well as for the foreigners to make research.

Prof. Sher Singh : The University as well as the museum is in Delhi. If it would have been necessary for the persons making the research, the suggestion could be considered. But at present it has not been under consideration.

श्री प्र० के० देव : राजधानी में जगह की कमी को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं बड़े बंगलों को खाली छोड़कर और उन पर कोई निर्णय न लेकर सरकार कब तक यह विलासिता जारी रखेगी । स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के निवास स्थान को नया रूप देने के लिये लगभग 10 लाख रुपया व्यय किया गया और वह अभी भी खाली है ।

प्रो० शेर सिंह : वह खाली नहीं है । तीन मूर्ति के भवन में संग्रहालय तथा पुस्तकालय स्थापित कर दिये गये हैं ।

श्री प्र० के० देव : मैं 10, जनपथ पर स्थित स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के निवास के सम्बन्ध में कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह प्रश्न तीन मूर्ति स्थित भवन से सम्बन्धित है ।

श्री प्र० के० देव : मेरा प्रश्न भाग (ग) के अन्तर्गत आता है ।

प्रो० शेर सिंह : मुख्य प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में मैंने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री प्र० के० देव : यह बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण अनुपूरक प्रश्न है, यदि माननीय मंत्री इसका उत्तर नहीं दे सकते तो हमें दुख है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या तीन मूर्ति भवन के पिछले भाग में कुछ अतिरिक्त निर्माण करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रधान मंत्री के निवास स्थान तथा संग्रहालय, दोनों के लिये काम आ सके ।

प्रो० शेर सिंह : वहां पुस्तकालय के लिये भवन निर्माण करने का प्रस्ताव है क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय का वर्तमान भवन जिसकी स्थापना होनी है काफी नहीं है । अतः तीन मूर्ति के क्षेत्र में पुस्तकालय भवन निर्माण करने के लिये दस लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या सरकार इसको ठीक नहीं समझती कि एक ऐसी परम्परा स्थापित करदे जिसके अनुसार प्रधान मंत्री का सरकारी निवास-स्थान जो एक बार हो गया इसको बार-बार परिवर्तित नहीं किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री को तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित भवन में वापस चला जाना चाहिए।

प्रो० शेर सिंह : यह एक अच्छा सुझाव है और इस पर ध्यान दिया जायेगा।

Shri Sheo Narain: There is sufficient space in Teen Murti Marg. When this museum has been established in the name of Shri Nehru why not after extension it should have been made a part of the University? In this way it may be convenient for the persons who are making researches.

Prof. Sher Singh: This matter can be considered.

श्री जी० विश्वनाथन : समाचार-पत्रों में यह खबर छपी है कि प्रधान मंत्री को निवास की समस्या है। क्या प्रधान मंत्री के लिये तीन मूर्ति भवन में जाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रो० शेर सिंह : प्रधान मंत्री के सम्मुख ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है कि वह उस भवन में जायेंगी अथवा नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Will you advise her to go?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया था कि क्या उनके इस भवन में वापिस चले जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रश्न यह था कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है ?

प्रो० शेर सिंह : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta: Whether the Hon. Minister would consider on this point that the Prime Minister should not have such a big house. Gandhiji had said that he should like to have a small house.

Prof. Sher Singh: We have not received any proposal like this. This is your suggestion.

Shri Kanwar Lal Gupta: Will they consider it ?

Prof. Sher Singh: At present the Prime Minister is residing in a very small house.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मंत्री इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि, जब श्री नेहरू जीवित थे तो वह तीन मूर्ति भवन के चौक में अपना निवास स्थान बनाने का विचार रखते थे। इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री ने नहीं दिया है।

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में क्या उत्तर दे सकता है ?

Shri Ram Sewak Yadav: In replying to Shri George Fernandes, the Hon. Minister told that these are all speculations.

I would like that these speculations should be finished. I want that you may say with full confidence that she would remain there.

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, clarification should be given in this matter.

सरकार बनाने के लिए राज्यपालों के पथ प्रदर्शन के हेतु सिद्धान्त

+

* 260 **श्री कंवर लाल गुप्ता :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री प्र० कें० देव :
श्री जी० सी० नायक :
श्री कें० पी० सिंह देव :
श्री अ० दीपा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सरकार बनाने के लिये दलों के नेताओं को निमंत्रित करने के हेतु राज्यपालों के पथप्रदर्शन के लिये सरकार ने कोई सिद्धान्त बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, Will the Minister tell, taking into consideration that in case in a province when the position is not clear and both the parties have equal number of votes, whether the Government would or have considered to adopt such a definite procedure so that there may not be any confusion ?

Shri Vidya Charan Shukla: The Governors of the States are very responsible persons. ....**(Interruption)**

So no necessity has been felt so far to direct them. If such a necessity has been felt the matter would be considered.

Shri Kanwar Lal Gupta: Whether the Hon. Minister will tell what the Governor of Rajasthan consulted with the Central Government with regard to the fomation of the Ministry there and what was the reply given by the Central Government in regard thereto ?

Shri Vidya Charan Shukla: He did not consult the Central Government with regard to the formation of the Ministry in Rajasthan.

श्री अंरगिल श्रीधरन ने तामिल भाषा में प्रश्न किया ।

Shri George Fernandes: If you permit I can translate it.

अध्यक्ष महोदय : वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एस० कन्डप्पन : इस मामले में कार्यविधि है। जब कभी कोई प्रश्न हमारे दल के सदस्य द्वारा तामिल में पूछा जाता था तो माननीय अध्यक्ष उसका इंगलिश में अनुवाद का आदेश देते थे और फिर वह सम्बन्धित मंत्री से इसका उत्तर देने को कहते थे। अब भी उसी प्रकार की कार्यविधि अपनानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : तब ठीक है। इसका अनुवाद कौन करेगा ?

श्री नाथपाई : इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि नियम बहुत स्पष्ट नहीं होंगे। इस विषय पर निश्चित विनिर्णय है। मुझे एक घटना का स्मरण है जब कि एक बार पश्चिम बंगाल के एक साम्यवादी सदस्य बंगाली में बोले थे और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को इसका अनुवाद करने की अनुमति दी गई थी। और समस्त भाषण इसी प्रकार चलता रहा था।

Shri George Fernandes : I give you the translation of his question put in Malayalam. His question was that in view of adopting different policies at different times by Governors, as happened in Kerala that once the cabinet was allowed to continue even after dissolving the Assembly and at other time the Assembly was dissolved even before summoning it to meet, would Government evolve some code of conduct for Governors?

Shri K. N. Tiwary: On a point of order. Just now Shri Nath Pai has said about a ruling and a well established precedent and that was about speech. But there is no such procedure that questions are also put in regional languages. Secondly questions are put for eliciting information. Are the questions to be put straight or some preface is necessary?

Shri Madhu Limaye: Till arrangements for translation are made, we shall give you, advance copy of translation of the question.

श्री ही० ना० मुकर्जी : प्रश्नकाल का बड़ा महत्व है और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिये।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार आप भाषाओं के प्रयोग के बारे में व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह व्यवस्था होने तक यदि हर रोज अनुवाद आदि के बारे में इसी प्रकार देर होती रही तो सदन का काफी मूल्यवान समय नष्ट हो जायेगा। अतः इस बारे में मैं आपका निर्देश चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसी बातों पर ध्यान न दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही बात कहना चाहता था जो श्री ही० ना० मुकर्जी ने कही है। यदि हर अनुपूरक प्रश्न प्रादेशिक भाषा में पूछा जाय और फिर उसका अनुवाद होता रहे तो पता नहीं कैसे काम चलेगा। अगर माननीय सदस्य चाहें तो वे एक घण्टे में केवल एक ही प्रश्न निपटा सकते हैं, इससे अध्यक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताया गया है कि अनुवाद की एक प्रति मंत्री महोदय को दे दी गई है, क्या वे एक प्रति मुझे नहीं दे सकते थे ताकि मैं यह देख सकता कि प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये या नहीं।

उस दिन सभी दलों के नेताओं के साथ जो बातचीत हुई थी, वह केवल भाषाओं के बारे में थी। लेकिन प्रश्नों के सम्बन्ध में टेप-रिकार्ड से भी कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये उसका फौरन अनुवाद चाहिए। यदि कोई सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रश्न पूछना चाहता है तो वह उसके अनुवाद की एक प्रति अध्यक्ष को भी दे दे ताकि यह पता लग सके कि उसकी अनुमति दी जाये या नहीं। जहां तक इस अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि मंत्री महोदय चाहें, तो इसका उत्तर दे सकते हैं।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : यह राज्यपालों के लिए आचार-संहिता का प्रश्न नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि चुनावों के फलस्वरूप किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि राज्यपालों के लिए मार्गदर्शन-सिद्धान्त क्या होने चाहिएं। इस मामले में संवैधानिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। राज्यपाल भारत सरकार का या राष्ट्रपति का एजेण्ट नहीं होता। वह राज्य का मुखिया होता है और यह बड़ी विषम समस्या है कि क्या भारत सरकार या भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनको कोई निर्देश दिये जा सकते हैं लेकिन इस बात पर विचार किया ही जाना चाहिये कि क्या कोई ऐसे सिद्धान्त बनाये जा सकते हैं जिससे राज्यपाल को ऐसे अवसरों पर सहायता मिल सके। यदि सभा चाहे तो हम इस बारे में विपक्षी दलों के कुछ नेताओं से और उन संवैधानिक विशेषज्ञों से, जिनकी राजनीति में रुचि नहीं है, विचार किया जा सकता है ताकि इस बारे में उनसे कोई सलाह मिल सके और फिर कुछ ऐसे सिद्धान्त बनाये जा सकें जिनसे राज्यपालों का मार्ग-दर्शन हो सके।

श्री प्र० के० देव : इस बात को देखते हुए कि विभिन्न राज्यपालों ने निर्वाचित दलों के नेताओं को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करने में भिन्न-भिन्न कदम उठाये और इस बात को देखते हुए कि निर्दलीय सदस्यों के बारे में उनकी भिन्न-भिन्न राय होती है, जैसा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इस बात को देखते हुए कि राज्यपाल प्रधान मंत्री के निर्वाचन में सक्रिय रुचि लेते हैं, जैसा कि श्री ए० पी० जैन ने किया है और सभी पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या यह उचित नहीं है कि सरकार सभा में यह आश्वासन दे कि कांग्रेस जनों को और विशेषत: निर्वाचन में पराजित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप लगाये जाते हैं जो पहले राज्यपाल रह चुका हो तो मैं वह बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैं समझता था कि हम किसी राज्यपाल विशेष को ध्यान में न रखते हुए सामान्य तरीके से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री जी० सी० नायक : क्या राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया जाता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो निश्चित ही मुख्य मंत्री से परामर्श किया जाता है।

श्री अ० दीपा : उस राज्य के मुख्य मंत्री से, जहां गैर-कांग्रेसी सरकार बनी है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्यों परामर्श नहीं किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या अब भी किसी भी उस दल के नेता को जिसके सर्वाधिक सदस्य चुन कर आये हों, चाहे उसे पूर्ण बहुमत न मिला हो, सरकार बनाने के लिये निमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है जैसा कि 1952 में मद्रास में श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

को निमंत्रण देकर किया गया था हालांकि उनके दल को विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त न था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इन सब बातों के बारे में बता चुके हैं । यह बात राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करती है और इस बारे में कोई निश्चित परम्परा नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : सदस्यों द्वारा निरन्तर दल त्याग करने को ध्यान में रखते हुए क्या राज्यपाल किसी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करने से पूर्व बनाई जाने वाली सरकार की स्थिरता को ध्यान में रखेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इन विचारों से सहमत हूं ।

श्री नाथपाई : हम गृह मंत्री के इस रवैये की सराहना करते हैं कि वह भविष्य में गैर-राजनीतिक संवैधानिक विशेषज्ञों और कुछ प्रतिपक्षी नेताओं से परामर्श करेंगे । आप संभवत: इस बात से सहमत होंगे कि राज्यपालों के कृत्यों के बारे में इसलिये कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है कि संविधान इस बारे में बड़ा व्यापक है बल्कि इसलिए हुई है कि केन्द्र ने इसको संरक्षण अथवा उपहार का मामला बनाकर राज्यपाल के पद को नीचा कर दिया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस रोषजनक प्रथा को समाप्त किया जायेगा और इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा कि राज्यपालों की नियुक्ति का संसद द्वारा समर्थन किया जाये ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक अन्यावहारिक सुझाव है ।

श्री के० लकप्पा : क्या यह सच है कि राज्यों के राज्यपालों के कृत्य और अधिकार राजनीतिक भूमिका अदा करते हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार हर समय मंत्रियों की नियुक्ति, सरकारों के बनाये जाने आदि के बारे में क्यों हस्तक्षेप नहीं करती ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इन आक्षेपों से सहमत नहीं हैं ।

Shri Bibhuti Mishra: The Constitution of India was not framed on the basis of adult franchise. It was framed by persons of vested interest and in a hurry. I want to know whether in view of the appointment of Governors and President, the Hon. Home Minister is contemplating some such action so that it is easier to follow the constitution in States and the Centre ?

Shri Vidya Charan Shukla: No such need has arisen so far.

श्री स० मो० बनर्जी : श्री शुक्ल ने बताया है कि जहां गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, वहां राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह से परामर्श किया जायेगा । और वहां किसी गैर-कांग्रेसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जायेगा क्योंकि वहां अब कांग्रेसी सरकार नहीं है और श्री गोपाल रेड्डी के नाम की घोषणा, जो एक कांग्रेसी हैं, श्री चरण सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनने से पहले की गई थी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री गोपाल रेड्डी के नाम की घोषणा तब की गई थी जब वहां श्री सी० बी० गुप्त के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार थी । अब वहां कांग्रेस सरकार समाप्त हो गई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब सरकार का नेतृत्व एक गैर-कांग्रेसी व्यक्ति के पास है, क्या बदली हुई परिस्थिति के अनुसार इस नियुक्ति पर पुर्नविचार किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी, नहीं । नियुक्ति और नियुक्ति की घोषणा किये जाने से पूर्व ही परामर्श किया जाता है । परामर्श तत्कालीन मुख्य मंत्री के साथ किया गया था । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्य मंत्री कांग्रेसी है या गैर-कांग्रेसी । अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

Shri Madhu Limaye: Gupta's Government was forced upon.

श्री स्वैल : क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मंत्री के इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाये और क्या यह सच है कि बड़े-बड़े नेतागण राज्यपाल बनने से घबराते हैं क्योंकि उनको राजभवन में ही रहना पड़ता है ? क्या सरकार का विचार राज्यपाल का पद समाप्त करने अथवा राज्यपाल को अब से अधिक अधिकार और उत्तर-दायित्व सौंपने के लिए कोई विधान पेश करने का है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी, नहीं ।

श्री हेम बरुआ : क्योंकि अधिकांश राज्यों के राज्यपाल किसी एक राजनीतिक दल विशेष में से नियुक्त किये जाते हैं और चूंकि उनका रवैया दलगत रहा है, जैसा कि राजस्थान में हुआ है, और चूंकि गृह-कार्य मंत्री ने श्री नाथपाई के सुझाव को अव्यवहार्य बताया है, मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवहार्य कदम उठाना चाहते हैं कि राज्यपाल दलगत कार्य न करें ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस आरोप को नहीं मानता कि सभी राज्यपाल एक ही दल के व्यक्ति होते हैं । आज भी लगभग आधे दर्जन वरिष्ठ सिविल सर्वेन्ट, भूतपूर्व सिविल सर्वेन्ट राज्य-पाल हैं । उनका किसी दल से सम्बन्ध नहीं है । आज भी मद्रास के राज्यपाल का किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है कि केवल एक ही दल के व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जाता है । एक राज्यपाल तो उस दल के हैं जिससे माननीय सदस्य का सम्बन्ध है ।

श्री नाथपाई : हमने उनको दल से निकाल दिया है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वे इस बात पर जोर देते हैं कि अन्य दलों के अच्छे व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जाय और जब हम ऐसा करते हैं तब वे उनको दल से निकाल देते हैं । इसमें हम क्या कर सकते हैं...... **(अन्तर्बाधा)** इस बारे में गारन्टी केवल यह है कि

मुख्य मंत्री के साथ परामर्श किया जाए और इस नियम का हमेशा पालन किया गया है और किया जायेगा ?

श्री शंकरानन्द : राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के वास्ते किसी व्यक्ति को किन अर्हताओं और शर्तों को पूरा करना पड़ता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कोई अर्हतायें नहीं रखी गई हैं। सम्बन्धित व्यक्ति की देश में विशिष्ट स्थिति होनी चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon. Minister has said that nearly half a dozen non-Congressmen are Governors. This means only those persons have been appointed Governors who subscribe to the views of Congress or who have already served Congress. I want to know as to what steps Government contemplate to take to appoint impartial persons as Governors?

Shri Vidya Charan Shukla: The Hon. Home Minister has already said that the decision is invariably taken in consultation with the Chief Ministers and this will be observed in future also.

श्री फ० गो० सेन : इस बात को देखते हुए कि बहुत बार लोग सत्तारूढ़ दल छोड़ देते हैं जिससे विधान मंडलों में दलों की सदस्य-संख्या कम हो जाती है, क्या यह बात निश्चित है कि जब भी बहुमत के प्रश्न के बारे में निर्णय किया जाये, यह सम्बन्धित दलों में विशिष्ट नामों को ध्यान में रख कर किया जाये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसका आम तौर पर उत्तर दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है और फिर भी अनेक सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हैं। मैं हर व्यक्ति का नाम पुकारूंगा और समूचा प्रश्नकाल इस ही प्रश्न पर लगा दूंगा।

श्री जुल्फिकार अली खां : क्या यह सच है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर इस सभा में महाभियोग लगाया जा सकता है किन्तु राज्यपालों पर विधान मंडलों में महाभियोग नहीं लगाया जा सकता ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक ऐसा संवैधानिक प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।

श्री प्र० के० देव : संविधान में यह दोष है।

अध्यक्ष महोदय : यदि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, तो मंत्री जी इस समय क्या कर सकते हैं।

श्री एम० वाई० सलीम : जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल के पद के लिये कितने नामों पर विचार किया जा रहा है और क्या मैं उन नामों को जान सकता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Onkar Lal Berwa : One month back, the Governor of Rajasthan stated that there was no unrest and agitation in the State and the Centre had not asked him if peace was restored there ; he stated further that he would express his opinion about this matter as and when he was asked to do so.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । राज्यपाल का मतलब यह नहीं है कि आप जो मर्जी में आये कह दें ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : गृह-कार्य मंत्री कह रहे थे कि मद्रास के राज्यपाल पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाते, किन्तु ऐसी बात बिलकुल ही नहीं है । यद्यपि मद्रास के वर्तमान राज्यपाल के विरुद्ध मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, तथापि चुनावों के पहले उन्होंने जो बात कही; उसे मैं आपको बताऊंगा । मद्रास राज्य में हम सभी विरोधी दल आपस में एक हो गये और हमने चुनाव लड़ने चाहे । उस दौरान, मद्रास राज्य के राज्यपाल ने खुलेआम यह कहा कि वह किसी भी ऐसे दल को सरकार बनाने के लिये नहीं बुलायेंगे जिसका वहां पूर्ण बहुमत न हो । किन्तु स्थिति ऐसी आई कि हमें 138 स्थान प्राप्त हो गये । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और राज्यपाल का पद भी एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्र में वह राज्य का प्रधान है, क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यपाल के पद पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा जो कि वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं और जो वस्तुतः पक्षपातरहित हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमेशा ही ऐसा किया जाता है ।

श्री कंडप्पन : इस बात का स्पष्टीकरण किया जाना जरूरी है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इसका जबाब दे दिया है; मैं नहीं जानता कि वह और अधिक क्या कह सकते हैं, चुनावों के पहले राज्यपाल ने क्या कहा, वह इस बारे में बिना जानकारी प्राप्त किये क्या कह सकते हैं ।

श्री कंडप्पन : वह जानकारी एकत्रित करके उसे सभा-पटल पर रख दें ।

अध्यक्ष महोदय : राज्यपाल ने चुनाव के पहले क्या कहा था, वह इस बात को कह सकते हैं ?

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मंत्री जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वह पक्ष-पात रहित हैं ? उन्होंने खुले आम कहा है......... **(अन्तर्बाधा)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : उनके प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा कि ऐसा हमेशा किया जाता है ।

श्री राजाराम : चुनावों के पहले मद्रास के राज्यपाल, श्री उज्जल सिंह ने यह वक्तव्य दिया था कि संयुक्त दल देश की समस्या को हल नहीं करेंगे । उन्होंने इस प्रकार की बातें कहीं । चुनावों के पहले इस बात पर काफी विवाद चला था, इसलिये वह कांग्रेस का पक्षपोषी है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : कांग्रेस सरकार इस राज्यपाल को मद्रास राज्य से वापस बुला ले । मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि वह पक्षपोषी नहीं हैं ?

Shri Kanwar Lal Gupta : The question of the appointment of Governor and his conduct is very important. I want to know whether Government propose to evolve some healthy procedure in this regard after conferring with the opposition leaders with a view to avoiding any confusion in the matter in future.

अध्यक्ष महोदय : मैं आज बहुत अप्रसन्न हूं । प्रश्नों को पूछने का यह तरीका नहीं है, वास्तव में तीन या चार अनुपूरक प्रश्न काफी होते, किन्तु हमने आधे घंटे से अधिक समय इसी प्रश्न पर ले लिया है । आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हैं, यदि आप लोग केवल इसी प्रश्न और अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु उसके बाद ऐसा किसी को महसूस नहीं करना चाहिये कि उन्हें अवसर नहीं दिया गया ।

श्री सोनावने : मेरा एक सुझाव है । इस तरह प्रश्नों के मामले में निपटना आपके लिए बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से केवल कुछ-एक प्रश्न लिये जा सके हैं, मैं नहीं समझता कि औचित्य क्या है, उत्तर के लिये प्रश्नों की आज की सूची में कई प्रश्न हैं । किसी प्रश्न पर संभाव्य अनुपूरक प्रश्नों के पूछे जाने के बाद जब आप चाहें अगला प्रश्न ले लीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं । कम से कम यदि दलों के नेता लोग मदद करें, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यह मान लिया गया था कि एक या दो इस ओर के और एक-दो अन्य उस ओर के व्यक्ति अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं चाहे प्रश्न में एक दर्जन नाम क्यों न हों । लेकिन श्री बरुआ से लेकर श्री कछवाय तक--प्रत्येक सदस्य, यदि उसे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर न मिले तो आपे से बाहर हो जाता है, और इसी तरह यदि 20 या 30 सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो मेरे लिये बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है । यदि सभा सहमत होती है, तो प्रत्येक प्रश्न पर 5 अनुपूरक प्रश्न पूछ कर हम अगला प्रश्न ले सकते हैं । क्या सभा इस बात से सहमत है ?

श्री सोनावने : जी, हां, 2 उस ओर से और 3 इस ओर से ।

श्री एस० एस० कोठारी : 3 प्रतिपक्ष की ओर से और 2 कांग्रेस की ओर से ।

अध्यक्ष महोदय : 20 या 30 सदस्य खड़े हो जाते हैं और यदि मैं एक या दोनों को इस ओर से और एक या दोनों को उस ओर से अवसर देता हूं, तो अन्य सदस्य नाराज हो जाते हैं । सबसे अच्छी बात यह है कि विभिन्न दलों के सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार अपने-अपने नेताओं को बता दें और उन पर तथा संवैधानिक प्रश्नों आदि पर मैं अपने कक्ष में उनके (नेताओं) साथ विचार-विमर्श करूंगा कि हमें प्रत्येक प्रश्न पर कितना समय लेना चाहिये और कितने अनुपूरक प्रश्न पूछने चाहिए ताकि सभा में इस प्रकार की स्थिति न हो ।

श्री एस० जेवियर : मद्रास के राज्यपाल के विरुद्ध इस सभा में जो शिकायतें की गई हैं, उनको देखते हुए क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल के पद के लिये भी निर्वाचन होना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई ने आगे ही यह प्रश्न रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति पर संसद की स्वीकृत ली जानी जरूरी है ।

श्री रा० बरुआ : यदि मैं ठीक-ठीक समझ सका हूं, तो यह सुझाव दिया गया है कि अनुपूरक प्रश्न लिखित रूप में भेजे जाने चाहिये । यदि नियम यही है, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का सारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सुझाव तो किसी ने नहीं दिया है । सुझाव यह है कि 5 से अधिक अनुपूरक प्रश्न न पूछे जायें ।

श्री पीलु मोदी : हम इतनी देर से केवल यही चर्चा कर रहे हैं कि कितने अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने नहीं । मैं समझता हूं यह स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है, प्रश्नकाल में 20 से लेकर 30 प्रश्नों तक का उत्तर दिया जाना जरूरी है । प्रश्न के विषय-सामग्री पर अनुपूरक प्रश्नों की संख्या बहुत निर्भर करती है । इतने अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का एक मूल कारण यह है कि सम्बन्धित मंत्री ठीक-ठीक जवाब नहीं देते हैं, मेरा कहना तो यह है कि जब कभी आप देखते हैं कि मंत्री ठीक जवाब नहीं दे रहा है, आप तुरन्त उससे कहें कि वह उचित उत्तर दे इससे इस सम्बन्ध में आपकी कठिनाई काफी हद तक स्वतः ही हल हो जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, Since you have mentioned my name in this connection, I would like to submit that we are representing our constituency here, and it is our duty to ventilate their grievances and problems in the House. We are compelled to put supplementaries and insist on getting their proper answers only when the Ministers concerned do not give a proper answer.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या माननीय सदस्य द्वारा कही गई यह बात, कि अनुपूरक प्रश्न पांच से अधिक न करने देने का विचार खराब है, अध्यक्ष पीठ की गरिमा के प्रतिकूल नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं, । अगला प्रश्न ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

* 261. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 30 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के बारे में सरकार को राज्य सरकारों से इस बीच उत्तर प्राप्त हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अब तक छः राज्यों की सरकारों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ।

(ख) अन्य राज्य सरकारों से उत्तर आने की प्रतीक्षा है । सब राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जायगा ।

Shri Yashpal Singh : In view of the fact that the British Government in the past used to appoint Special Magistrates and Honorary Magistrates in our country with a view to strengthening the roots of the British imperialism in India, may I know whether the Government has tried to ascertain that there is no need to follow this practice in a free India now, and if so, whether the steps are being contemplated to abolish these posts?

Shri Vidya Charan Shukla : It does not arise out of the main question.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government is in a position to state the time likely to be taken in separating the Executive from the Judiciary in such States as have already submitted their replies?

Shri Vidya Charan Shukla : A reply to this question has already been given. In most of the States the Executive has been separated from the Judiciary and where it has not been completely done so far, the process is in progress.

श्री एस० कंडप्पन : सभी क्षेत्रों में अधिक तथा और अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाते जाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है । इस बात को देखते हुए कि विभिन्न राज्यों में नान-कांग्रेस सरकारें स्थापित हो चुकी हैं, क्या सरकार इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से पहले इन नई सरकारों की राय मालूम करने की कोशिश करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ कि इन सभी बातों पर निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जायेगा ।

श्री नाथपाई : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने गृह-कार्य मंत्री को यह लिखा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से तुरन्त अलग किया जाये; और यदि हां, तो दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध को क्रियान्वित करने के लिये गृह-कार्य मंत्री का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ऐसा एक सुझाव आया है । लेकिन इन मामलों में आवश्यक विधान का पुरःस्थापन महानगर परिषद को करना पड़ेगा और हमने इस मांग के बारे में उन्हें बता दिया है । मुझे आशा है वे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

श्री नाथपाई : मंत्री महोदय ने बात तो सच बताई है किन्तु पूरी सचाई सामने नहीं रखी है । उन्होंने माननीय मंत्री को अपने पत्र में यह सुझाव भी दिया है कि यह पृथकीकरण एक कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जा सकता है और इसके लिये किसी विधान को लाना आवश्यक नहीं है । क्या यह सच है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उन्होंने निश्चितरूप से ऐसा सुझाव दिया है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में, जब कि महानगर परिषद् में एक नया दल सत्तारूढ़ हुआ है, यदि हम एक कार्यपालिका आदेश दे दें, तो मुझे संभवतः आधे दर्जन प्रश्नों के उत्तर तो यहां भी देने पड़ेंगे, इसलिये नई राजनैतिक परिस्थिति में इन मामलों में नीति के बारे में कार्यपालिका परिषद् को परामर्श करना मेरे लिये बहुत जरूरी है।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन

*262. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) शिक्षा प्रणाली के ढांचे को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). जी, हां। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का मुख्य प्रतिपाद्य भी यही है, जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशों की जांच की जा रही है जिससे उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर उन पर तेजी से अमल किया जा सके।

Shri S. C. Samanta: Is it a fact that the Government tried to bring in a change in the system of education after independence and introduced basic training; and if so, the result achieved therefrom?

Shri Bhagwat Jha Azad: It is true that we tried to introduce basic training in this country and it is also a fact that we have not achieve much success in it so far. But, so far as the principle is concerned, there is no difference of opinion.

Shri S. C. Samanta: May I know whether the Government propose to introduce some change in the pattern of examination?

Shri Bhagwat Jha Azad: It is true that educationists in the country have from time to time stressed the need to bring in a change in the pattern of examination. The report of the Education Commission is now under the active consideration of Government. We will give a thought to the possible changes also that can be effected in the existing pattern of examination.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का ध्यान सार्वजनिक जीवन में कतिपय विख्यात व्यक्तियों द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि शिक्षा-पद्धति में समानता होनी चाहिये और सभी पब्लिक स्कूल जो कि एक स्कूल तथा दूसरे स्कूल के बीच भेदभाव बरतते

हैं, समाप्त किये जाने चाहिये; यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या रवैया है और क्या पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ताकि सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम एक-सा हो और शिक्षा का साम्यिक आधार हो?

श्री भागवत झा आजाद : यह सत्य है कि देश में पब्लिक स्कूलों तथा अन्य स्कूलों में शिक्षा-स्तर में भेद समझा जाता है। यह ठीक है कि पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊँचा है और बहुत कम विद्यार्थी वहां प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। स्तर के विषय में हम यदि नीचे स्तर वाले को ऊपर नहीं उठा सकते तो ऊँचे स्तर वाले को नीचे भी नहीं ला सकते।

श्री के० लकप्पा : क्या यह सत्य नहीं है कि इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, कानपुर में अभिभाषण के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस के पराजित नेताओं तथा नीतिज्ञों को उपकुलपति नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह सत्य नहीं है कि विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी का यह भी एक कारण है और इसीलिए यह सुझाव दिया गया है कि इस दिशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए जाएं?

श्री भागवत झा आजाद : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से भिन्न है।

Shri D. N. Tiwary : Whether Government is aware of the number of reports received by them from various committees and commissions during the last thirty years and right from the President to Central and State Education Ministers—all of them have been emphasising on the change in system of education? If so, what action has been taken by the Government in this regard or when it is proposed to take any action?

Shri Bhagwat Jha Azad : The Government is quite aware of the appointment of so many committees and it is also a fact that we want to bring a change in the system of education and many educationists of the country are also of the same opinion. We would like to discuss the report of Education Commission received only recently. The present Education Minister has been visiting the States for this purpose and we are also convening a conference of Education Ministers of all the States. We would also discuss this matter with members of Parliament in order to find a way out to effect the change in the system of education.

श्री बूटा सिंह : अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का पृथक संवर्ग बनाने में सरकार क्या कठिनाई अनुभव कर रही है?

Shri Bhagwat Jha Azad : This question is under consideration of the Government and we have asked for the views of the State Governments also. The State Governments have different views in this respect and we shall form our opinion on receipt of replies from all the States.

श्री ही० ना० मुकर्जी : शिक्षा आयोग की यह निश्चित सिफारिश है कि उच्च स्तर तक शिक्षा का माध्यम अपनी-अपनी मातृभाषा होना चाहिए तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये कुछ निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मुझे यह बताया गया है कि केवल यह सभा ही नीतियां निर्धारित कर सकती है । मुझे खेद है कि विभिन्न कारणों से शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बारे में इस सभा में विचार नहीं किया जा सका । इस आयोग का सदस्य होने के कारण मैं यह चाहता हूँ कि सभा इस विषय पर शीघ्र से शीघ्र विचार करे और किसी नीति को निर्धारित करे ताकि उस पर सरकार कार्यवाही कर सके ।

मैं यह अनुभव करता हूँ कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा होना चाहिए । इसी विचार से मैं सभी राज्यों के मुख्य-मंत्रियों तथा शिक्षा मंत्रियों से भेंट कर रहा हूँ ताकि मैं सभा के समक्ष सभी राज्यों की राय प्रस्तुत कर सकूं । इसके पश्चात् सभा जिस नीति को निर्धारित करेगी, उसी पर सरकार कार्यवाही करेगी । मैं इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र करना चाहता हूँ । जब तक यह सभा भाषा के महत्वपूर्ण विषय पर कोई निश्चय नहीं कर लेती, शिक्षा का स्तर बढ़ाया नहीं जा सकता और तब तक हम शिक्षा प्रणाली के बारे में भी कुछ निदेश नहीं दे सकते ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पिछले कुछ वर्षों से समस्त देश में विद्यार्थियों में बेचैनी है तो क्या इस बेचैनी को दूर करने के लिये शिक्षा मंत्री शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन लाना चाहेंगे ।

डा० त्रिगुण सेन : पहले तो मैं यह बात नहीं मानता कि विद्यार्थियों में बेचैनी है, हां देश में विद्यार्थियों में असंतोष की भावना है । मेरे विचार में इस असंतोष का मुख्य कारण यह है कि हम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की परवाह नहीं करते । जब हम उनकी आवश्यकताओं की परवाह नहीं करते तो ये आवश्यकताएं मांगों का रूप धारण कर लेती हैं । मैं व्यक्तिगत रूप में यह बात मानता हूँ कि यदि अधिकारी वर्ग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो उन्हें प्रदर्शन करने का हक है । परन्तु मैं विद्यार्थियों से यह कहूंगा कि वे अपने प्रदर्शन विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ही शान्तिपूर्वक करें ।

श्री एस० कन्डप्पन : मैं शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करता हूँ ।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने अपना वक्तव्य अभी समाप्त नहीं किया । मैं विभिन्न संस्थाओं के प्रशासकों से प्रार्थना करूंगा.........

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है, और इस समय केवल अनुपूरक प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा सकता है । अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में सरकार की समस्त नीति का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता ।

श्री के० लकप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मंत्री महोदय ने यह कहा है कि विद्यार्थी अपनी बेचैनी और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्र में प्रदर्शन कर सकते हैं । क्या यह सरकार की नीति है अथवा उनका अपना व्यक्तिगत विचार है ? मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री नाथपाई : शिक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में इन मामलों पर विचार करने के लिए सभा को सर्वोच्च सत्ता बताया है, यह बहुत ही सुन्दर बात है परन्तु सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निश्चय न करने की भारी भूल को छिपाया गया है। कभी साम्य के विषय में कहा जाता था कि ईक्विटी इंग्लैंड के लार्ड चान्सलर की इच्छा पर निर्भर करती थी। उसी प्रकार भारत सरकार की भाषा और शिक्षा सम्बन्धी नीति भी शिक्षा मंत्री की अपनी पसन्द पर निर्भर करती है। क्या यह सत्य नहीं है कि मंत्री महोदय ने अभी अगले दिन ही मद्रास में कहा था कि वह त्रि-भाषा सूत्र के पक्ष में नहीं हैं ? क्या उन्हें मालूम है कि त्रि-भाषा सूत्र इसी सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था ? इस विषय में हमारी क्या स्थिति है ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरा विचार है कि मैंने अहमदाबाद में इस बात का स्पष्टीकरण दिया था। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या त्रि-भाषा सूत्र को कार्यान्वित किया जाय तो मैंने कहा था कि इस विषय में पुन: विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि हम किसी स्थिति विशेष में छोटे-छोटे बच्चों को तीन भाषाओं को सीखने के लिए नहीं कह सकते और उसके साथ ही वे भारतीय इतिहास, गणित और भूगोल भी पढ़ें; इसलिए इस विषय में पुन: विचार की आवश्यकता है। मैंने यह कहा था कि मैं त्रि-भाषा सूत्र के पक्ष में नहीं हूं।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह त्रि-भाषा सूत्र इस सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है तो यह बात सभा की इच्छा के विरुद्ध होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ऐसा कर सकते हैं या नहीं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : त्रि-भाषा सूत्र के विषय में श्री नाथपाई ने बहुत ही सम्बन्धित प्रश्न उठाया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या संसद को बिना विश्वास में लिए शिक्षा मंत्री द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य देना उचित है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि मैं त्रि-भाषा सूत्र के विरुद्ध हूं। मैंने तो केवल श्री नाथपाई से यह प्रश्न किया था कि क्या बच्चों को तीन भाषाएं एक साथ सिखाई जानी चाहिए।

Shri Ram Sewak Yadav: In reply to the question Shri Bhagwat Jha Azad has said that basic education could not be proved to be a success. I want to know whether the reason for its failure is that basic education is meant for the poor and public schools for the rich? If so, what steps are being taken by the Government for providing same standard of education for all?

Shri Bhagwat Jha Azad: The purpose of introduction of basic education was not limited to the poor section of the people only but even now the Government feels that it is meant for all sections of society. Only a few students could secure admission in the public schools but it is difficult to say that only rich could secure admission in those schools.

Shri Ram Sewak Yadav: The question is whether there is basic education in public schools also.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय क्या शिक्षा के मामले को रोजगार दिलाने वाले मामले के साथ सम्बद्ध करने की सम्भावना अथवा वांछनीयता पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : हम भी यह चाहते हैं कि शिक्षा लाभप्रद होनी चाहिए और यह तभी हो सकता यदि शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाय और उसके साथ कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण का काम भी जोड़ा जाए।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री चागला ने सभा को आश्वासन दिलाया था कि वह राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह बात मनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में वर्तमान शिक्षा मंत्री के क्या विचार हैं और क्या इस बारे में कुछ सफलता मिली है।

डा० त्रिगुण सेन : अब राजनीतिक स्थिति बदल गई है, इसलिए इस विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। कोई भी निश्चय करने के पूर्व हमें सभी राज्यों से परामर्श कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब अल्प सूचना प्रश्नों पर विचार किया जाएगा।

Shri Madhu Limaye: On a point of order, Sir, there is a provision in Rule 46 that the Minister can reply to a question not included in the Question Hour, if he so desires. The Rule is "Provided that a question not reached for oral answer may be answered after the Question Hour with the permission of the Speaker if the Minister represents to the Speaker that the question is one of special public interest to which he desires to give a reply".

टेलीग्राफ चेक आफिस, कलकत्ता

+

अ० सू० प्र० 6. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीग्राफ चेक आफिस, कलकत्ता को, जो लगभग एक सौ वर्षों से कार्य करता रहा है, बन्द करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या यह निर्णय ब्रिटेन के एक तथाकथित 'विशेषज्ञ' के परामर्श पर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप 700 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी होगी ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस टेलीग्राफ चैक आफिस के काम के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ताकि उस कार्यालय के कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर भेजा जा सके, यदि हां तो इस टेलीग्राफ चैक आफिस का भविष्य का क्या स्वरूप होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : कार्यक्षमता को बढ़ाने के विचार से हम इस कार्यालय का भी पुनर्गठन करेंगे । परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कर्मचारियों के हित का पूरी तरह से ध्यान रखा जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि सारे भारत में ऐसा टेलीग्राफ चैक आफिस एक ही है और एक सौ वर्षों के अधिक समय से यह महत्वपूर्ण काम कर रहा है और यह पुनर्गठन का प्रस्ताव तथाकथित विदेशी विशेषज्ञों के परामर्श पर कार्यान्वित किया जा रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सत्य है कि ऐसा आफिस एक ही है । परन्तु एक सौ वर्षों की भूल पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह पूछा है कि क्या पुनर्गठन का यह प्रस्ताव तथाकथित विदेशी विशेषज्ञों की परामर्श के फलस्वरूप पेश किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : उनसे परामर्श मांगा गया था क्योंकि इधर विचार मौलिक रूप से किया गया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस पुनर्गठन के फलस्वरूप 700 कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने यह बताया कि उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा और इस से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारे देश में टेलीग्राफिक प्रणाली के 100 वर्ष काम करने के पश्चात भी, सरकार के अनुसार, हमें ब्रिटिश विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता है जिनके परामर्श पर हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि 100 वर्ष की पुरानी व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता हो सकती है । इसलिये हम यह सोच रहे हैं कि इस विभाग का किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से पुनर्गठन किया जाये । परन्तु एक बात मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं कि हम कर्मचारियों के हित का पूरा ध्यान रखेंगे ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटिश विशेषज्ञों की चैक पोस्ट आफिस का अमला कम करने की कोई विशेष सिफारिश है और यदि हां, तो कितने कर्मचारी कम करने की है ?

डा० राम सुभग सिंह : मुझे यह नहीं पता चल रहा कि ये प्रश्न बार बार क्यों पूछे जा रहे हैं। कर्मचारियों के हितों पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या उन सुझावों में इस कार्यालय को बन्द करने का भी सुझाव था ?

डा० राम सुभग सिंह : सुझावों में तो बहुत-सी बातें हो सकती हैं। परन्तु निश्चय तो हमने करना है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या उन सुझावों में इसे बन्द करने का सुझाव भी है ?

डा० राम सुभग सिंह : सुझाव बहुत से हो सकते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे सभी माने जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ह्विटले परिषद योजना

*263. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ह्विटले परिषद योजना सन्तोषजनक रूप से चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सफल रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). संयुक्त सलाहकार परिषद और अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय योजना का उद्‌घाटन 28 अक्टूबर सन् 1966 को हुआ था। इस योजना के उद्‌घाटन के पश्चात् राष्ट्रीय परिषद की एक विशेष सभा 5 दिसम्बर, 1966 को और एक सामान्य सभा 30 और 31 जनवरी, 1967 को हुई। राष्ट्रीय परिषद की अगली सभा 26 और 27 मई, 1967 को करने का प्रस्ताव रखा गया। अभी तक यह ठीक प्रकार कार्य कर रही है।

Pay Scales of Teachers

*264. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri S. Supakar:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the progress made so far in improving the pay scales of teachers ;

(b) the names of State Governments and Union Territories which have taken the requisite decision in compliance with the opinion of the Central Government to improve the pay scales of teachers ;

(c) whether any amount has been earmarked for this purpose in the Fourth Five Year Plan ; and

(d) if so, whether any scheme has also been prepared on that basis ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-239/67**].

पंजाब और हरियाना के बीच साझी कड़ियां

*265. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा हरियाना राज्यों की स्थापना के बाद उनके बीच साझी कड़ियों से उत्पन्न होने वाले झगड़े निपटाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इन दोनों राज्यों में से किसी एक राज्य में चंडीगढ़ को मिलाने के बारे में भी कोई निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-240/67]

मेहतरों के लिये मजूरी बोर्ड

*266. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेहतरों की मजूरी तथा काम की दशा पर विचार करने के लिए एक मजूरी बोर्ड अथवा एक समिति नियुक्त करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। मेहतरों के काम-काज की शर्तों की जांच करने के लिये अध्ययन दल नियुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव को राष्ट्रीय श्रम आयोग के ध्यान में ला दिया गया था और आयोग ने इस विषय में अपना अध्ययन दल स्थापित करने का निर्णय कर लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरी पदालियों में फालतू कर्मचारी

*267. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल तथा निर्माण सम्बन्धी अन्य इंजीनियरी पदालियों में आवश्यकता और

वर्तमान फालतू कर्मचारियों सम्बन्धी समस्या तथा सेवा पदालियां बनाने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने सभी सरकारी उपक्रमों को निदेश दिये हैं कि प्रतिवेदन मिलने तथा फालतू इंजीनियरों को अन्यत्र रोजगार दिए जाने तक छंटनी जैसी कार्यवाही न करें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस उद्देश्य के लिये बनाई गई समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

बम्बई की व्यापारिक फर्मों के विरुद्ध मामले

*268. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक अपराध विंग, मद्रास ने आर० सी० 1/66 के अन्तर्गत मामले दर्ज किये थे और जनवरी, 1966 के अन्तिम सप्ताह के दौरान मुख्य प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट, एगमोर, मद्रास ने जिन 40 व्यापारियों के नाम वारन्ट जारी किये थे, उनमें डी० एस० कम्पनी, दिल्ली तथा मधुसूदन गोवर्द्धनदास, बम्बई के नाम भी शामिल थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली तथा बम्बई को वारन्ट ले जा रहे अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के उपनिदेशक अथवा किसी अन्य अधिकारी की सलाह पर दिल्ली तथा बम्बई में बिना कोई छानबीन किये वापस लौट गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चार दिन के बाद जब इन अधिकारियों से जांच करने के लिये कहा गया, तो उन्होंने दिल्ली से किये जा रहे हस्तक्षेप के विरोध में जांच करने से इन्कार कर दिया ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-241/67]

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गुम फाइलें

*269. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम चुनावों में कांग्रेस की पराजय या गैर-कांग्रेसी सरकारों के

बन जाने के पश्चात् बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गुम फाइलों तथा इन फाइलों (इंटेलीजेंस रिपोर्ट) में से कुछ फाइलों के केन्द्र को हस्तान्तरित किये जाने के बारे में समाचार देखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये समाचार सही हैं ;

(ग) क्या इन फाइलों के हस्तान्तरण के बारे में केन्द्र ने कोई हिदायतें जारी की थीं ; और

(घ) यदि हां, तो इन हस्तान्तरणों का स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों के एक भाग में कुछ गुप्त अभिलेखों के पश्चिम बंगाल सरकार के कब्जे से केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित किये जाने के बारे में समाचार देखे हैं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सरकारों से यह अनुरोध किया था कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले कुछ अभिलेख हस्तान्तरित कर दें ।

(घ) हस्तान्तरित अभिलेखों के बारे में इससे अधिक सूचना देना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा ।

काच्ची बल्लीहारी कोयला खान में 'अन्दर रहो, काम न करो' हड़ताल

*270. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री उमानाथ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 मार्च, 1967 को बल्लीहारी कोयला खान में, जब श्रमिक 'अन्दर रहो, काम न करो' हड़ताल पर थे, तब चार खनिक बेहोश हो गये थे और अन्य अनेक व्यक्तियों के पेट में ऐंठन पैदा हो गई थी ;

(ख) इस 'अन्दर रहो, काम न करो', हड़ताल में कुल कितने श्रमिक शामिल थे ;

(ग) इन कर्मचारियों की मांगें क्या थीं ; और

(घ) हड़ताल शुरू होने से पूर्व तथा उसके पश्चात् कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसे किसी भी मामले की सूचना केन्द्रीय समझौता मशीनरी को प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) 97

(ग) वैध बकाया रकम की शीघ्र अदायगी ।

(घ) हड़ताल शुरू होने से पहले श्रम न्यायालय, रांची के सामने बकाया रकम की अदायगी के लिये दावों की अर्जियां दाखिल की गईं। केन्द्रीय समझौता मशीनरी ने समझौता कराने के लिये दोनों पक्षों से विचार-विमर्श किया। हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन योजना

*271. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिवार पेंशन योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना से किन-किन वर्गों के व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). जो कार्य-कारी दल इस मामले पर विचार कर रहा है, उसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और ब्योरे अभी तैयार किये जाने हैं।

पुनर्वास पुनर्विलोकन सम्बन्धी समिति

*272. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास पुनर्विलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, नहीं। समिति जनवरी, 1967 में स्थापित की गई थी किन्तु अब तक यह अपना कार्य आरम्भ नहीं कर पाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गठित समिति के संकल्प में यह कहा गया है कि वह अपना प्रतिवेदन "**यथा साध्य** समय" में प्रस्तुत कर दें।

Metropolitan Council, Delhi

*273. **Shri Atal Behari Vajpayee:**
Shri Balraj Madhok:
Shri Yagya Datt Sharma:
Shri Shri Chand Goyal:
Shri Jaggannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government did not accept the advice of the

party in majority for nomination of 5 members to the Delhi Metropolitan Council;

(b) whether it is also a fact that Government had accepted the advice of the Congress Party in nominating the members to the Interim Metropolitan Council; and

(c) if so, whether specific principles have been laid down for nominating the members?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The leader of the majority party in the Metropolitan Council made certain suggestions to the Lieutenant Governor of Delhi before the Lieutenant Governor made recommendations to the Government on nominations to the Council. Various suggestions were made to the Government by the Delhi Pradesh Congress Committee, Members of Parliament and others for nominations to the Interim Metropolitan Council. The power to make these nominations vests in the Central Government and the Government are not required to consult or accept the advice of the party in majority in the Metropolitan Council. Nominations are made having regard to the need for giving representation to different interests and in doing so suggestions made to the Government are given due consideration.

पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा जारी किया गया कथित परिपत्र

***274. श्री राम किशन गुप्त :** **श्री ओंकार सिंह :**
श्री बाबू राव पटेल : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह पूछा गया है कि क्या भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के कथित परिपत्र, जो भारत की सुरक्षा से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में फौजदारी मुकदमा शुरू किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त के परिपत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से राय ली थी कि क्या भारत रक्षा नियमों के नियम 41 के अन्तर्गत, सामान्य निर्वाचन के दौरान, कुछ क्षेत्रों में, पुस्तिका का प्रचार करने के सम्बन्ध में, जिसमें पाकिस्तान उच्चायुक्त द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री को लिखे गये पत्र की फोटो कापी थी, के विषय में कार्यवाही की जा सकती है । पुस्तिका पर उसके मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम नहीं है । इसको पाकिस्तान उच्चायुक्त ने जाली करार दिया है । इससे यह पता लगता है कि श्री अतुल्य घोष सवेतन पाकिस्तान के एजेन्ट बने हुये हैं । राज्य सरकार का विचार था कि क्योंकि यह पुस्तिका भारत के विदेशियों से सम्बन्ध बिगाड़ने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य या सम्भावना से लिखी गई थी । यह भारत रक्षा नियम के 35 (7) के नियम 35 (6) (क) और (ख) के साथ पढ़े गये नियमों के अन्तर्गत आपत्तिजनक दस्तावेज है ।

क्योंकि सरकार की नीति भारत रक्षा नियमों को राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित सीमा क्षेत्रों तक ही सीमित रखना है, राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह भारत रक्षा नियमों का प्रयोग न करें।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों की यूनियन

*275. **श्री उमानाथ :** **श्री वी० विश्वनाथ मेनन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री के० अनिरुधन :**
श्री प० गोपालन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता प्रदान कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों को मान्यता देने से सम्बन्धित नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो नियम बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(च) इन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग कर्मचारी यूनियन को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श तथा पंच फैसला योजना में भाग लेने के लिये मान्यता प्राप्त माना जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श पद्धति तथा अनिवार्य पंच फैसला योजना प्रयोगात्मक अवधि के लिये प्रारम्भ कर दी गई है और सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं तथा संघों की मान्यता सम्बन्धित नियमों को बनाने का कार्य यथा-समय आरम्भ किया जायेगा।

U. P.-Bihar Boundary Dispute

*276. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the late Prime Minister Nehru had determined the perma-

nent boundary of Uttar Pradesh and Bihar on the basis of the Trivedi Commission Report and that both the States have agreed to the relevant Bill seeking to give effect to the recommendation made in that Report;

(b) whether it is also a fact that disputes over harvesting of crops, murder and violence have become a common feature on the border of the two States due to the non-implementation of the award; and

(c) whether it is also a fact that in the beginning of March, 1967, there had been violence on the border of Ballia (U. P.) and Shahabad (Bihar) resulting in the death of four persons and injuries to hundreds and consequently the inhabitants on both the sides have fled away from their villages and their crops are being looted?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) The present boundary between the Ballia District of Uttar Pradesh and Shahabad District of Bihar is the deep-stream of the river Ganga. This boundary fluctuates with the changing course of the river. Shri C. M. Trivedi had gone into the question whether the boundary should be replaced by a fixed boundary and, if so, what that boundary should be and had recommended a fixed boundary. These recommendations were accepted by the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, and thereafter a Bill for giving effect to the recommendations was referred to the legislatures of both the States under the proviso to article 3 of the Constitution. The legislatures of the two States have expressed their views on the Bill. The Government propose to introduce the Bill in the next session of Parliament.

(b) Disputes over harvesting of crops have arisen in the border areas because of the shifting nature of the inter-State boundary even before Shri Trivedi made his recommendations. Such disputes have not become a common feature because of non-implementation of these recommendations.

(c) According to information received from the Governments of Bihar and Uttar Pradesh, recently there was one incident on the Bihar side of the river Ganga in which three persons died and some were injured. According to the Government of Bihar, the number of injured persons is not reported but it was not in hundreds. The Government of Uttar Pradesh have reported that some cultivators living in thatched huts in the Diara area left that place after the incident. There is no report from either State Government of crops having been looted.

Activities of Missionaries in Bihar

*277. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the drought-stricken areas of Bihar, Christian missionaries are vigorously busy in converting hunger-stricken people by offering temptations;

(b) if so, the number of such persons converted by the Christian missionaries during the last three months; and

(c) the action taken to check such illegal religious conversions?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have no reason to believe that this is so.

(b) There is no law providing for the registration of conversions from one religion to another. The information asked for is therefore not available.

(c) No case of illegal religious conversion has come to notice.

मेसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता में छंटनी

*278 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री ने मेसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के लगभग 2,000 इंजीनियरी कर्मचारियों की छंटनी की सम्भावना को रोकने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए उनसे प्रार्थना की है तथा इस छंटनी करने का कारण उक्त कम्पनी ने यह बताया है कि उसके रेलवे माल डिब्बों के आर्डरों में कमी कर दी गई है;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले में रेलवे बोर्ड से बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले पर रेल मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ता में इंजीनियरी फर्में

*278-क. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री जे० एम० बिस्वास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता क्षेत्र की बड़े पैमाने पर काम करने वाली बहुत सी इंजीनियरी फर्में इस आधार पर, कि सरकारी आर्डरों, कच्चे माल तथा पुर्जों की कमी है, 5,000 से भी अधिक कर्मचारियों की छंटनी करना चाहती है;

(ख) क्या भारतीय इंजीनियरी संस्था के परामर्श से ऐसी कोई कार्यवाही की गई है जिससे कि ये फर्में पूरी क्षमता के साथ काम कर सकें और फर्म बंद न होने पायें तथा जबरी छुट्टी भी न करनी पड़े; और

(ग) अवमूल्यन कहां तक इंजीनियरी उद्योगों में आई इस मन्दी के इन संकेतों का कारण बना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कलकत्ता क्षेत्र की इंजीनियरी फर्मों द्वारा कुछ कर्मचारियों की छंटनी करने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं । सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार

से भी एक पत्र प्राप्त हुआ है कि रेलवे वैगन बनाने के आदेशों को न मिलने के कारण एक इंजीनियरी कम्पनी लगभग 2,000 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है।

(ख) और (ग). इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्री के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

*279. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री नाथपाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की एक प्रति देने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है;

(ख) क्या वर्तमान मुख्य मंत्री ने उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार को इस प्रतिवेदन की एक प्रति भेजने में यदि सरकार को कोई आपत्ति है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी हां। मामला विचाराधीन है।

कोयला खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड

*280 **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या सरकार ने वे सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी, 1967 में।

(ग) और (घ). बोर्ड की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। निर्णय यथा-शीघ्र घोषित किया जायगा।

मद्यनिषेध

*281. **श्री मोहसिन :** **श्री सी० जनार्दनन**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री पी० सी०अदिचन :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री के लकप्पा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने मद्यनिषेध समाप्त कर दिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है तथा सरकार का विचार उसे किस प्रकार क्रियान्वित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . इस विषय में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के कांडों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

*282 **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 मार्च, 1965 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन कहा जाने वाला एक दस्तावेज एक सदस्य द्वारा सभा-पटल पर रखा गया था;

(ख) क्या उस दस्तावेज से उड़ीसा के दो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों द्वारा किये गये कथित कदाचारों के बारे में गम्भीर तथ्यों का पता चलता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का बचन दिया था;

(घ) क्या वह कार्यवाही की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसी कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी हां । सदन के सभा-पटल पर एक सदस्य द्वारा ऐसा दस्तावेज रखा गया था जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन बताया गया था । इसमें उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे ।

(ग) से (च) . इस बारे में लोक-सभा में क्रमश: 23.2.66 तथा 2.11 66 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 175 और अतारांकित प्रश्न संख्या 157 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

कर सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिये विशेष अभिकरण

*282-क. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायालयों में लेख याचिकाओं तथा अपीलों के कर सम्बन्धी मामलों

को निपटाने के लिये एक विशेष अभिकरण स्थापित करने के बारे में विचार कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर कहां तक विचार किया जा चुका है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). अभी तक सरकार के सामने ऐसा कोई सुझाव नहीं है। मुकदमों की संख्या में लगातार होने वाली वृद्धि तथा कर सम्बन्धी कानूनों की जटिलता के कारण भूतपूर्व विधि मंत्री श्री जी० एस० पाठक का विचार एक केन्द्रीय कर न्यायालय स्थापित करने का था जो कर सम्बन्धी मामलों विशेषत: केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन मामलों का निर्णय करेगा ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए धन का नियतन

*283. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डाक्टर वी० के० आर० वी० राव के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये नियत राशियों में जो कटौतियां की गई हैं, उनका शिक्षा-स्तर में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर विशेषकर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या डा० राव ने यह भी कहा है कि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कटौती करने से शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) . जी, हां ।

(ग) हमने आयोजना आयोग को अभिवेदन भेजा है कि शिक्षा के लिए 1210 करोड़ रुपये के मूल आवंटन को कम नहीं किया जाना चाहिये । डा० राव के वक्तव्य के सम्बन्ध में आयोजना आयोग के निर्णय की भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

तार/टेलीफोन सेवायें

*284. **श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री ए० वी० पाटिल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को (एक) देश में टेलीफोन, तार और दूरसंचार सेवाओं की कार्य-चालन अकुशलता मशीनी तथा मानविक दोनों ही, तथा (दो) आपरेटरों आदि सम्बन्धित

कर्मचारियों, विशेष रूप से ट्रंक सेवा के आपरेटरों आदि के अभद्र व्यवहार के बारे में सार्वजनिक असंतोष की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं के कार्यस्तर (स्टैंडर्ड) को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) (i) शिकायतें मिलती हैं लेकिन प्रदाय सेवाओं की तुलना में उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है ।

(ii) इस तरह की शिकायतें बहुत कम हैं।

(ख) शिकायत के हरेक मामले कि जांच करने और उसे दूर करने की कार्रवाई करने के अलावा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उन पर निरीक्षण रखने, साथ ही लाइन व उपस्करों की देख-भाल की ओर लगातार ध्यान दिया जाता है । स्थानीय व ट्रंक संचार-सेवा में उन्नत टेक्नोलोजी का इस्तेमाल होने के साथ-साथ सेवा के स्तर में धीरे-धीरे सुधार हो जाने की आशा है ।

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

*285. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री पी० सी० अदिचन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं; और

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की राज्य-सरकारों से टिप्पणियां मिल गई हैं अन्य राज्य सरकारों के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) शिक्षा आयोग की रिपोर्ट को अमल में लाने के लिये एक कार्यक्रम बनाया गया है । शिक्षा मंत्री राज्य सरकारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करने के लिये कई राज्यों के दौरे करेंगे । राज्य शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन 28 और 29 अप्रैल को बुलाया जा रहा है । रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जा रही है और संसद के अगले सत्र में रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा । इन चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग की मुख्य सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए तथा तुरन्त कार्रवाई के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए

विचार किया जा रहा है। वित्तीय संसाधनों के अनुसार जितना भी हो सकेगा, इस कार्यक्रम पर अमल करने के लिए 1967-68 से ही कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू

*286. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा बनाने के बारे में नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया है; और

(ख) क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि उन राज्य सरकारों से उर्दू को राजभाषा बनाने का अनुरोध किया जाये जहां पर जनता अधिक संख्या में उर्दू बोलती हो ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार के राज्यपाल ने 17 मार्च, 1967 को नये विधान-मण्डल के समक्ष अपने अभिभाषण में कहा था कि उर्दू को राज्य में दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जायगी।

(ख) जी नहीं।

जयपुर में तारों की बुकिंग

* 287. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मार्च, 1967 को जयपुर में राजस्थान के विरोधी दलों के नेताओं द्वारा दिए गए तार बुक नहीं किये गये थे;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे महत्वपूर्ण तार उस दिन दिल्ली में अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता से ही भेजे जा सके; और

(ग) डाक तथा तार विभाग द्वारा इस प्रकार पाबन्दी लगाने के क्या कारण थे, जिससे जनता को अचानक असुविधा हुई ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) फिर भी भारतीय तार अधिनियम के खंड 5 (i) (ख) के अन्तर्गत 9 मार्च, 1967 को बुक होने के बाद कुछ तारों का भेजना रोक दिया गया था।

बस्तर कांड के बारे में पाण्डे आयोग का प्रतिवेदन

*288. **श्री नाथपाई :** **श्री राम सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जगदलपुर (बस्तर) की घटनाओं के बारे में पाण्डे आयोग के

प्रतिवेदन की एक प्रति मिल गई है;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) यह आयोग राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था । अतः उसके प्रतिवेदन पर विचार भी उन्हीं को करना है ।

(ग) यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता के सामने रख दिया गया है । इस बात को देखते हुए उसकी प्रति सदन के सभा-पटल पर रखने का कोई विचार नहीं है । फिर भी इसकी कुछ प्रतियां पुस्तकालय के लिये उपलब्ध कराई जायेंगी ।

Anti-Cow Slaughter Agitation

*288-A. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the present position of anti-cow slaughter agitation and the fasts undertaken by some eminent saints for this cause ;

(b) whether Government have taken any decision in this regard so far and if so, the nature thereof; and

(c) the time likely to be taken to bring round the States not in favour of total ban on cow-slaughter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The fasts have been given up but the agitation continues.

(b) In a statement issued on 5th January, 1967 the Government have announced their decision to set up a committee to go into the question of cow protection. The composition and the terms of reference of the committee will be announced at an early date.

(c) An early opportunity will be taken to approach such States.

डाकघरों की मुहरें

510. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के डाकघरों की मुहरें इतनी खराब हो चुकी हैं कि पत्रों के प्रेषण की तिथि तक भी स्पष्ट पढ़ी नहीं जा सकतीं; और

(ख) यदि हां, तो इसको सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) नियम के बतौर इस्तेमाल के लिए बेकार होते ही खराब मुहरों को बदल दिया जाता है । फिर भी मुहरों

की अस्पष्ट छाप लगी रहने का मुख्य कारण यह है कि कुछ कर्मचारी साफ और स्पष्ट मुहर लगाने में, खास तौर से उस समय जबकि काम का अत्यधिक जोर होता है, पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) समय-समय पर मुहरों की हालत की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें नियमित रूप से तेल लगाया जाए व उन्हें साफ किया जाए कार्यालय अध्यक्षों को विस्तृत अनुदेश जारी कर दिये गए हैं।

(ii) मुहरें साफ करने की एक मशीन बनाई गई है और यह मशीन बहुत से डाकघरों को भेज दी गई है।

(iii) कार्यालय अध्यक्षों से कहा गया है कि वे उन कर्मचारियों के काम की, जिन्हें मुहर लगाने का काम सौंपा गया हो, उचित देखरेख करें।

(iv) यह सुनिश्चित करने की कार्रवाई भी की जा रही है कि डाक-मुहर तथा मुद्रा सहकारी संस्था, अलीगढ़ द्वारा बनाई जाने वाली मुहरें व मुद्राएं अपेक्षित स्तर की हों।

(v) यह जांच करने के लिए कि मुहरों की छाप साफ और स्पष्ट होती है या नहीं समय-समय पर विशेष निरीक्षण-अभियान भी किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में पदोन्नतियां

511. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के विरुद्ध कुछ लोगों को अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों पर पदोन्नत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनियमितता करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन अनियमित पदोन्नतियों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए व्यक्तियों को वरिष्ठता का अथवा अन्य प्रकार का लाभ दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1961 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में लोअर डिवीजन क्लर्कों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर कुछ अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों पर पदोन्नत किया गया था। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 1949 में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठता की सूची बना ली थी। इसका बाद में पता लगा कि गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदेशों में परिवर्तन किया गया था। गृह मंत्रालय की सलाह से वरिष्ठता

की सूची का नये परिवर्तित अनुदेशों के अनुसार पुनर्विलोकन किया गया और एक नई वरिष्ठता सूची तैयार की गई ।

पुरानी परीक्षात्मक वरिष्ठता सूची के आधार पर जो पदोन्नतियां की गई थीं उनका बाद में पुनर्विलोकन किया गया और परिवर्तित वरिष्ठता सूची के अनुसार व्यक्तियों की पदोन्नतियां की गईं ।

(ख) यह वास्तविक गलती थी अतः किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) और (घ). पदोन्नत किये गए व्यक्तियों को पदोन्नत की गई तारीख से वरिष्ठता दी गई है । कुछ व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में अभिवेदन दिया है । उनका अभिवेदन विचाराधीन है ।

राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

512. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीस के राजनैतिक पीड़ितों से पिछले चार महीनों में केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस अवधि में उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तीन ।

(ख) उनमें से एक को 300 रुपये का अनुदान दिया गया ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या

513. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने न्यायाधीश हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 1 अप्रैल, 1967 को 222.

(ख) सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जाति का कोई हिसाब नहीं रखती ।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

514. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामन्चद्र उलाका :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1966 को उड़ीसा के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज थे; और

(ख) दिसम्बर, 1966 के अन्त तक उनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जानकारी नीचे दी गई है :

प्रार्थी का वर्गीकरण	रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर में दर्ज नाम जैसे कि 31-12-66 को थे।	जनवरी-दिसम्बर, 1966 के बीच नियुक्ति सहायता पाने वाले।
अनुसूचित जाति	6,473	1,899
अनुसूचित आदिम जाति	8,294	1,625

डाकघरों में जमा राशि

515. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1966 तक लघु बचत योजना अभियान के अन्तर्गत उड़ीसा के विभिन्न डाकघरों में कुल कितनी राशि जमा थी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : 31 दिसम्बर, 1966 तक उड़ीसा में सभी डाकघरों में विभिन्न लघु बचत योजनाओं में जमा हुई कुल रकम इस समय उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1 अप्रैल, 1966 से 31 दिसम्बर, 1966 के दौरान जमा हुई कुल रकम 8,48,80,000 रु० थी और इसी दौरान जमा हुई निबल रकम 2,20,15,000 रु० थी।

खेतिहर तथा बागान मजदूरों के कार्मिक संघ

516. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने खेतिहर तथा बागान मजदूर हैं; और

(ख) खेतिहर तथा बागान मजदूर के कितने मजदूर संघ हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). खेतिहार और बागान मजदूरों तथा उनके मजदूर संघों की वर्तमान संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है । फिर भी जो सूचना प्राप्य है वह नीचे दी गई है :

(1) भारत की 1961 की जनगणना के अनुसार खेतिहर मजदूरों की संख्या·········3.15 करोड़ ।

(2) भारत की 1961 की जनगणना के अनुसार बागानों की संख्या·········11.90 लाख

(3) खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिध मजदूर संघों की संख्या·········247

(4) बागान मजदूरों के प्रतिनिधि मजदूर संघों की संख्या·········130

Reduction in Price of Post-Card

517. **Shri D. S. Patil:** **Shri T. A. Patil:**
Shri Baswant: **Shri Kamble:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to reduce the price of post-card from 6 to 5 paise; and

(b) if so, the loss of revenue per annum likely to accrue to Government as a result thereof?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No.

(b) Does not arise.

Manufacture of Hindi Teleprinters

518. **Shri D. S. Patil:** **Shri T. A. Patil:**
Shri Baswant: **Shri Kamble:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the progress made to manufacture the Hindi Teleprinters and increase the capacity of the Hindustan Teleprinters Ltd.; and

(b) the number of teleprinters to be produced per annum?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). The expansion programme for increasing the capacity of the Hindustan Teleprinters Limited from 1,300 unit teleprinters to 8,500 unit teleprinters per annum, to be achieved in stages by 1970-71, has been undertaken by the Company and is making satisfactory progress. During the year 1966-67, more than 2,600 teleprinters are expected to be produced. For the year 1967-68, the target of production is 3,500 unit teleprinters.

The Hindustan Teleprinters Limited are also negotiating a Contract with their collaborators M/s. Olivetti of Italy, for the supply of tooling and know-how under Italian Credit for the manufacture of Hindi Teleprinters.

Jammu and Kashmir-Delhi Direct Telephones System

519. **Shri D. S. Patil:** **Shri T. A. Patil:** **Shri Baswant:** **Shri Kamble:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the progress made to connect Jammu and Kashmir with Delhi by direct dialling telephone system; and

(b) the time likely to be taken to start the service?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The work on the installation of microwave system between Jullundur-Jammu and Srinagar has been completed and the tests for commissioning the system are in progress. The circuits derived on this system will make possible introduction of subscriber trunk dialling service on Delhi-Srinagar, Delhi-Jammu and Jammu-Srinagar routes.

(b) Two to three months.

Postal Stores Depots

520. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Posts and Telegraphs Department has reorganised its Postal Stores Depots;

(b) whether the Aligarh, Nasik Road and Calcutta Stores Depots have been declared as separate units; and

(c) if so, the reasons for not declaring the Stores Depots at Patna, Muzaffarpur, Lucknow and other places as separate units?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, except in Delhi and Jammu and Kashmir Circles.

(b) Yes.

(c) These depots also are separate units, but since their establishment is small, the staff is drawn from neighbouring postal divisions unlike the larger depots at Aligarh, Nasik Road and Calcutta.

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा खोले गये नये स्कूल

521. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका ने 1965-66 तथा 1966-67 में कितने नये स्कूल खोले थे तथा उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) 1966-67 में और नये स्कूल न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1965-66···2 स्कूल
(1. एस० बी० प्राइमरी स्कूल, उत्तर रेलवे कालोनी, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली और 2. एम० बी० प्राइमरी स्कूल नं० 5 किदवई नगर, नई दिल्ली ।)

1966-67 कोई नहीं ।

(ख) 1966-67 की दाखिले की स्थिति को देखते हुए कोई नया स्कूल खोलना ठीक नहीं समझा गया था ।

नई दिल्ली के स्कूलों का विलय

522. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका 1966-67 में कितने स्कूलों का प्रबन्ध करती थी तथा इन स्कूलों में कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या एक ही बस्ती के विभिन्न स्कूलों का एक स्कूल में विलय करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों के अध्यापकों तथा मुख्याध्यापकों ने इस प्रकार स्कूलों के विलय पर इस आधार पर आपत्ति की है कि विलय के बाद प्रत्येक स्कूल के इतने बच्चे हो जायेंगे कि उनको सम्भालना सम्भव नहीं हो सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) स्कूलों की संख्या : 81
पढ़ने वाले बच्चों की संख्या : 26,753

(ख) जी हां । आठ प्राथमिक स्कूलों का 1-5-1967 से विलय किया जायगा । तम्बुओं में लगने वाले स्कूलों की संख्या कम करने, ऊपरी खर्च को कम से कम करने और स्कूलों के बच्चों पर कारगर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली में स्कूल

523. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली क्षेत्र में ऐसे स्कूलों की संख्या क्या है जिनका प्रबन्ध दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन करता है; और

(ख) क्या उपरोक्त सभी स्कूलों में दो पारियां हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क)

दिल्ली नगर निगम	428 स्कूल
दिल्ली प्रशासन	69 स्कूल

(ख) जी नहीं; दो पारियों में चलने वाले स्कूलों की संख्या नीचे दी जा रही है :

दिल्ली नगर निगम	401 स्कूल
दिल्ली प्रशासन	28 स्कूल

भारत में ईसाई धर्म-प्रचारक

524. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने ईसाई धर्म-प्रचार मंडल और धर्मप्रचारक हैं;

(ख) वे किन-किन देशों के हैं;

(ग) इन धर्म-प्रचारकों को किन-किन देशों से कितनी-कितनी धनराशि मिलती है;

(घ) गत पांच वर्षों में इन धर्मप्रचारकों द्वारा राज्यवार कितने हिन्दुओं को ईसाई बनाया गया;

(ङ) ये धर्मप्रचारक किन-किन जिलो में अत्यधिक सक्रिय रहे हैं;

(च) देश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंजीकृत विदेशी धर्म-प्रचारक मंडलों तथा विदेशी ईसाई धर्मप्रचारकों की संख्या 1 जनवरी 1966 को क्रमशः 114 तथा 4214 थी ।

(ख) संसार के लगभग सभी देशों के ।

(ग) आधुनिकतम सूचना 1965 के बारे में उपलब्ध है । इसको बताने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-242/67]

(घ) और (ङ). एक धर्म से दूसरे धर्म में होने वाले धर्म परिवर्तनों के पंजीकरण की किसी कानून में व्यवस्था नहीं है अतः धर्म, राज्य तथा क्षेत्रवार मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है । किन्तु 1962 से 8305 व्यक्तियों के बपतिस्मा लेने अथवा ईसाई बनने की सूचना मिली है ।

(च) बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तनों का कोई उदाहरण सामने नहीं आया ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Industrial Committee on Dhanbad Coal Mines

525. **Shri Ram Singh:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial Committee on Dhanbad Coal Mines has submitted its recommendations;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken in regard thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b). A statement containing the main conclusions of the 10th Session of the Industrial Committee on Coal Mining held at Dhanbad on 30th January, 1967, is being laid on the Table of the Lok Sabha today.

(c) These conclusions have been circulated to all concerned for necessary action.

ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल

526. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने स्कूलों को सरकारी सहायता मिलती है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन स्कूलों को कुल कितनी राशि की सरकारी सहायता दी जाती है;

(घ) क्या मिशन के इन स्कूलों में गैर-ईसाई बच्चों को ईसाई प्रार्थनाएं तथा प्रश्नोत्तरी सिखाने पर जोर दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने स्कूल हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

इम्फाल में गोलीकांड

527. **श्री एम० मेघचन्द्र**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इम्फाल में 27 अगस्त, 1965 को गोली चलाये जाने के लिये उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में मिश्र आयोग की रिपोर्ट के अनुपालन में कोई निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दूसरी गोलाबारी के बारे में जिसमें बेखोन नीलमणि सिंह नामक एक व्यक्ति मारा गया था केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मनीपुर राइफल्स की पहली बटालियन के व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302/304/304-क/307 और 308 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है । मामले की जांच चल रही है ।

Anand Marg Institution

528. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:
Shri Shashi Ranjan:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new religious and political institution called 'Anand Marg' is functioning in the country.

(b) if so, whether Government are aware that Shri Prabhat Ranjan Sarkar (Anand Murti), the founder and organiser of this institution is working in some Office of Eastern Railway at Jamalpur;

(c) whether he obtained the permission from Government for working in this institution; and

(d) whether Government are aware of the fact that this institution had put up its candidates in the recent General Elections as independent candidates?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Government are aware of an organisation called the "Anand Marg".

(b) to (d). Necessary enquiries are being made.

चन्देल मुख्यालय (हैडक्वार्टर) पर नागाओं द्वारा आक्रमण

529. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 फरवरी, 1967 को अपर बर्मा की सीमा के साथ लगे हुए मनीपुर के सब-डिवीजन तेंगनोपाल के चन्देल मुख्यालय पर स्वचालित हथियारों से लैस विद्रोही नागाओं ने आक्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 22 फरवरी, 1967 की रात को तीन बजकर पचीस मिनट पर करीब 40 नागा विद्रोहियों ने सब-डिवीजन तेंगनोपाल के चन्देल स्थित मुख्यालय पर चारों ओर से गोलाबारी करते हुए आक्रमण कर दिया। मनीपुर राइफल्स तथा पुलिस ने जवाब में गोली चलाई और प्रात: 5 बजकर 30 मिनट तक दोनों ओर से बराबर गोली चलती रहीं। हमारी तरफ कोई मृत्यु नहीं हुई।

(ग) चन्देल पुलिस स्टेशन पर एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है।

हिमाचल प्रदेश को पंजाब न्यायालयों से फाइलों का हस्तांतरण

530. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पुनर्गठन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में मिलाये

गये पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित न्यायिक तथा राजस्व की फाइलें पंजाब न्यायालयों द्वारा हिमाचल प्रदेश को सौंपी नहीं गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश में फाइलें न होने के कारण मुकद्दमों में अन्तर्ग्रस्त हिमाचल प्रदेश निवासियों को अपने मुकद्दमों में निर्णय न हो सकने के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश को ये फाइलें न सौंपी जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोचीन-गोदी श्रमिक बोर्ड

531. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल उच्च न्यायालय ने कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के विरुद्ध एक व्यादेश (इंजंकशन) जारी किया है जिसके द्वारा बोर्ड को अपना 8 दिसम्बर, 1966 का निर्णय, जिसके अनुसार हड़ताल पर श्रमिकों को नौकरी छोड़कर चले गये माना जायेगा, लागू करने से रोका गया है;

(ख) क्या इसके पूर्व केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी ने कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड को उक्त निर्णय के विरुद्ध परामर्श दिया था; और

(ग) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड को यह अवैध निर्णय लागू करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) केरल उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी, 1967 को एक व्यादेश जारी किया था परन्तु बाद में इसे 6 मार्च, 1967 को वापस ले लिया गया था । तत्पश्चात संघ ने अपील दायर की जिसे 27 मार्च, 1967 को रद्द कर दिया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड को हड़ताल करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध स्थायी आदेशों के अधीन कार्यवाही के प्रश्न को यथासम्भव शीघ्र निबटाने का परामर्श दिया गया था । 25-3-67 के अपने निर्णय के अनुसरण में बोर्ड ने उन श्रमिकों को वापस ले लिया है जिन्होंने 1 से 8 दिसम्बर तक हड़ताल की थी ।

काश्मीर में पाये गये हथियार तथा गोला-बारूद

532. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1966 के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय आरक्षित

पुलिस (सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस) ने काश्मीर में हथियारों तथा गोला-बारूद के जखीरों का पता लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार गोला-बारूद चोरी-छिपे लाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) सुरक्षा सेना द्वारा युद्ध विराम रेखा/सीमा पर पहरा तथा सतर्कता।

तकनीकी संस्थाओं के लिए अमरीकी ऋण

533. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** 30 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2627 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अमरीका में निर्मित साज-सामान प्राप्त करने के सम्बन्ध में अमरीका की सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिये की जा रही बात-चीत में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास के अमेरिकी अभिकरण ने अमेरिका से साज-सामान प्राप्त करने के लिये 120 लाख डालर के ऋण के लिए प्राधिकृत किया है। ऋण करार मसौदे पर अमेरिकी प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये उद्योगों पर शुल्क लगाना

534. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री 30 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करने के हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से उद्योगों पर शुल्क लगाने की सिफारिश पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में कारों और स्कूटरों की चोरी

535. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में राजधानी में कारों और स्कूटरों की

चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) इस अवधि में कितनी कारें/स्कूटर चोरी हुए ;

(ग) इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1 दिसम्बर, 1966 से 28 फरवरी, 1967 तक की अवधि में 1965 और 1966 में इसी अवधि के दौरान हुए मामलों की तुलना में कारों की चोरी के मामलों की संख्या में तो कुछ वृद्धि हुई है, किन्तु स्कूटरों की चोरी के मामलों की संख्या में कुछ कमी हुई है । सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :

अवधि	चुराई गई कारों की संख्या	चुराये गए स्कूटरों की संख्या
1-12-65 से 28-2-66 तक	30	47
1-12-66 से 28-2-67 तक	36	36

(ग) अप्रैल, 1963 से दिल्ली गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा की ओटो थेफ्ट स्क्वॉड मोटर गाड़ियों के चुराये जाने सम्बन्धी मामलों में कार्य कर रही है । यह स्क्वॉड पूर्ण रूप से पुलिस की अपराध शाखा के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट के निरीक्षण में दिन रात कार्य कर रहा है । जैसे ही किसी कार के चोरी जाने की सूचना पुलिस स्टेशन पर या पुलिस नियंत्रण कक्ष में मिलती है उसकी सूचना तत्काल ही स्क्वॉड के अधिकारियों को दे दी जाती है और वह इस सम्बन्ध में जांच करते हैं । स्कूटर तथा इसी प्रकार की दूसरी गाड़ियों के मामलों में पुलिस के तीन विभागों में विशेष रूप से शिक्षित कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

प्रभावित क्षेत्रों में सादे कपड़ों में लोगों को भेजा जाता है ताकि वे अपराधियों की खोज कर सकें और उनको पकड़ने के लिये कोशिश कर सकें ।

प्रभावित पुलिस क्षेत्रों के विभाग अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के अनुदेश दे दिये गये हैं । पूर्व अपराधी और सन्देहित कार/स्कूटर चोरों की गतिविधियों पर स्थानीय पुलिस की सहायता से अपराध शाखा निगरानी रखते हैं ।

गाड़ियों के पुर्जों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों तथा अन्य सूत्रों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है ।

दिल्ली पुलिस अपनी सहायक बम्बई तथा कलकत्ता पुलिस से जांच के लिये सम्बन्ध स्थापित कर रही है ।

(घ) 1-12-66 से 28-2-67 तक पुलिस के पास दर्ज कारों की चोरी के मामलों में 14 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और स्कूटरों की चोरी के मामलों में 13 ।

शिक्षित और प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देना

536. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की नई दिल्ली में 8 मार्च, 1967 को हुई बैठक में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 15 लाख शिक्षित और प्रशिक्षित महिलाएं बेरोजगार बैठी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि पोलिटेक्निकों में प्रशिक्षण-प्राप्त महिलाओं को भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षित और शिक्षित महिलाओं को पूर्ण रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(घ) आशा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कारण पढ़े-लिखे और प्रशिक्षित व्यक्तियों को जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, बढ़े हुए रोजगार अवसर मिलेंगे ।

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी कक्षायें

537. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी की कक्षाओं में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जुलाई, 1966 में घट कर 26500 हो गई थी जबकि अक्तूबर, 1965 में यह 40,500 थी । तबसे यह संख्या पुनः बढ़ गई है । जो अंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार अक्तूबर, 1966 में यह संख्या 34500 हो गई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रीगल पार्क (नई दिल्ली) में पटाखों के फटने की घटना

538. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीगल पार्क (नई दिल्ली) में, जहां जनसंघ की एक सभा हुई थी, पटाखे फटने के सम्बन्ध में 27 फरवरी, 1967 को एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) जांच जारी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारी

540. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में तृतीय और चौथी श्रेणी के ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अपने वेतनक्रम में तीन वर्ष से अधिक सेवा की है परन्तु वे अभी तक अस्थायी हैं ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पिछले दस वर्षों से लोअर डिवीजन क्लर्क का कार्य कर रहे हैं और उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Decision on Goa

541. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether final decision has been taken in regard to keeping the areas of Goa, Daman and Diu as Union territories, on the basis of the opinion-poll held there; and

(b) the nature of efforts being made to make Goa economically self-sufficient ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government of India have decided, taking into consideration the result of the 'Opinion Poll,' to continue Goa, Daman and Diu as Union territory.

(b) Development of Goa in various sectors is proceeding according to the schemes formulated in the various Five Year Plans.

भारत अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान

542. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री नाथ पाई :
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिष्ठान की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) से (ग). पिछले कुछ महीनों में भारत तथा अमेरिका सरकार के बीच इस सम्बन्ध में कोई चर्चा अथवा पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है। स्थिति 27 जुलाई, 1966 के प्रश्न संख्या 63 के लोक सभा में दिये गये उत्तर के समान ही है।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

543. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एम० वी० राजशेखरन :
श्री रा० बरुआ :
श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्री रामचरण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या देश में विद्यार्थियों में बढ़ रही अनुशासनहीनता को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०-टी०** 243/67]

प्रशासनिक सुधार आयोग

544. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सूपकार :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री गु० च० नायक :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री अ० दीपा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक

सुधार आयोग ने अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) इस आयोग द्वारा सरकार को अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर अब तक क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने परीक्षा के लिये गये विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन तथा प्रतिवेदन देने के लिये 18 अध्ययन दल एवं 3 कार्यकारी वर्ग बनाये हैं। इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों द्वारा भी इसी प्रकार के 14 वर्ग आयोग की सहायता के लिये, बनाये गये हैं। अब तक आयोग को तीन अध्ययन दलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं शेष में से अधिकतर की मई, 1967 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है। आयोग ने जनता की शिकायतों को दूर करने के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किया है और अप्रैल, 1967 के दौरान योजना कार्यप्रणाली पर एक और भेजने की आशा करता है।

(ख) इस समय पर एक निश्चित तिथि देना सम्भव नहीं है किन्तु आयोग का ध्येय लगभग 1967 के अन्त तक अपना काम समाप्त कर देना है।

(ग) 18 मार्च, 1967 को संसद में दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुच्छेद 14 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति को बताता है।

श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

545. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके काम में कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) आयोग की अभी तक दो बैठकें हुई हैं। इसने जांच की अपनी पद्धति निश्चित कर ली है और कार्य का कार्यक्रम बना लिया है। आयोग को आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1968 तक सरकार को पेश कर देगा।

Development of Sanskrit

546. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the outlines of the scheme for the development of Sanskrit have been prepared on the basis of the funds allocated therefor in the Fourth Five Year Plan;

(b) whether it is a fact that some provision would be made in this scheme for the publication of Sanskrit manuscripts as also for conducting research in them;

(c) whether Government have received any proposal to increase the amount provided for in the Plan; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) ; (a) and (b). Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

कोयले से संश्लिष्ट प्रोटीन

547. **डा० पी० मंडल :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हालैंड की प्रयोगशालाओं में कोयले से संश्लिष्ट प्रोटीन तैयार किया गया है; और

(ख) क्या सरकार इस देश में भी इस विधि का प्रयोग करने की संभावनाओं का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) इस बारे में, फिलहाल कोई प्रयोगात्मक कार्यक्रम नहीं है।

शिव सेना, बम्बई

548. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री नम्बियार :**
श्री उमानाथ : **श्री इन्दुलाल याज्ञिक :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई नगर में रहने वाले महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के विरुद्ध शिव सेना द्वारा की गई कार्यवाहियों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संस्था की गतिविधियों को राष्ट्रीय एकता की भावना के लिये हानिकारक समझती है; और

(ग) अन्य राज्यों में इसकी प्रतिक्रियाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस राज्य में महाराष्ट्र से बाहर के लोगों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को शिव सेना की कार्यवाहियों के बारे में बहुत से पत्र प्राप्त हुये हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से तथ्यों के बारे में पक्की सूचना मांगी है।

बर्मा से वापस आये भारतीय

549. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में भारतीय उद्भव के कितने लोग बर्मा से भारत आये हैं; और

(ख) उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्रथम दिसम्बर, 1966 से 3,515 व्यक्ति बर्मा से भारत आये हैं।

(ख) एक विवरण जिसमें बर्मा से आये लोगों के लिये किये गये पुनर्वास उपाय तथा मंजूर की गई योजनाओं का ब्योरा दिया गया है, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-244/67]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश में नियुक्ति

550. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने दिनांक 19 अक्तूबर, 1966 को परिपत्र संख्या एफ०-/8/19/65 डी० एच० एस० जारी किया था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परिपत्र के कारण उस संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो गया है क्योंकि यह उस संघ राज्य क्षेत्र के सहायक इंजीनियरों को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के विलय के बाद पदोन्नति से वंचित कर देगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश को इस परिपत्र के कार्य क्षेत्र से बाहर रखने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिनांक 19 अक्तूबर, 1966 के परिपत्र संख्या एफ०-/8/19/65 डी० एच० (एस) के अनुसार सहायक इंजीनियर के 50 प्रतिशत तथा कार्यकारिक इंजीनियर और इससे ऊपर के 75 प्रतिशत पदों की पूर्ति लोक निर्माण विभाग, केन्द्र जल-शक्ति आयोग तथा राज्यों से प्रति नियुक्ति करके की जायेगी।

(ख) हिमाचल प्रदेश इंजीनियर संस्था ने प्रतिनिहित किया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हिमाचल प्रदेश प्रशासन के इंजीनियरों में से की जानी चाहिये।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

दण्डकारण्य परियोजना के लिये चौथी योजना में आवंटन

551. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिये दण्डकारण्य परियोजना के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय अवधि में किये गये 30 करोड़ रुपये के मूल नियतन में अब परिवर्तन कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) 4·50 करोड़ रुपये ।

(ख) तथा (ग). जी हां, मूल नियतन 30 करोड़ रुपये से परिवर्तित कर 27 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है ।

उड़ीसा में खुलने वाले नये डाकघर

552. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 के दौरान उड़ीसा राज्य में कितने नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : आर्थिक कठिनाइयों के कारण नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर कुछ पाबन्दियां लगा दी गई हैं । अगर यह हटा दी जाएं तो 1967-68 में 100 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । 12 विभागीय उप-डाकघर भी खोले जाने की संभावना है । 77 डाकघरों के प्रस्तावित स्थानों के नाम साथ की सूची में दिये गए हैं । [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-245/67] शेष प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

प्राथमिक पाठशालाओं को सहायता

553. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री 23 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक पाठशालाओं के लिये राज्यों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा के बारे में इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). प्राथमिक शिक्षा के अधीन राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता का जो स्वरूप तय किया गया है, वह इस प्रकार है :

सहायता का स्वरूप

एक. **केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं**	
शिक्षक प्रशिक्षण (प्राथमिक) डाक द्वारा पाठ्यक्रम	100 प्रतिशत
दो. **केन्द्र द्वारा प्रायोजित वे योजनाएं, जिनको राज्यों को सौंप देने के लिये सहमति हो चुकी है**	
शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा सुधार कार्यक्रम	50 प्रतिशत
तीन. **केन्द्र द्वारा सहायता-प्राप्त योजनाएं**	
सामान्य शिक्षा	
लड़कियों की शिक्षा के लिये विशेष योजनाएं	75 प्रतिशत
मिडिल स्कूलों में विज्ञान का सुधार	75 प्रतिशत
शिक्षक प्रशिक्षण (प्राथमिक और माध्यमिक)	75 प्रतिशत
अन्य योजनाएं	40 प्रतिशत

Pakistani Families in Krishna Nagar, West Bengal

554. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Pakistani families are still residing illegally in Krishna Nagar of Nadia District ;

(b) whether it is also a fact that a number of such families were arrested in the second week of March, 1967; and

(c) if so, the steps taken for sending such families back to Pakistan or to remove them from that place ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

अंग्रेजी का जारी रहना

555. **श्री नाथपाई :**
श्री सूपकार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में जारी रहने देने की व्यवस्था करने के लिये संविधान में संशोधन करने के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से बातचीत करेंगे ;

(ख) क्या मद्रास सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि केन्द्र की सरकारी भाषा के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिये संसद् में शीघ्र ही कानून पेश किया जायेगा।

युवक सेवाओं का विभाग

556. **श्री राम किशन :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री एम० वी० राजशेखरन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रचनात्मक कार्यों के लिये युवकों की सेवाओं का उपयोग करने के उद्देश्य से उनके मंत्रालय में युवक सेवाओं का एक नया विभाग बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय में एक युवक सेवाओं का विभाग बना दिया गया है।

दिल्ली में अपराधों का बढ़ना

557. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले चार मास में हिन्सात्मक अपराधों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सुधार करने और उसकी रोकथाम करने के लिये कौन से उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसन्धान का विकास

558. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान का विकास एवं विस्तार करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान विस्तार करने की योजना को, योजना आयोग ने अभी अन्तिम रूप देना है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में पाकिस्तानी जासूस

559. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1966 से फरवरी, 1967 की अवधि में पाकिस्तानी जासूसों का भारत में आना जारी था;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने जासूस गिरफ्तार किये गये; और

(ग) क्या पाकिस्तानी जासूसों को शरण देने के कारण कुछ भारतीय भी गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). इस अवधि के दौरान 19 व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिये जासूसी करने के सन्देह में गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) जी, हां ।

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के बाजार

560. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने आसाम सरकार को आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर उन बाजारों को पुनः खोलने की अनुमति दे दी है जो सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद सील कर दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के मुख्य कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, बहुत ही सीमित स्तर पर चुने हुये हाटों के बारे में ही ।

(ख) स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को देखते हुये सीमावर्ती हाटों को खोलना आवश्यक हो गया । फिर भी इन हाटों से पाकिस्तान को आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

I. C. S. Officers in Bihar

561. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have insisted on sending all I. C. S. Officers back to the Centre; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). No, Sir. There is no such suggestion from the Government of Bihar.

Murders Committed in Delhi

562. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Atal Behari Vajpayee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of murders committed in Delhi during 1966-67 ;

(b) the increase in the percentage over their number in 1965-66; and

(c) the steps being taken to prevent them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 67.

(b) There has been a decrease of 15·2%

(c) Besides maintaining constant vigilance against Commission of offences of any type action under the preventive sections of the Code of Criminal Procedure is taken where there is known previous enmity between any two parties.

P. and T. Building, Kotah

563. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a big P. and T. building is being constructed in Kotah, Rajasthan;

(b) whether it is also a fact that the construction work is not being carried out according to the specifications; and

(c) if so, the reasons therefor and the time likely to be taken to complete the construction of the building?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, a building costing Rs. 7·7 lacs (approximate) to accommodate H. P. O. and D. T. O. is under construction at Kotah, Rajasthan.

(b) No, the work is being carried out as per specifications.

(c) The building is expected to be completed by the end of December, 1967.

उड़ीसा में प्राचीन मन्दिरों तथा स्मारकों का संरक्षण

564. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उड़ीसा में किन्हीं प्राचीन मन्दिरों तथा स्मारकों के अभिरक्षण की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में भुवनेश्वर के प्राचीन अभिरक्षित मन्दिरों तथा स्मारकों की मरम्मत, देखभाल तथा उन्हें सुन्दर बनाने के लिये कोई राशि नियत की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां। उड़ीसा के बोलंगिर जिले में झरिया में स्थित चौसट्टी जोगिनी मंदिर और साथ के तीन मंदिरों को 1967-68 में अभिरक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और अनुरक्षण, भारत के पुरतत्वीय सर्वेक्षण का सामान्य कार्य है और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित खर्च सर्वेक्षण के वार्षिक बजट से पूरा किया जाता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये मामले

565. **श्री अब्दुल गनी दार:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितने मामले सौंपे गये थे;

(ख) उपरोक्त अवधि में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामले निपटाये हैं; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किस प्रकार के मामले सौंपे गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 1966 के दौरान विशेष पुलिस संस्थान ने 2466 नये मामले हाथ में लिये ।

(ख) इन 2466 मामलों में से 1418 मामले इस प्रकार निपटाये गये हैं :

न्यायालयों में जांच के लिये भेजे गये	... 136
नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गये	... 920
ऐसी कार्यवाही के लिये जो मंत्रालयों/ विभागों द्वारा ठीक समझी गई, भेजे गये	... 244
पर्याप्त प्रमाण के अभाव में उठा लिये गये	... 118

शेष 1048 मामलों में पूछताछ/जांच बाकी है ।

(ग) इन मामलों का सम्बन्ध ऐसे आरोपों से था जिनमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत, आपराधिक दुराचरण (पक्षपात, गैरकानूनी आर्थिक लाभ, आय के अनुपात में अधिक परिसम्पत का स्वामित्व आदि), अपहरण, धोखादेही, जालसाजी तथा विभागीय कदाचार एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा धोखादेही तथा अन्य भ्रष्टाचरणों के आरोप लगाये गये थे ।

विश्वकोष का प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन

566. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वकोष का प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन करने के लिए वित्तीय सहायता देने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी प्रादेशिक भाषाओं में विश्वकोष प्रकाशित किया जायेगा तथा प्रत्येक के लिए कितनी-कितनी धनराशि देने का विचार है ; और

(ग) क्या इस प्रकार की सहायता सम्बन्धित संस्थाओं को सीधी दी जायेगी अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आधुनिक भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता नामक योजना के अन्तर्गत विश्वकोशों को तैयार करने और/अथवा उनके प्रकाशनार्थ अनुदान दिये जाते हैं ।

(ख) इस योजना के अधीन हिन्दी और संस्कृत को छोड़कर और अन्य मान्यता-प्राप्त भाषाओं तथा कबीलों की भाषाओं को शामिल करते हुए भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी आधुनिक भारतीय भाषाएं आती हैं । अनुदान की रकम का निर्धारण प्रत्येक मामलों के गुणावगुण और केवल अनुमोदित मदों के लिये तथा अनुमोदित कुल खर्च के 50 प्रतिशत तक, किया जाता है ।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को अनुदान सीधे ही दिया जाता है, किन्तु इसके लिए आवेदन राज्य सरकारों के जरिए आने चाहिए किन्तु अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं के आवेदन-पत्र सीधे भी स्वीकार किए जा सकते हैं ।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में श्रमिकों में अशान्ति

567. **श्री वी० कृष्णमूर्ति :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेवेली लिग्नाइट निगम के कर्मचारियों की शिकायतों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मैनेजमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त एक यूनियन को छोड़कर यूनियनों द्वारा सामान्य किस्म की कुछ मांगें उठाई गई हैं । सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मद्रास ने समझौता कराने के दृष्टिकोण से सम्बन्धित पक्षों के साथ विचार विमर्श किया है ।

उड़ीसा से राजनैतिक व्यक्तियों के भाग निकलने के बारे में जांच

568. **श्री समरेन्द्र कुन्डू :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 से उड़ीसा में सत्तारूढ़ कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा न्यायिक जांच कराने की घोषणा किए जाने के बाद भारत से कुल राजनैतिक व्यक्तियों के कथित भाग निकलने के बारे में जांच करने के लिए उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग की सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Posts of Cashiers/Parliament Assistants in Central Government

569. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry had issued an Office Memorandum No. 21/31/63-C. S. (A), to the various Ministries on the 24th December, 1963;

(b) if so, the number of Ministries which, in pursuance of the said Memorandum, transferred the employees who were working there for more than three years and in whose place other employees were posted ;

(c) the number of posts, Ministry-wise on which the same pers ns have been working for more than three years; and

(d) whether Government propose to ask the various Ministries to enforce the contents of the said Memorandum rigidly ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The Office Memorandum in question was in the nature of a suggestion and it was left to the discretion of the administrative Ministries to have a periodical change in the incumbency of the posts of Cashier/Parliament Assistant depending upon the interests of efficiency of work. Accordingly, no statistics have been maintained in regard to the number of cases in which such transfers have been made or have to be made. As the posts in question are included in the Central Secretariat Clerical Service or the Assistants' Grade of the C. S. S., which have been decentralised, the control thereon vests in the Cadre authority, i. e. the Ministry/Department concerned.

Retired Officers Appointed by Autonomous Bodies, Commissions and Committees

570. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of retired Gazetted Officers appointed in the autonomous bodies, commissions and committees under the various ministries of the Government of India during the years 1965-66 and 1966-67?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Disposal of Applications in Hindi from Public

571. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that applications and suggestions received in his Ministry from public in English are dealt with immediately but those in Hindi are neglected and are replied to after a long time; and

(b) if not, the number of days which are taken to give reply to an application in English and to that in Hindi respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) No Sir.

(b) No hard and fast time-limit could be laid down for disposal of all types of applications. Generally, the time taken for replying both English and Hindi applications is almost the same in indentical cases.

Re-employment of Gazetted Officers

572. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of Gazetted Officers, who retired from the Ministry of Education, have been re-employed in the autonomous bodies under that Ministry ;

(b) if so, their number and the office where they have been appointed ; and

(c) the reasons for not filling up those posts through the Union Public Service Commission ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Some retired gazetted officers have been re-employed in autonomous organizations under this Ministry.

(b) Four only. They have been re-employed in the following offices :

(i) Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi.

(ii) Tibetan School Society, New Delhi.

(iii) Central Board of Secondary Education, New Delhi.

(iv) National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

(c) The rules for filling up posts in these organisations do not require filling up of the posts through the Union Public Service Commission.

Use of Hindi in Education Ministry

573. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the steps Government propose to take to remove the impediments, if any, in the use of Hindi in his Ministry ;

(b) the number of officers of the rank of Under Secretary and above who work only in English in his Ministry ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The use of Hindi in the Education Ministry does not suffer from any special impediments.

(b) 58.

(c) Efforts to encourage non-Hindi knowing officers to learn Hindi are being continued.

15 मार्च, 1967 को मिजो लोगों के साथ हुई मुठभेड़

574. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 और 16 मार्च, 1967 को मिजो पहाड़ियों में विद्रोही लोगों के छुपने के स्थानों में मारे गये कुछ छापों में एक विद्रोही मिजो मारा गया था, तथा सुरक्षा सैनिकों ने छः अन्य मिजो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 15 मार्च, 1967 को मिजो नेशनल फ्रन्ट से सम्बन्धित एक विद्रोही मारा गया और 6 गिरफ्तार किए गये और 16 मार्च 1967 को सुरक्षा सैनिकों ने सात व्यक्तियों को मिजो नेशनल फ्रन्ट से सम्बन्धित होने के कारण गिरफ्तार किया ।

(ख) विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाहियां चालू रहेंगी ।

Archæological Excavations at Kashipur

575. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh :
Shri Narayan Swaroop Sharma :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that excavations by the Archæological Department are in progress at Kashipur in Uttar Pradesh to find out the Fort of Pandvas ;

(b) if so, whether some indications of the fort are available from the excavations ; and

(c) the time by which these excavation operations are likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) : (a) to (c). No excavations at the site are in progress at present. A limited excavation was, however, carried out in March-June, 1966 with a view to expose and ascertain the nature of the hidden structure but it gave no indication of any fort existing there.

Escape of Mizos from Silchar Jail on 12-3-1967

576. **Shri Ram Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Narain Swaroop Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six Mizo rebel leaders succeeded in escaping from the Silchar Jail, in Cachar District on 12th March, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that the said incident is second of its kind during the month of March ; and

(c) if so, the steps taken by Government to prevent such escapades from the jails ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Six Mizo detenus escaped from the Silchar Jail on the 13th March, 1967.

(b) Yes, Sir.

(c) The State Government is taking steps to tighten security arrangements. Additional Jail staff is also being posted and transfer of Mizo prisoners to jails in other areas is being arranged.

चंडीगढ़ के एक गांव के स्कूल का दर्जा बढ़ाना

577. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मलिया गांव की ग्राम पंचायत ने अपने स्कूल का दर्जा बढ़वाने के लिए अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) मामले पर चण्डीगढ़ प्रशासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

संगीत नाटक अकादमी में अनियमिततायें

578. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के भूतपूर्व सचिव द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने जांच की है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, तो मामला अब किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). विशेष पुलिस संस्थान ने जांच की थी जिससे संगीत नाटक अकादमी के भूतपूर्व सचिव द्वारा अकादमी के धन के दुर्विनियोग का पता चला था। उसके और अकादमी के दो भूतपूर्व लेखापालों के विरुद्ध 10-8-61 को दिल्ली न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया था। मामला अभी विधि न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अतुल्य घोष के विरुद्ध आरोप

579. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री अतुल्य घोष के बारे में पुरी के श्री शंकराचार्य के हाल के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें मामले की जांच करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में पुरी के शंकराचार्य के वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग). 7 नवम्बर, 1966 को होने वाली घटनाओं के फलस्वरूप बहुत से आपराधिक मामले चलाए गए थे। उनकी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पूरी जांच की गई थी और जांचों के परिणाम न्यायालय के सम्मुख रख दिए गए हैं। और किसी जांच की जरूरत नहीं है।

खनन इंजीनियर

580. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से लेकर 1965 तक, वर्षवार, किनने खनन इंजीनियर "एक्सचेंज सर्टिफिकेट परीक्षा" में बैठे थे ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति पहली ही बार में उत्तीर्ण हो गये थे; और

(ग) अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों में से कितने व्यक्तियों ने उपरोक्त अवधि में ब्रिटेन में खनन-शिक्षा पाई ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1962 में 29, 1963 में 43, 1964 में 19 और 1965 में 20, परीक्षा में बैठे।

(ख) 1962 में 4, 1963 में 5, 1964 में 1 और 1965 में 2 पहली बार में उत्तीर्ण हुए।

(ग) असफल हुए ऐसे उम्मीदवारों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है जिन्होंने खनन में अपनी यूनिवर्सिटी शिक्षा ब्रिटेन में पाई। परन्तु इन उम्मीदवारों ने यू० के० प्रथम श्रेणी मैनेजर सर्टिफिकेट यू० के० की खानों में अपने व्यावहारिक अनुभव के कारण प्राप्त किए। इन खानों में खनन परिस्थितियां भारत में पाई जाने वाली परिस्थितियों से बहुत भिन्न हैं।

Dispute Regarding Date or Birth of Chief Justice M. P. High Court

581. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Shiv Chander Jha :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an allegation has been made against the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court that he got his false date of birth recorded though his actual date of birth is available in his academic documents and that instead of the 9th April, 1905 it has been recorded as the 19th March, 1907 ;

(b) if so, whether any action has been taken on this false statement ; and

(c) if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). The President having received some petitions alleging that the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court had not given his correct date of birth, has decided the question of the Chief Justice's age after consultation with the Chief Justice of India as required under Article 217 (3) of the Cons-

titution. The decision of the President is to accept the date of birth of the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court as 19th March, 1907.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों के मामले में पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त का सत्यापन

582. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

श्री पट्टियम गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में नियुक्ति तथा नियुक्ति के पश्चात् पुलिस द्वारा पूर्ववृत्तों का सत्यापन अभी तक किया जा रहा है :

(एक) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

(तीन) हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल

(चार) एफ० ए० सी० टी०, अल्वाय ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कुल कितने व्यक्तियों को नौकरियों से वंचित होना पड़ा ;

(ग) इन उपक्रमों में इसी अवधि में ऐसे कितने व्यक्तियों को निकाला गया, जो छः महीने से अधिक अवधि से नौकरी कर रहे थे ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रथा समाप्त कर दी गई है, और यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रथा को समाप्त करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन नौकरी देने से पहले अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्तों का सत्यापन करने की योजना इसलिए चालू की गई थी जिससे नियुक्ति करने वाला अधिकारी इस बात का स्वयं समाधान कर सके कि अभ्यर्थी ऐसी नौकरी के लिए हर प्रकार से योग्य है। यह योजना सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों द्वारा अपनाई गई है जिनमें प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित उपक्रम भी शामिल हैं।

(ख) और (ग). यह जानकारी इकट्ठी की जायेगी और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इस बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि यह विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ङ) और (च). प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताये गए कारणों से इस पद्धति को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रादेशिक भाषाओं में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं

583. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने सभी चौदह भाषाओं में केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षायें आयोजित करने के सम्बन्ध में एक सूत्र इस बीच तय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

584. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 से सम्बन्धित 16 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय समिति की जनवरी, 1967 में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने 26-10-66 को हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक के सामने रखे गए बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया ।

(ग) इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों में कोई समझौता नहीं हो सका । इस मामले को स्थायी श्रम समिति के अगले अधिवेशन में रखा जायेगा । यह अधिवेशन 10-5-1967 को किए जाने का विचार है ।

काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयास

585. **श्री खगपति प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के मुख्य मंत्री पर फेंके गये हथगोले के फटने के सम्बन्ध में जांच अब पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चलचित्र उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

586. **श्री खगपति प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 16 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां ।

(ख) मजूरी बोर्ड के गठन और विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्रमिकों के लिए रोजगार बीमा-सेवानिवृत्ति तथा परिवार पेंशन योजना

587. **श्री खगपति प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 23 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के लिए रोजगार बीमा तथा सेवानिवृत्ति तथा परिवार पेंशन संबंधी नई योजनाएं लागू करने के प्रस्तावों पर अब विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं। प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

(ख) ब्योरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

589. **श्री सूरज भान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणी में (अलग-अलग) आरक्षित किये गये कितने पद 26 जनवरी, 1950 से 31 दिसम्बर, 1966 तक की अवधि में अनारक्षित कर दिये गये हैं;

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणी में (अलग-अलग) आरक्षित किये गये कितने पद उसी अवधि में अनारक्षित कर दिये गये हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की सरकारी सेवाओं की समस्त श्रेणियों में अनुपात के अनुसार नियुक्ति की जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1957 से 1961 तक 5 वर्ष की अवधि की उपलब्ध सूचना तथा 1960 से 1963 तक 4 वर्ष की अवधि की सूचना उपलब्ध है और नीचे दी गई है:

श्रेणी	*** अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उन आरक्षित पदों की संख्या का योग जिन्हें अनारक्षित किया गया।**
	+1957-1961
I	1,047
II	2,113
III	25,760
	+1960-1963
I	686
II	921
III	15,773

*अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

+ वर्षवार उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही को संलग्न टिप्पणी में दिखाया गया है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-246/67]

Etawah-Bhind Telephone Service

590. **Shri Yashvant Singh Kushwaha:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the action taken to provide direct telephone service between Etawah (Uttar Pradesh) and Bhind (Madhya Pradesh); and

(b) the extent of increase effected in the charges for trunk calls from Bhind to Etawah since 1963?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) None.

(b) Increased by 50 Paise per unit.

Bhind-Gwalior Telephone Line

591. **Shri Yashvant Singh Kushwaha:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of times the telephone line between Bhind and Gwalior went out of order from the 1st to 28th February, 1967;

(b) the reasons for such frequent breakdown; and

(c) the steps taken to prevent such breakdown and to improve the service on the said telephone line?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 14 times.

(b) The interruptions were caused mainly due to copper wire thefts and faults on the lines.

(c) The copper wires are planned to be replaced by A. C. S. R. Conductor. The state police authorities have been requested to intensify measures and minimise the incidence of copper wire thefts.

Building for Telephone Exchange, Gwalior

592. **Shri Yashvant Singh Kushwaha:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the time likely to be taken to complete the construction of the building for the Automatic Telephone Exchange at Gwalior; and

(b) the estimated cost thereof?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The building is likely to be completed by 30-9-1967.

(b) Rs. 17,02,600/-

कोचीन गोदी कर्मचारी

593. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री पी० सी० अदिचन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन गोदी कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगे अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कोई मांगें पूरी की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) कोचीन गोदी श्रम यूनियन ने, जोकि मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, कुछ मांगें रखी हैं ।

(ख) और (ग) यह मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में दुकानों को खोलने तथा बन्द करने का समय

594. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के व्यापारियों/नियोजकों के प्रतिनिधियों ने दुकानों/वाणिज्यिक संस्थाओं को खोलने तथा बन्द करने के समय में, जो 25 अक्तूबर, 1961 से लागू है, परिवर्तन करने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या कर्मचारी संघों ने नियोजकों द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों का कड़ा विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो समय में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण बताये गये हैं; और

(घ) क्या यह परिवर्तन दिल्ली प्रशासन ने अपने आप ही लागू किया था अथवा श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श से किया था ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । परन्तु नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में कुछ मतभेद था ।

(ग) रात के सात बजे दुकानें बन्द करने का समय जनता के लिए अनुकूल न था ।

(घ) दिल्ली प्रशासन के श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श से ।

सिरमूर गद्दी का उत्तराधिकार

595. **श्री च० चु० देसाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सिरमूर के पुराने शासक के उत्तराधिकार के मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उनका एक गोद लिया हुआ पुत्र है, जिसे सामान्य उत्तराधिकार के लिए मान्यता मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकार तथा सरकारी अधिसूचना के लिए मान्यता न दिये जाने का क्या औचित्य है; और

(घ) क्या उस रियासत को जब्त करने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (घ). सिरमूर के स्वर्गीय शासक का कोई पुत्र अथवा गोद लिया हुआ पुत्र अथवा निकट पुरुष सम्बन्धी नहीं था। शासक के निधन के कुछ समय पश्चात्, एक महारानी ने अपनी पुत्री के एक पुत्र को गोद में ले लिया। इस मामले और गोद लिए हुए महारानी के पुत्र द्वारा किये गये दावे के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, राष्ट्रपति ने निर्णय किया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वर्गीय महाराजा के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिये।

सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय लिपि

596. **वेदव्रत बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि भारत की सभी भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय लिपि का विकास किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख). जी नहीं। किन्तु सरकार ने हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और देवनागरी लिपि के मानकीयकरण के लिए इसमें विशेषक चिन्हों का प्रयोग शुरू कर दिया है, ताकि संविधान में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाएं भी, इस लिपि में उपयुक्त रूप से लिखी जा सकें।

मंत्रियों के वेतन भत्ते आदि

597. **श्री डी० एन० पाटोदिया :**
श्री सोलंकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब परिलब्धियों, यथा राज-सहायता से प्राप्त निवास स्थान, भत्तों, अनुसचिवीय

तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं, परिवहन तथा मंत्री को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपलब्ध अन्य सब सुविधाओं का हिसाब लगाकर मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य-मंत्री तथा उपमंत्री की कुल उपलब्धियां कितनी राशि की होती हैं; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित भत्तों, परिलब्धियों और सुविधाओं पर आय-कर लगाये जाने के पश्चात् मंत्रियों को कुल कितनी राशि की उपलब्धियां प्राप्त हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). जो सूचना मांगी गई है उसके बारे में एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-247/67]

केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित सम्पत्तियां

598. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में सक्षम अधिकारी द्वारा विभाजित किये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने (एक) बाजार ठाकुरगंज लखनऊ तथा (दो) गांव खिरकैया, सीतापुर के बागों का अर्जन किया था;

(ख) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक अधिकारियों ने इन सम्पत्तियों का अर्जन किये बिना किस प्रकार उनका निपटारा किया;

(ग) क्या विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की सहायता को बिना उपरोक्त अधिकारी इन सम्पत्तियों का विभाजन करने तथा उन्हें बेचने के लिए सक्षम थे; और

(घ) क्या उपरोक्त सौदे के परिणामस्वरूप सरकार को कोई वित्तीय हानि उठानी पड़ी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) सक्षम अधिकारी द्वारा सम्पत्तियों का विभाजन अप्रैल, 1963 में किया गया था । तत्पश्चात विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 12 के अधीन दिसम्बर, 1963 में जारी की गई एक सामान्य अधिसूचना के अन्तर्गत इन सम्पत्तियों का अर्जन किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चूंकि सम्पत्तियों का निपटारा करने में कोई तकनीकी समस्या नहीं थी, इसलिए तकनीकी अधिकारियों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

(घ) 23 मामलों में सौदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और नीलामी के विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र भी जारी कर दिये गये हैं । शेष सात मामलों के बारे में विवाद खड़ा हो गया है और सौदों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

सम्पत्तियां खुलेआम सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची गई थीं और नीलामी पर दी गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया गया था । अतः हानि का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

ये उपवन जिला सीतापुर में गांव ककरामऊ, सर्यान में स्थित हैं न कि खिरकैया में। इन उपवनों के विक्रय को रद्द कर दिया गया है।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, होस्टल तथा मैस कर्मचारी संघ, चटमंगलम, केरल

599. **श्री ए० श्रीधरण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज होस्टल तथा मैस कर्मचारी संघ, चटमंगलम, केरल, की ओर से मैस कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा अजाद) : (क) जी नहीं। मैस कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Telephone Employees

600. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of employees who are more than 60 years old working at daily wages in the Telegraph Offices throughout the country ;

(b) whether it is a fact that the number of temporary Telegraphists in the country is more than 600 and 100 Telegraphists out of them with two years service at their credit have received termination notices ; and

(c) if so, the causes of such notices and whether a mention to that effect has been made in the notices ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) About 80 in the middle of March, 1967.

(b) Number of temporary Telegraphists is about 2850 and the number of temporary telegraphists with two years' service served with termination notices during the "work to rule" agitation is about 170.

(c) Notices were issued under Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965. for unsatisfactory conduct. No reasons are required to be specified for termination of service under this rule.

टेलीफोन काल का शुल्क

601. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में एक स्थानीय टेलीफोन काल का शुल्क भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक शुल्क की दरें क्या हैं और अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन नगरों में वार्षिक किराये और निःशुल्क काल की संख्या में भी अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल): (क) जी नहीं। हर जगह एक काल का शुल्क 15 पैसे लिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मद्रास, बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के स्थानीय क्षेत्र में तिमाही किराया 75 रुपये है जबकि मीटर वाले दूसरे एक्सचेंजों में 60 रुपये। निःशुल्क कालों की संख्या हर जगह वही है।

(घ) बहुत बड़े शहरों में अधिक खर्च होने के कारण यह अन्तर होना न्यायसंगत है।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व

602. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों समेत अल्पसंख्यक जातियों के लिये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रखे जाने के विरोध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो अल्पसंख्यक जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। इस बारे में समय-समय पर विभिन्न अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) भारत के संविधान में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के बारे में सभी नागरिकों के लिये समान अवसरों की व्यवस्था है और यह भी व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को अन्य बातों के साथ-साथ धर्म के आधार पर भी अपात्र समझा या उसके साथ भेदभाव बरता नहीं जायगा। पदों पर नियुक्ति के लिये केवल पिछड़े हुए वर्गों के साथ सम्बन्धित नागरिकों के लिये ही आरक्षण रखा जाने की इजाजत है, जिनका राज्य के विचार में राज्य के अधीन सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता। ऐसा करते समय भी प्रशासन के सुदक्ष संचालन का सदैव ध्यान रखा जाता है। संविधान की इन व्यवस्थाओं में अल्प संख्यक समुदायों के लिये अलग से आरक्षण की कोई अनुमति नहीं दी गई है। आशा है कि शिक्षा की सुविधाओं में सुधार तथा शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों को शनैः शनैः योग्यता के आधार पर केन्द्रीय सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होने लगेगा।

कलकत्ता में टेलीफोनों के बिल तैयार करने का काम

603. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में टेलीफोनों के बिल मशीनों से तैयार किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में बिल तैयार करने वाले विभाग में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) 1964-65 से गलत बिल तैयार किये जाने के बारे में टेलीफोन वाले लोगों से कितनी शिकायतें आईं; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) अधिकांश काम मेसर्स आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन के सर्विस ब्यूरो द्वारा ठेके पर लेखा-मशीनों द्वारा किया जाता है।

(ख) हाथ से होने वाले, बिल बनाने और लेखा रखने के शेष काम के लिए कुल 353 कर्मचारी (चौथी श्रेणी के कर्मचारियों सहित) हैं।

(ग) 1964-65 में प्राप्त हुई शिकायतों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। 1965-66 के दौरान 10541 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए बिल ठीक-ठीक भेजे जाएं, कदम उठाए गये हैं।

Installation of Telephone Lines in M. P.

604. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the time by which the work for the installation of the telephone line from Khandawa to Khargone (M. P.) which was suspended on account of shortage of telephone copper wire, will be completed ; and

(b) the steps taken for the installation of the telephone line from Khargone to Sindhua via Kasrawat in the district of West Nimar, Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There is a General shortage of copper wire 150 lbs per mile which is an imported item and foreign exchange necessary for its procurement, has not so far been released. The use of a higher gauge of recovered copper wire which is now available is being considered with a view to completing the work in the current financial year.

(b) Khargone is already connected via Sindhua (Sendhwa) to Indore by a direct trunk line. A long distance P. C. O. is being opened at Kasrawat linking it to Dhanmod the nearest exchange, which is on the general trunk net work. There is, however, no proposal to erect a line from Khargone to Sindhua via Kasrawat, but it is proposed to provide a direct outlet from Khargone to Sindhua.

Honorary Magistrate in Delhi

605. **Shri Hardayal Devgun**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Honorary Magistrates in Delhi and the qualifications as also the term, and conditions laid down for their appointment;

(b) whether Government are aware that some of these Magistrates do not fulfil the requisite qualifications, terms and conditions; and

(c) whether Government propose to abolish this institution in view of the strong public opinion against it?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The number of Honorary Magistrates as on 1.4.67 is 39. A statement showing their qualifications, term and conditions for appointment is attached. **[Placed in Library. See No. LT-251/67]**.

(b) All the Magistrates fulfil the required qualifications.

(c) No complaint against the institution has been received by the Government. No proposal to abolish this institution is under the consideration of Government.

दिल्ली में पुलिस संवर्गों का वेतन

606. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में काम करने वाले पुलिस संवर्गों का वेतन 1947 तक राजस्व विभाग के संवर्गों के बराबर था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब यह समानता नहीं है और अब पुलिस संवर्गों के वेतन-क्रम राजस्व विभाग के तत्समान संवर्गों के वेतन-क्रमों से बहुत कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

तटीय श्रमिकों की शिकायतें

607. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तन न्यासों के अधीन 'बी' वर्ग के तटीय श्रमिकों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए 18 मार्च, 1966 को एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी;

(ख) क्या इस आयोग ने अपनी उपपत्तियां तथा सिफारिशें दे दी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित छः महीने की समय-सीमा के बावजूद ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जांच आयोग 19-3-1966 को नियुक्त किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 14 के अन्तर्गत न्यायालय को साधारणतः जांच शुरू होने से छः मास के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए । अन्य न्याय-निर्णय के कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायालय अपने जांच परिणाम पेश नहीं कर सका । यह आशा की जाती है कि वह अपना काम मई, 1967 के अन्त तक पूरा कर देगा ।

तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा

608. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी तेल कम्पनियों के भारतीय कर्मचारियों की नौकरी को जबरी सेवानिवृत्ति, स्वचालित कम्प्यूटर लगाने तथा संस्थानों को बन्द करने आदि श्रमिक विरोधी कार्यवाहियों से लगातार खतरा बना हुआ है; और

(ख) क्या नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विशेषतया इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन कम्पनियों द्वारा बड़ा लाभ कमाया जा रहा है, सरकार का कोई और कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). भारत में स्थित विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर 28 अप्रैल, 1967 को होने वाली त्रिपक्षीय बैठक में विचार-विमर्श किए जाने का विचार है ।

दिल्ली में एक लड़की का अपहरण

609. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बाबूराव पटेल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मार्च को कालेज की एक छात्रा कुमारी कान्ता वोहरा का महिला पोलीटेकनिक कालेज काश्मीरीगेट, दिल्ली को जाते समय अपहरण किया गया था;

(ख) क्या लड़की के अभिभावक ने उसी दिन जामामस्जिद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी किन्तु थाने के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी तक उसका पता नहीं चला है;

(घ) क्या यह भी सच है कि आज से लगभग दो वर्ष पूर्व दिल्ली छावनी क्षेत्र से चार बच्चों का अपहरण किया गया था किन्तु पुलिस अब तक भी उनका पता नहीं लगा सकी है; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). तुर्कमान गेट के एक निवासी द्वारा 8-3-1967 को जामामस्जिद थाने में यह शिकायत दर्ज कराई गयी थी कि उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया है। वह 7-3-1967 से गुम है। पुलिस स्टेशन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया था और तुरन्त जांच आरम्भ कर दी गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली पुलिस दिल्ली छावनी के गुमशुदा 4 बच्चों का पता लगाने में बड़ी सतर्कता से कार्यवाही कर रही है।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने समाज विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों की कारगर ढंग से रोकथाम करने हेतु विशेष कदम उठाये हैं।

Accidents in Dhanbad Coal Mines

610. **Shri Ram Singh:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of accidents took place in the Dhanbad Coal Mines in 1966 and 1967 resulting in the death of many persons;

(b) if so, the extent of loss of life and property suffered thereby; and

(c) the number of workers to whom assistance has been given by Government and the amount of assistance so given?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (c). The number of fatal accidents that took place during 1966 and during the first three months of 1967 in coal mines in Dhanbad District was 65 and 16 respectively. The number of persons who died during 1966 and during the first three months of 1967 in these accidents was 77 and 25 respectively. The figures for 1967 are provisional. Information regarding the extent of loss of property and regarding part (c) of the question is being collected and will be laid on the Table of the House.

Accident in a Coal Mine in Goa

611. **Shri Ram Singh:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 11 persons were killed and three others injured in an acci-

dent in Village Batdana in Saguyan Taluka in Goa ;

(b) if so, the causes of the accident ; and

(c) the amount of the assistance given by Government to the families of the deceased ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Nine persons were killed and 6 received minor injuries in an explosion in an explosives magazine in village Barzana on 22.3.67.

(b) Accident took place when the magazine which contained explosives used for blasting in mines was opened and was being cleaned. The cause is not yet known. An inquiry has been ordered.

(c) A compensation of Rs. 2,150/- has been given to the families of the deceased, and to the injured persons.

Collection of Taxes By Nagas

612. **Shri Ram Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rebel Nagas are forcibly collecting taxes at the rate of Rs. 10 per family in the villages of Titawar sub-Division of District Sibsagar, Assam ;

(b) whether it is also a fact that they carry away cattles which are returned on payment of the said amount ; and

(c) if so, the steps taken by the Central and the State Governments in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A few cases of forcible collection of money in the area on Assam—Nagaland border have been reported. Details are being ascertained from the State Government and will be laid on the Table of the House in due course.

दिल्ली में जवान लड़कियों का अपहरण

613. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी, 1967 से लेकर अब तक कितनी जवान लड़कियों के लापता होने अथवा अपहरण किये जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) इन लापता लड़कियों को बरामद कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार के अपहरण को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जनवरी, फरवरी तथा मार्च, (25.3.67 तक) के महीनों के दौरान 54 लड़कियों या स्त्रियों को बलपूर्वक

या बहका कर अपहृत किया गया। उनमें से 41 पहले ही बरामद कर ली गई हैं। शेष का पता लगाने के लिये दिल्ली पुलिस जोर-शोर से प्रयत्न कर रही है।

(ग) दिल्ली पुलिस ने समाज विरोधी तथा आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर जबर्दस्त रोक लगाने के लिये विशेष उपाय किये हैं।

1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत सुरक्षा नियमों/निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

614. **श्री जॉर्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, भारत सुरक्षा नियमों तथा/अथवा निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी कारणों अथवा किसी अन्य कारण से कितने भारतीय नागरिकों को नजरबन्द किया गया था; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अब भी नजरबन्द हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उर्दू का दर्जा

615. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्दू भाषा को उसका समुचित स्थान देने के बारे में सरकार को कुछ संस्थाओं की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन अभ्यावेदनों में क्या प्रार्थना की गई है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-248/67]

विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र

616. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय विद्यार्थी विदेशों में देशवार अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या ब्रिटेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों से कोई शिकायतें आई हैं, और यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या शिकायतें की हैं, और

(ग) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, विदेशों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की देशवार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-249/67]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मुठभेड़ में भारतीय तस्कर व्यापारियों की मृत्यु

617. **श्री सूरज भान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1965 के मध्य तक अर्थात् भारत-पाकिस्तान संघर्ष से पहले, भारतीय सीमा अधिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ों में कितने भारतीय तस्कर व्यापारी मारे गये थे;

(ख) इन तस्कर व्यापारियों के पास से कितना और किस प्रकार की युद्ध-सामग्री बरामद हुई थी; और

(ग) क्या इस प्रकार पकड़ी गई युद्ध सामग्री लाइसेंस शुदा थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 9 ।

(ख) (एक) रीवाल्वर्स 6

(दो) पिस्तौल............2

(तीन) गोलियां :

(क) बिना चली हुई............79

(ख) खोल........................3

(ग) निशाने से चूक गई.........1

(ग) बरामद अस्त्र-शस्त्र लाइसेंस शुदा नहीं थे ।

(उक्त आंकड़े अगस्त, 1965 से पूर्व पांच वर्ष के हैं और इसमें जम्मू तथा काश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि वे अभी वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं।)

दिल्ली के केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उपचारी कक्षाओं (रेमेडियल क्लासेज) के अध्यापक

618. **श्री रा० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री 17 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ने कम्पार्टमेंट में आये हुए विद्यार्थियों के लिये 1965 के ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून, 1965 से अंग्रेजी विषय में भी उपचारी कक्षाएं आयोजित की थीं।

(ख) क्या इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये नियुक्त किये गये प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को अन्य विषयों के अध्यापकों के बराबर अर्थ लाभ नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अंग्रेजी के अध्यापकों को उचित वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम में वित्तीय संकट

619. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने राज सहायता अथवा ऋण के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के सामने वित्तीय संकट है; और

(ग) निगम की इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली नगर निगम समय-समय पर अनुदानों तथा विशेष ऋण के लिये सरकार से मांग करता रहा है।

(ख) निगम पिछले कुछ समय से वित्तीय संकट अनुभव कर रहा है।

(ग) सरकार निगम को समय-समय पर निर्धारित प्रकार के ऋण तथा अनुदान देती रही है। दिल्ली के स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोतों तथा आवश्यकताओं के विषय में जांच करने के लिये सरकार द्वारा एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

Administrative Reforms Commission

620. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount spent so far on the Administrative Reforms Commission ;

(b) the staff engaged on its work and the number of new hands among them ; and

(c) the time by which the vacancy caused by Shri Morarji Desai's joining the Cabinet and Shri Hanumanthaiya's being appointed as Chairman is likely to be filled in ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The expenditure during 1965-66 and 1966-67 upto 28th February, 1967 was Rs. 16,33,611/-.

(b) The strength of the Commission's staff of all grades is 169. 68 of them were newly appointed in a temporary capacity.

(c) No further appointment of members to the Commission is under contemplation.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के कर्मचारियों के लिये प्रतिकर भत्ता

620-क. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के कर्मचारियों ने प्रतिकर भत्ते की दर में वृद्धि की मांग की है;

(ख) क्या मुख्यायुक्त की सलाहकार परिषद् ने प्रतिकर भत्ता बढ़ाये जाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अस्थायी औद्योगिक कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता नहीं मिलता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . जी हां।

(ग) इस मांग पर सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार किया है और इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

(घ) और (ङ). नियमित वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है।

छात्रों की सेवाओं सम्बन्धी अमरीकी विचार-गोष्ठी के लिये पुरस्कार

620-ख. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री उमानाथ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों की सेवाओं सम्बन्धी अमरीकी विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिये दस शिक्षा

शास्त्रियों को सरकार के माध्यम से पुरस्कार तथा अनुदान दिये गये हैं;

(ख) पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति दो महीने की विचार-गोष्ठी में वास्तव में क्या योगदान देंगे; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पूर्ण संतोष हो गया है कि केन्द्रीय खुफिया एजेंसी (सी० आई० ए०) का इस मामले में कोई हाथ नहीं है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं । भारत में अमेरिकी शैक्षिक प्रतिष्ठान द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों द्वारा की गई नामजदगी के आधार पर दस शिक्षाविज्ञ चुने गये हैं ।

(ख) चुने गए व्यक्ति अर्लहम कालेज (इंडियाना) में छात्र सेवा कार्यक्रमों का प्रेक्षण करेंगे और बलूमिंगटन विश्वविद्यालय में इनके लिए सघन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा वाशिंगटन में संक्षिप्त मूल्यांकन के बाद कार्यक्रम समाप्त होगा ।

(ग) इस मामले में सी० आई० ए० का कोई हाथ है, सरकार के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

Institute of Biochemistry and Experimental Medicine, Calcutta

620-C. **Shri Rabi Ray :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had entrusted the work of checking the accounts of the Institute of Biochemistry and Experimental Medicine, Calcutta, to the Special Police Establishment ; and

(b) if so, the object of conducting this enquiry and the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खादी ग्रामोद्योग भवन, मद्रास

620-घ. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन मद्रास में खादी ग्रामोद्योग भवन ने बोनस भुगतान अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों से छूट दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छूट दे दी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) खादी ग्रामोद्योग कमीशन से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है । वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के नहीं, बोनस भुगतान अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने के बारे में है ।

(ख) यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और इस बात पर विचार करना मद्रास सरकार का काम है कि छूट देनी चाहिए या नहीं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन (नाटो) और दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन (सीटो) के बहुत से सदस्य देशों के साथ हाल ही में नई दिल्ली में हुई एशियाई रक्षा सम्बन्धी गुप्त विचारगोष्ठी में भारत द्वारा भाग लेना ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं वैदेशिक-कार्यमंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन (नाटो) और दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन (सीटो) के बहुत से सदस्य देशों के साथ हाल ही में नई दिल्ली में हुई एशियाई रक्षा सम्बन्धी गुप्त विचार-गोष्ठी में भारत द्वारा भाग लेना"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : इन्डियन कौंस्लि आफ वर्ल्ड अफेयर्स और इंस्टीट्यूट फार स्ट्रैटेजिक स्टडीज (लन्डन) के तत्वावधान में 31 मार्च, 1967 से 2 अप्रैल, 1967 तक एशियाई सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर एक विचार-गोष्ठी हुई। उसमें विदेशी विद्वानों, जिन्होंने सम्बन्धित विषयों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था, तथा उस क्षेत्र के भारतीय विशेषज्ञों के बीच विचार विनिमय हुआ । इसमें 18 विदेशी तथा इतने ही भारतीय विद्वानों ने भाग लिया । ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा सिंगापुर के विशेषज्ञों ने उसमें भाग लिया । यह विचार-गोष्ठी उपरोक्त दोनों संस्थाओं की पारस्परिक सहमति से निजी तौर पर की गई थी और उसमें हुए विचार-विमर्श को प्रकाशित नहीं किया गया ।

इंस्टीट्यूट फार स्ट्रैटेजिक स्टडीज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक गैर-सरकारी संस्था है तथा वह भिन्न-भिन्न देशों की रक्षा समस्याओं से सम्बन्धित अध्ययनों का संकलन करता है ।

इन अध्ययनों की तथ्यात्मक सत्यता के कारण उनका समूचे संसार में आदर किया जाता है । यह संस्था अनेक दूसरे देशों के प्रतिनिधियों के साथ ऐसी ही चर्चा कर चुकी है । उन देशों में रूस तथा यूरोप के समाजवादी देश भी शामिल हैं ।

भारत सरकार का इस प्रकार की विचार गोष्ठियों में विचारों के स्वतन्त्र आदान-प्रदान में दृढ़ विश्वास है । भारतीय विद्वानों तथा सरकारी अधिकारियों के इस विचार-गोष्ठी अथवा

इस प्रकार की अन्य विचार-गोष्ठियों में भाग लेने का अर्थ नीतियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जब इस बैठक में महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए तथा उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन और दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन से सम्बद्ध देशों ने भाग लिया तो उसे गुप्त क्यों रखा गया । लन्दन का इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज पहले ब्रिटिश युद्ध कार्यालय का भाग था और अब उसे अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है ।

श्री मु० क० चागला : यह विचार-गोष्ठी गुप्त तो नहीं थी परन्तु उसमें हुई चर्चा का प्रचार करने का कोई विचार नहीं था । इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज उच्च स्तर की गैर-सरकारी संस्था है । इस विचार-गोष्ठी में 'नाटो' तथा 'सीटो' के सदस्य देशों के अतिरिक्त देशों ने भी भाग लिया है । हमारा अन्य देशों के साथ विचार-गोष्ठियां करने का भी विचार है ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : अभी तक भारत सरकार की विदेश नीति गुटों में शामिल न होने की रही है । इसलिए, सरकार ऐसी विचार-गोष्ठियों में अपने प्रतिनिधि कैसे भेज रही है ।

श्री मु० क० चागला : हमारी गुटों में शामिल न होने की नीति तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या इससे यह विचार ठीक सिद्ध नहीं होता कि हम नये साम्राज्यवादियों के हाथों में नहीं पड़ गये हैं ।

श्री मु० क० चागला : मैं कल अथवा परसों जो वक्तव्य ब्रिटेन द्वारा हिन्द महासागर में द्वीप खरीदने के बारे में दे रहा हूं, उससे यह विचार गलत सिद्ध हो जायेगा ।

श्री एम० मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : क्या ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने से हम नये साम्राज्यवादियों की चालों में नहीं फंस जायेंगे ।

श्री मु० क० चागला : ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने से हमारी विदेश नीति में बिल्कुल कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

Shri Latafat Ali Khan (Muzaffarnagar): Will the Government give an assurance that no military secrets were let out in this seminar.

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इस बैठक में कोई सैनिक भेद अथवा अन्य भेद दूसरे देशों को नहीं बतलाये गये हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री क्या उस बैठक में थे ?

श्री मु० क० चागला : मुझे विश्वास है कि जो भारतीय उस बैठक में भाग ले रहे थे, वह कोई भेद नहीं बतायेंगे ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : भारत की ओर से इस विचार-गोष्ठी में उच्च सैनिक अधिकारी तथा परमाणु शक्ति विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे। क्या अन्य देशों से भी, विशेषतया अमरीका तथा ब्रिटेन से, प्रतिरक्षा विभागों के उच्च अधिकारी शामिल हुए थे ? यदि हां, तो क्या उन देशों के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिरक्षा तथा सेना से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया ?

श्री मु० क० चागला : उसमें विभिन्न देशों के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए थे। ब्रिटेन की ओर से विदेश कार्यालय के शस्त्र नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण अनुसन्धान एकक के निदेशक श्री हेडले हल, इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के परामर्शदाता श्री लिओनार्ड बीटन तथा आल सोलस कालेज के फैलो श्री राबर्ट वाडगेरी शामिल हुए थे। अमरीका की ओर से न्यूयार्क के कोलम्बिया विश्वविद्यालय के युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी अध्ययन संस्था के प्रोफेसर रोजर हिलज्मैन, बर्कले के कैलेफोरनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चामर्स जानसन, रैंड कारपोरेशन के भौतिकी विभाग के सीनियर स्टाफ मेम्बर श्री आरनलड करैमिश, न्यूयार्क के कार्नेगी एन्डोमेंट फार इण्टरनेशनल पीस के उप-प्रधान, श्री चार्लस बोलटे तथा शिकागो विश्वविद्यालय के राजनैतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एलबर्ट वोलस्टेटर ने इस विचार-गोष्ठी में भाग लिया।

श्री सोनावने (पेंढ़रपुर) : मैं अल्प सूचना प्रश्न के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह मामला पहले उठाना चाहिये था। अब इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्रीमती स्वेतलाना एलील्यूवा के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव
MOTION OF PRIVILEGE Re. Mrs. SVETLANA ALLELEUVA AFFAIR

अध्यक्ष महोदय : मुझे डा० राम मनोहर लोहिया और श्री मधु लिमये से एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि डा० लोहिया को श्रीमती स्वेतलाना से प्राप्त हुए दिनांक 23 मार्च, 1967 के पत्र को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक-कार्य-मंत्री, वाणिज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने स्वेतलाना काण्ड पर इस सभा में कथित गलत वक्तव्य देकर सभा को गुमराह किया है।

अब मैं डा० लोहिया से इस विशेषाधिकार प्रश्न को उठाने के लिये सभा की अनुमति लेने के लिये कहूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): I want to say something before asking for leave of the House to raise the question of privilege........ (**Interruptions**).

Shri Madhu Limaye (Monghyr) ; It is a rule. Why are these people shouting? The Hon. Speaker has allowed him.

Shri B. N. Kureel (Ramsanehighat): Mr. Speaker, I rise on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

Shri B. N. Kureel: This House has assembled here to transact very important business. The Hon. Member is wasting the time of the House and the taxpayers' hard-earned money by raising the issue of private letters here.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : नियम 224 (3) के अन्तर्गत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब तक इस मामले में इस सभा द्वारा हस्तक्षेप किया जाना जरूरी न हो डा० लोहिया इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को नहीं ला सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० लोहिया को बोलने की अनुमति दी है। उन्हें बोलने दीजिये।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्रीमान् मेरा अनुमान है कि आपका इरादा सभा से यह जानने का है कि क्या इस मामले में विशेषाधिकार भंग हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

Dr. Ram Manohar Lohia: It is a grave offence to make wrong statements before the House and to misled it deliberately. The only way open for the Government now is that it should resign. Therefore my first demand is that I should be allowed to read the statement made by Shri Chagla on the 31st March, in which he has stated thus: "I have the authority to state to this House categorically that at no time, either orally or in writing, did she make a request to him either in his capacity as Minister of State for External Affairs or in his personal capacity as a relation of hers...." In the end he added: "This is a categorical statement that I am making to this House."

अध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया कृपया बैठ जायें। इसे अनुमति मिल जाने के बाद भी वह अपने तर्क उपस्थित करेंगे। इसलिये अब वह केवल सभा की अनुमति मांगें।

Dr. Ram Manohar Lohia: All right. I beg to ask for the leave of the House......

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शायद डा० लोहिया समझते हैं कि माननीय मंत्री द्वारा गलत वक्तव्य दिये जाने के कारण विशेषाधिकार भंग हुआ हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उन्हें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें और नियम 222, 225 और 226 पढ़ें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यदि कोई आपत्ति नहीं की जाती है, तो सभा को सम्बोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे निदेश संख्या 115 पढ़ने के लिये निवेदन करूंगा। उसमें गलत वक्तव्यों के बारे में विशेष प्रक्रिया दी हुई है। मेरे पास वह पुस्तक नहीं है अन्यथा मैं उसे पढ़ देता।

अध्यक्ष महोदय : वह यहां लागू नहीं होती। विधि मंत्री।

श्री गोविन्द मेनन : मुझे प्रसन्नता है कि डा० लोहिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सभा में क्या पेश कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : केवल 25 ही काफी हैं । इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है । माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : इस प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नियम 226 का अनुसरण करने की बजाय नियम 227 के अन्तर्गत आप इसे सीधे ही विशेषाधिकार समिति को सौंप दें । इस समय इस सभा में इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद बिल्कुल उचित नहीं होगा । इतनी बड़ी सभा में आरोपों को सिद्ध अथवा उनको गलत साबित करना बड़ा कठिन है । इसलिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये क्योंकि प्रत्यक्षत: यह सिद्ध हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : दो वक्तव्य हमारे सामने हैं । मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता । मैं यह निर्णय सभा पर ही छोड़ता हूं कि उनमें से कौन-सा ठीक है और कौन-सा गलत । कोई मुझे एक विशेष रास्ता अपनाने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है ।

श्री प्र० के० देव (कालाहॉडी) : श्रीमन्, आप तो एक अजीब प्रक्रिया अपना रहे हैं । ऐसे मामलों में एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अजीब नहीं है । मैं नियमों के अनुसार ही चल रहा हूं ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं श्री मसानी के सुझाव से सहमत हूं । इस पर बाद-विवाद से सभा के अन्य उपयोगी कार्य में विलम्ब होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता । सभा को ही यह निर्णय लेने दीजिये ।

श्री प्र० के० देव : आपको इस पद की प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी चाहिये । अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये । ऐसे मामलों में प्रथा यह है कि उन्हें पूरी जांच के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है । इसलिये आप इस पर पुनर्विचार करें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा निवेदन भी यही है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये । यह समिति सभा को जब अपना प्रतिवेदन देगी तो उस समय इस सभा को उस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा । इसलिये बेहतर यही है कि इस समय इस पर यहां कोई चर्चा न हो और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है और डा० लोहिया को बोलने के लिये कहा है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I beg to move the following motion:

"It is the sense of the House that, **prima facie**, there is a discrepancy, between the repeated and categorical assertions of the Minister of External Affairs, on his own behalf and that of the Commerce Minister and the Government headed by the Prime Minister and the letters from Mrs. Svetlana to Dr. Lohia; and the House, therefore, resolves to refer the matter to the Privileges Committee."

I have already read out the statement of the External Affairs Minister which he made on the floor of the House on the 31 March, 1967.

On the 21st March he said:

"Leave aside a pathetic request, but even an ordinary request was not made."

"It is absolutely incorrect to say that this lady made any request to the External Affairs Ministry, to any Minister or to the Prime Minister, to stay on in this country. I have said it before....."

I leave it at that as it will take a long time. I will read only two paragraphs from the letter that I have received from her.

Shri Madhu Limaye : On a point of order. Kindly allow this letter to be laid on the Table of the House later on.

"**Shri Sheo Narain** (Basti): What is the proof that it is from Svetlana?"

Mr. Speaker : The Hon. Member may continue his speech.

Dr. Ram Manohar Lohia : In her letter she has said:

"Yes, there was a private talk between me and Dinesh Singh in January, in Kalakankar, about the possibility for me to stay in India the rest of my life. I've asked him whether it will be possible for me to approach the Prime Minister with such a request. Dinesh knew my feelings to my late husband, to Kalakankar, to India. It was no surprise for him that I wished to stay in India".

"But he told me that he thinks it would be impossible to settle, because of the strongest opposition from the Soviet Government, which would inevitably arise."

Again she has said:

"By the end of January, before Dinesh Singh left Kalakankar for Delhi, he talked with me again, to make quite clear to me, that Indian Government, the Prime Minister, and he himself would not be able anyhow to help me, if I decided not to return to Moscow and stay in India. He said that I should try to find some ways myself to settle the problems with the Soviet Government and if I would succeed in that then, certainly I can expect the help from the Indian side also."

These are two self-contradictory statements. One of them is telling a lie. It can be said that Svetlana is telling a lie which can be known when prosecution is launched later on. **Prima facie,** the case has been made out that the Ministers have misled the House. An official of the Ministry was sent there and his account of his talks with her was considered so good

that it was placed before the House. It thus becomes quite clear that a wrong statement was made.

If some false statement is made or some part of the truth is concealed and that too deliberately then it is a clear breach of privilege.

It is quite obvious that the External Affairs Minister or the Commerce Minister have told a deliberate lie and also concealed a part of the truth. So far as the Prime Minister is concerned, she has done both these things. The question now remains is this whether it has been done deliberately or unknowingly.

Shri Chagla has made it clear that he ascertained the position from Shri Dinesh Singh also and his statement was based on that information as well. Shri Chagla has done this deliberately. I am giving another proof of it. The Hon. Minister stated on 31st March in his reply :

"Now what happens? She comes on a Russian passport with a visa for two weeks. The visa expired. If we were so minded to get rid of her, we could have said : 'Well, your visa has expired; you have to go back'. But we did not say that. I was asked by some Hon. Member......"

By this statement he has deliberately misled the House by putting this thing into their mind that the Russian nationals take their passports with them wherever they go and ask for extension of their visas where they like as nationals of other countries can do, and Svetlana did the same thing. But I may tell that the Russian Government have their own separate system. The passport of Svetlana was with the Russian Embassy a few hours before as per the Hon. Minister's statement here. Therefore this question does not arise that she could have asked for extension of her visa. It is thus quite clear that by saying so the Hon. Minister has fabricated the whole thing for deliberately withholding certain facts from the House or making untruthful statements.

From her letters as well as my talks with her it is quite clear that she requested Shri Dinesh Singh to assist her in her stay in India but he discouraged her. I told her that she could stay with me in my house and I would fight for her stay in India, though I had a sad experience of this as I had not been able to help an American lady also.

On the 21st March, Shri Nath Pai put this question :

"Did she not request the Prime Minister?"

In answer to this question Shri M. C. Chagla said : "No".

The Prime Minister was then present in the House and was quietly listening to all those untruthful statements. So, she has also become involved in this affair as per the parliamentary practice. Thus, all these three persons have misled the House.

So far as the genuineness of the letter received from Svetlana from Switzerland is concerned I can say that the handwriting of the letter she wrote from Kalakankar and this letter is the same.

The questions why she left this country and who helped her in leaving this country should not be raised here again and again. Shri Chagla has admitted in his statement that she is the wife of the late Shri Brajesh Singh. It means that she can acquire Indian citizenship under

our citizenship laws in a matter of seconds. So I am raising this issue as being the issue of an Indian who was not allowed to stay here. This is a case of a broken lady and she needs all the sympathy from this House. So I request you to refer this matter to the committee of privileges.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : I beg to move the following amendment to the motion moved by Dr. Lohia :

"This House is of opinion that the Minister of External Affairs, Minister of Commerce and the Prime Minister have not committed any breach of privilege of the House with regard to the complaint of privilege brought before the House by Dr. Ram Manohar Lohia today."

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कोई संशोधन मूल प्रस्ताव के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हो सकता। यह स्थानापन्न प्रस्ताव है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। इस सम्बन्ध में आप नियम संख्या 226 को देखिए। इस समय सभा के सामने प्रस्ताव यह है कि इसे समिति को भेज दिया जाये। क्या वह अपने संशोधन से इसे समिति को भिजवा रहे हैं अथवा नहीं ?

ससंदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री रामसुभग सिंह) : जी नहीं।

श्री नाथपाई : यदि सदन के सामने डा० लोहिया का मूल प्रस्ताव होता तब तो संशोधन उचित होता। परन्तु इस समय प्रस्ताव यह है कि इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाये। इसलिए यह नियम बाह्य है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम बाह्य कैसे है ? डा० लोहिया का कहना है कि प्रथम दृष्टि का मामला है कि इसे समिति को भेज दिया जाये। परन्तु डा० रामसुभग सिंह कहते हैं कि प्रथम दृष्टि से ऐसा मामला नहीं है।

श्री नाथपाई : पहली अवस्था तो यह थी कि आप प्रस्ताव को रख देते और फिर पूंछते कि किसी को उस पर आपत्ति है। दूसरी अवस्था यह है कि अनुमति मिल जाये। अब तीसरी अवस्था यह है कि हम मूल प्रस्ताव पर अभी विचार करें अथवा इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें। इसलिए इस प्रस्ताव की अब तीसरी अवस्था है। डा० रामसुभग सिंह को यदि कोई आपत्ति उठानी थी तो प्रथम अवस्था में उठा सकते थे जब डा० लोहिया ने प्रस्ताव पर सभा की अनुमति मांगी। इसलिए इस प्रकार पर इस समय संशोधन नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई ने विषय स्पष्ट कर दिया। प्रस्ताव को मतदान द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव सभा के सामने है।

डा० रामसुभग सिंह : श्री नाथपाई यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इस प्रस्ताव पर पहले ही आपत्ति उठा सकता था। जब सभा ने उसकी अनुमति दे दी है तो वह कैसे हो सकता था ? इसलिए मैंने यह संशोधन उस समय प्रस्तुत किया जब वह प्रस्ताव सभा के सामने आ गया।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : हमें इस बात को समझना चाहिए कि प्रश्न यह नहीं कि इस स्त्री को शरण देना ठीक था अथवा नहीं·········

Shri Madhu Limaye (Monghyr): On what subject is he speaking? Is he speaking on the point of order raised by Shri Nath Pai?

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं श्री नाथपाई के संशोधन पर सुनना चाहता हूँ।

श्री गोविन्द मेनन : संशोधन का मूल यह है कि प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति के पास भेजने के बारे में उचित विषय सिद्ध नहीं हुआ है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : महोदय नियम संख्या 344 (2) में लिखा है कि कोई संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत हो। अभी विधि मंत्री ने कहा कि इस संशोधन का प्रभाव नकारात्मक मत होगा। इसलिए यह नियम बाह्य है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, the amendment moved by Dr. Ram Subhag Singh is neither relevant nor within the scope of the motion to which it is proposed. Hence there should be debate now on the motion of Dr. Ram Manohar Lohia.

श्री दत्तात्रेय कुंटे : महोदय आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि जो संशोधन मूल संशोधन के विरुद्ध हो उसे पेश नहीं किया जा सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Mr. Speaker, the motion of Dr. Lohia can be noted down.

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हीं बातों को दुहरा रहे हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

विशेषाधिकार का प्रस्ताव—जारी
MOTION OF PRIVILEGE—Contd.

अध्यक्ष महोदय : डा० राम मनोहर लोहिया ने जब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाये, डा० रामसुभग सिंह ने एक और प्रस्ताव पेश किया कि सदन के मतानुसार मंत्री महोदय से सदन की कोई मान हानि नहीं हुई।

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि कोई भी संशोधन विषय से सम्बन्धित होना चाहिए तथा प्रस्ताव के दायरे में भी होना चाहिए।

मेरे विचार में नियम संख्या 226 स्वयं-पूर्ण नियम है। यदि इस प्रस्ताव को मतदान द्वारा अस्वीकृत कर दिया तो इसका अर्थ यह होगा कि यह विशेषाधिकार समिति को नहीं भेजा जायगा। लेकिन विशेषाधिकार का मूल प्रश्न कि सभा की मान हानि हुई है अथवा नहीं, वह फिर भी रह जायेगा और उस पर सभा को निर्णय देना होगा।

डा० लोहिया का यह कहना ठीक है कि सभा को मान हानि के प्रश्न पर निर्णय देना चाहिए।

मैं निर्णय देता हूँ कि दोनों प्रस्ताव नियमानुकूल हैं तथा एक के बाद दूसरे सभा के मतदान के लिये रखे जाने चाहिए। पहले डा० लोहिया का प्रस्ताव रखा जायेगा और यदि वह अस्वीकृत हुआ तो डा० रामसुभग सिंह का प्रस्ताव रखा जायेगा।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : महोदय इस पर मतदान 2.30 बजे होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : महोदय आपने कहा कि दो प्रस्ताव हैं। परन्तु डा० रामसुभग सिंह ने तो केवल संशोधन रखा है, उसे प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूँ। यह दोनों प्रस्ताव रहेंगे। डा० लोहिया के प्रस्ताव का कहना है कि प्रथम दृष्टि से मामला सिद्ध हो गया है और यह विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये। डा० रामसुभग सिंह के प्रस्ताव में कहा गया है कि यह मामला सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए विशेषाधिकार समिति के पास नहीं जाना चाहिए। यह दोनों अलग-अलग प्रस्ताव हैं। आप इन्हें संशोधन समझते हैं परन्तु मैं इन्हें प्रस्ताव ही समझूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : डा० लोहिया के प्रस्ताव में लिखा है कि इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये। प्रथम दृष्टि से मामला सिद्ध हो गया है अथवा नहीं यह जानना विशेषाधिकार समिति का कार्य है। परन्तु दूसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि वह वैकल्पिक प्रस्ताव है कि मौलिक प्रश्न पर सभा निर्णय दे चुकी है। यह कैसे हो सकता है ?

श्री दत्तात्रेय कुंटे : क्या सदन दोनों प्रस्तावों पर एक साथ विचार कर रहा है। यदि हां तो किस नियम के अन्तर्गत ? मैं प्रस्तावों की स्वीकृति के बारे में प्रश्न नहीं कर रहा हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं नियम संख्या 226 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। आज प्रातः आपने अपना निर्णय दिया कि प्रथम दृष्टि से मामला सिद्ध हो गया है। तभी आपने डा० लोहिया को इस मामले को सभा में उठाने की अनुमति दी। पहले भी एक बार श्री मधु लिमये के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न था और उस पर श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने एक संशोधन रखना चाहा परन्तु अध्यक्ष महोदय ने उसे रद्द कर दिया था।

श्री दत्तात्रेय कुंटे : महोदय नियम संख्या 226 के अन्तर्गत केवल एक ही प्रस्ताव सभा के सामने हो सकता है, दो नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने निर्णय में कहा है कि यह अलग प्रस्ताव है ।

Shri Madhu Limaye: I have a point of order.

अध्यक्ष महोदय : मेरे निर्णय पर आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें विषय पर चर्चा करनी है तथा उस पर निर्णय लेना है । श्री मसानी ।

श्री मी० रु० मसानी : मैं डा० लोहिया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । इसका अर्थ यह नहीं कि स्वेतलाना अथवा कोई और झूठ बोल रहा है । जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने दिया है तथा जो पत्र डा० लोहिया को प्राप्त हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सबूत में कहीं मतभेद है । इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने का अर्थ यह होगा कि वहां सारे सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलाया जायेगा और यह पता लग जायेगा कि सभा की मानहानि हुई है अथवा नहीं । मुझे आश्चर्य है कि इसका विरोध हो रहा है ।

श्री मी० रु० मसानी : (राजकोट) इस स्थानापन्न प्रस्ताव का क्या मतलब है । मुझे खेद है कि संसदीय कार्य मंत्री जैसे समझदार व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को पेश किया है । इसका अर्थ यह है कि वे अर्ध-न्यायिक संस्था (विशेषाधिकार समिति) द्वारा जांच नहीं कराना चाहते, बल्कि वे सभा के साधारण बहुमत से सत्यता असत्यता की जांच कराना चाहते हैं । विधि-शासन के स्थान पर वे जन-न्याय (पीपल्स जस्टिस) का आश्रय ले रहे हैं । मैंने तो यह सोचा था कि सम्बन्धित सभी मंत्री इस बात का स्वागत करेंगे कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय । परन्तु जिस प्रकार से वे जांच को टाल रहे हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि जो स्वेतलाना ने बताया है, वह वास्तव में सच है और जो उसके द्वारा बताये गये तथ्यों का खंडन कर रहे हैं, वे दोषी हैं और सभा को गुमराह कर रहे हैं । अतः मैं यह अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाये और संसदीय प्रतिष्ठा और ईमानदारी का ध्यान रखते हुये यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये । यदि विशेषाधिकार समिति सम्बन्धित मंत्रियों को निर्दोषी बता देगी तो यह गलत धारणा ही समाप्त हो जायेगी ।

Shri Balraj Madhok : To avoid the acrimonious debate on the matter I appealed to you that it should be referred to the committee of privileges and the matter should be disposed of there. If such matters will not be referred to the committee of privileges, what for that is meant. The method adopted this time is not a healthy one and it appears from that the charges levelled by Dr. Lohia are true. Since the Ministers appear to be guilty, so they do not favour that it should be referred to the Committee of Privileges. It will not add to their prestige. I request you, therefore, that this motion should be withdrawn and the matter should be referred to the Committee of Privileges.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) मुझे यह ही समझ में नहीं आया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्यों पेश किया गया । यदि डा० लोहिया द्वारा लगाये गये आरोप सच भी हों तो भी इससे सभा का अवमान नहीं होता और न इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न है । 26 जनवरी 1950 से पहले ब्रिटेन की संसद का भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी मंत्री के गलत ब्यानी

को सभा का अवमान माना गया हो या इसे विशेषाधिकार का प्रश्न बनाया गया हो। इससे पश्चात हमारी संसद के अपने विशेषाधिकार बने हैं और आज तक इस प्रकार के जितने भी मामले सभा में उठाये गये हैं उन सभी में तात्कालिक अध्यक्षों का यह निर्णय रहा है कि ऐसे मामलों को सभा के अवमान या विशेषाधिकार भंग का मामला न माना जाये। अतः इस मामले के सम्बन्ध में भी मेरा यह निवेदन है कि इसमें कोई विशेषाधिकार भंग का प्रश्न नहीं है। चूंकि स्वेतलाना एक गैर-सरकारी व्यक्तित्व है और वह भारतीय भी नहीं है। अतः यह मामला भारतीय संसद में उठाना ही नहीं चाहिये। दूसरे हम यह कैसे मान लें कि जो पत्र डा० लोहिया ने दिखाया है वह स्वयं श्रीमती स्वेतलाना ने लिखा है। फिर पत्र में यह भी लिखा है कि किसी मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। यदि किसी सम्बन्ध के नाते कोई गैर-सरकारी व्यक्ति किसी मंत्री से कोई बात करता है तो उसके लिये मंत्री को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। वैदेशिक-कार्य मंत्री स्पष्ट शब्दों में यहां बता चुके हैं कि श्रीमती स्वेतलाना ने कभी भी सरकार से यहां ठहरने की अनुमति नहीं मांगी। इस प्रकार ये आरोप निराधार हैं। अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाय।

श्री दत्तात्रेय कुंटे: सभा के सामने अब दो प्रस्ताव हैं। मूल प्रस्ताव में सभा के सामने कुछ तथ्य रखे गये हैं, और उन्हें विशेषाधिकार समिति को सौंपने को कहा गया है। दूसरे प्रस्ताव में उन तथ्यों को प्रत्यक्षतः असत्य मान लिया गया है और यह कहा गया है कि इसमें कोई विशेषाधिकार भंग का प्रश्न नहीं है। मेरी तो यही बात समझ में नहीं आई कि सभा में कोई सदस्य या मंत्री असत्य बोले और ऊपर से कहे कि इससे विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है। वास्तव में यह बड़ी अच्छी बात होती यदि मूल प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता, जहां उस पर निष्पक्ष भाव से विचार-विमर्श होता। वह स्वयं यह निश्चय करती कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। उस समिति के प्रतिवेदन पर सभा में विचार किया जा सकता था। इस बार ऐसे मामलों को तय करने का एक बड़ा ही विचित्र ढंग अपनाया गया है। यह संसदीय परम्परा के विपरीत है। इसलिये मैं दूसरे प्रस्ताव का विरोध और मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कर्री नारायण राव (बोब्बिली): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती स्वेतलाना का मामला एक साधारण नागरिक का मामला है। वह रूस के पारपत्र पर भारत आई थी। यदि स्वेतलाना को भारतीय नागरिक बना लिया जाता है, तो भारत सरकार इसके लिये जिम्मेदार होगी और इससे भारत और रूस के सम्बन्धों में कड़वाहट आयेगी। इस प्रकार की परिस्थिति में तो कोई मंत्री भी किसी व्यक्ति को ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता कि वह भारत का नागरिक बना लिया जायेगा। हमें इस मामले को बहुत अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये और इस बारे में अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी मंत्री पर विशेषाधिकार भंग करने का आरोप लगाना वांछनीय नहीं है। अतः डा० लोहिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिये।

श्री नाथपाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, हम आपका निर्णय स्वीकार करते हैं, परन्तु आपके निर्णय को सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। संसद् के इतिहास में यह परम्परा एक कलंक के समान होगी और बाद में इस पर पश्चाताप करना होगा। यह पहला ही अवसर है जबकि

विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बजाय, उसे केवल संख्या के आधार पर रद्द किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के द्वारा डा० रामसुभग सिंह अपने उन साथियों का उद्धार करना चाहते हैं जो मुश्किल में पड़े हुए हैं। तर्क और तथ्यों को त्याग कर अब बहुमत के बल मात्र का आश्रय लिया जा रहा है। ऐसे मामलों को इस तरीके से तय करने की परम्परा एक बहुत ही असंसदीय परम्परा होगी। ऐसे मसलों को हल करने के लिये तो विशेषाधिकार समिति की व्यवस्था की गई थी। जब कोई बात स्पष्ट नहीं होती और उसके सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की आवश्यकता होती है तो उसको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है। डा० राम सुभग सिंह को तो ऐसी संसदीय संस्थाओं को दृढ़ बनाना चाहिये था, परन्तु वह अपने दलगत के हित के लिये उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती स्वेतलाना को भारत से प्रेम हो गया है और वह यहां रहना चाहती हैं। यदि उसे यहां रहने की अनुमति दे दी जाती तो इससे देश के लिये कोई खतरा पैदा न होता, क्योंकि स्वेतलाना रूस के विरुद्ध कोई विद्रोह करने नहीं जा रही है। वह तो यहां रहना चाहती थी और अपना जीवन चैन से बिताना चाहती थी। हम शायद अपना इतिहास भूल गये हैं कि हमारे पूर्वज भी वोल्गा से गंगा आये थे। अब इतिहास अपने आपको फिर दोहरा रहा था। एक बार फिर वोल्गा की एक सन्तान गंगा की शरण लेने आई थी परन्तु गंगा के तटवासियों ने उसे किसी डर की वजह से शरण न दी, और ऐसा करके हमने अपनी भारतीय परम्परा को भी तोड़ दिया है। हमारी परम्परा तो यह रही है कि अपनी शरण में आये हुये व्यक्ति को शरण दी जाये, चाहे वह किसी देश से क्यों न आया हो। मेरी तो यह धारणा है कि वह एक नौजवान औरत है जो भारत में रहना चाहती है, और उसे भारत में शरण देने में कोई दोष या अपराध नहीं है।

इस मामले को विशेषाधिकार समिति को न सौंपे जाने से यह गलतफहमी पैदा हो गई है कि वास्तव में सम्बन्धित मंत्रियों ने असत्य बोला है। अतः काम इस प्रकार से किया जाना चाहिये जिससे लोगों की गलत धारणा दूर हो जाये।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : Mr. Speaker, I have been hearing the speeches made in this house about Madame Svetlana's affairs. From the speeches I heard, I conclude that there are many poets like Galib, Mir, Bachchan, Tennyson and Byron in the House.

If once the House stated considering such personal matters then there will be no end to it. We have to follow certain conventions and practices. It has been the practice of the House that if any person gives some statement outside in a private capacity and thereafter a Ministers's statement is made thereon in the House in that connection, the latter is considered more authentic. If now we do not follow that practice and give more authentication to the statement of a private person then I would say that we are following a dangerous path. A ruling was given in 1951 that even if the Government fails to give a correct or full information and it was done intentionally it cannot constitute a breach of privilege.

The marriage ceremony of Shri Brijesh Singh was not performed according to the Indian Law. According to our Law an Indian cannot marry a second time if the first wife is living. The first wife of Shri Brijesh Singh is still alive and therefore his marriage with Svetlana was

illegal. Therefore I would say that she could not be an Indian citizen as has been said. Shrimati Svetlana should have behaved in the manner she has behaved. I would therefore, request you, Sir, that it is not a matter which can be referred to the Committee of Privilege.

Shri Atal Behari Bajpayee (Balrampur) : Allegations have been made that facts have been suppressed and House has been misled in the case of Svetlana. It should not be decided by the vote of the House whether this has been done intentionally or unintentionally because in this way privileges of the House cannot be protected.

A question was asked from the Minister of External Affairs as to why an officer of the Ministry of External Affairs was sent to see Svetlana and the nature of the information he has brought. In reply the Minister of External Affairs stated that he himself wanted to make sure that what is being said about Svetlana is correct or not. But in her letter to Dr. Lohia she has made serious allegations against that officer. That officer cannot be called in the House but he can be called before the Privilege Committee and truth can be known. I would, therefore, request you to refer this matter to the Privilege Committee.

Shri Sheo Narain : I rise on a point of order. Members from both sides should be called turn by turn.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। केवल पन्द्रह मिनट शेष रह गये हैं। यदि सभा चाहती है कि दलों के नेताओं के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को भी बुलाया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इसके लिए दो घंटे का समय चाहिये होगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं डा० लोहिया द्वारा दिये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

जब कोई मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम यहीं पर इस प्रस्ताव के सही या गलत होने के बारे में निर्णय कर लेते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि यह मामला इस सभा की एक अर्द्ध-न्यायिक समिति द्वारा निपटाया जाये।

हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहियें। यह इसलिये होता है कि हम किसी बात का पता लगाते हैं और मंत्री महोदय ऐसे वक्तव्य दे डालते हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते।

यह मामला ऐसा मामला है जिसमें कुछ बातें प्रथम दृष्ट्या सभा में दिये गये वक्तव्य से मेल नहीं खातीं। इसलिये इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। समिति के पास मामले को भेजने से पहले मंत्रियों को दोषमुक्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये जैसा कि संसद्-कार्य मंत्री द्वारा किया गया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : डा० लोहिया ने कहा है कि उनको श्रीमती स्वेतलाना से एक पत्र प्राप्त हुआ है। मैं उनसे इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं............

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है। आप बेकार पेचीदगी पैदा कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

Shri Madhu Limaye : Here a reference has been made of the House of Commons and Parliamentary practices there. I have great respect for their Parliamentary practices. The action taken by Parliament on John Profumo issue was commendable.

The Hon. Members are not understanding the procedure of the Privileges Committee. It is not a question of privileges of any party but of the whole House.

The motion merely says that there is a **prima facie** case and, therefore, it should be referred to the Privileges Committee. That is the only way how truth would come out. We should not frighten from the truth to come out.

Shri Sheo Narain : The supporters of the question of breach of privilege, who want to replace us, are putting before us and the country an example.

I want to ask one question from Dr. Lohia. When this lady requested him that she wants to stay in India and as he was a bachelor. Why he did not ask her to stay with him (**interruptions**). After she left India, he made a wide publicity to it.

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) : मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और स्थानापन्न प्रस्ताव का विरोध करता हूं। कांग्रेस दल का आचरण ऐसा है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा ही जाना चाहिये। हालांकि इस मामले में मंत्रिमण्डल के एक सदस्य, श्री दिनेश सिंह के विरुद्ध इस सभा में और दूसरे सदन में—दोनों में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, श्री दिनेश सिंह ने कभी भी स्थिति का सामना नहीं किया। हमेशा श्री चागला ही उनकी ओर से उत्तर देते रहे। जब कोई सदस्य कोई आरोप लगाता है तो सरकार को शर्माना नहीं चाहिये। दूसरे, सरकार ने विशेषाधिकार प्रस्ताव के विरोध में एक स्थानापन्न प्रस्ताव रख दिया है।

आज यह समस्या समूचे देश की समस्या बन गई है। इस मामले में कांग्रेस दल को अपने बहुमत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। यदि वह ऐसा करते हैं तो यह इस सभा के अधिकारों का ही हनन नहीं है, बल्कि जनता की भावनाओं को दबाया जाना है। यदि वे ऐसा ही करते जायेंगे तो यहां भी हरियाना और उत्तर प्रदेश की स्थिति बन जायेगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : On a point of order. The document with Dr. Lohia is a private document. That is not a public document. That has not got the authenticity of public document. Therefore, it is not admissible.

श्री दिनेश सिंह : यह मामला अब तक वैदेशिक-कार्य मंत्री को ही सम्बोधित किया गया था इसलिये मैंने यही सोचा कि उन्हें ही इसका उत्तर देना चाहिये। मैं इसीलिए इस बारे में चुप था। इस सम्बन्ध में काफी बातें उठाई गई हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वे श्रीमती स्वेतलाना एलील्यूवा और उसके परिवार के निजी मामलों से सम्बन्धित हैं। वह अवश्य ही यहां आई थीं और हमारे साथ रही थीं।

वह मेरे चाचा की मित्र थीं, हालांकि उसकी मेरे चाचा से कभी शादी नहीं हुई थी। वह हमारे घर में रही थीं और उससे बहुत से निजी मामलों पर बातचीत हुई थी जिनका यहां पर उल्लेख करना उचित नहीं होगा।

माननीय सदस्य डा० लोहिया शायद इससे राजनैतिक लाभ उठाना चाहें परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने स्वयं कहा है कि वह उनसे मिली थी और उन्हें बताया था कि वह इस देश में रहना चाहती हैं। यदि उन्हें उसके बारे में इतनी चिन्ता थी तो उन्होंने यह मामला उसी समय क्यों नहीं उठाया जब वह यहां पर थीं। यद्यपि उन्हें और किसी ऐसे मामले में कटु अनुभव था, तब भी वह इस मामले को सभा में उठा सकते थे।

ऐसा लगता है कि उन्होंने यह कोशिश की कि वह यहां रहने के लिये राजी हो जायें। परन्तु वह सहमत नहीं हुई और यहां से चली गई।

अब वह इस सारे मामले को फिर से उठाना चाहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सरकार गलती पर थी।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, वैदेशिक-कार्य मंत्री ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। श्रीमती एलील्यूआ ने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा कि मैं उनके भारत में रहने के लिये कदम उठाऊं। उसने मुझसे राजनीतिक शरण के लिये या स्थायी रूप से रहने के लिये कोई कार्यवाही करने के लिये नहीं कहा। मैं बारीकियों में नहीं जाना चाहता। इसलिये सरकार ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु०क० चागला) : मैं इस विषय पर दो बार यहां पर और दो बार राज्य सभा में बोल चुका हूं।

मैं इस मामले में और कोई बात नहीं जोड़ना चाहता। मेरे पर गम्भीर आरोप लगाए गये हैं और उनका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। श्री नाथपाई ने कुछ ऐसी बात कही है जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। उन्होंने पूछा था कि क्या मैं लैटिन की यह कहावत भूल गया हूं कि सच्चाई को छिपाने का अर्थ झूठा सुझाव देना है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यदि मुझसे उसका एक अंश भी बलिदान करने के लिये कहा जाय तो मैं एक मिनट के लिये भी इस पद पर नहीं रहूंगा। यदि उन्होंने कार्यवाही को पढ़ा होता तो वह यह आरोप न लगाते। मैं सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मेरे वक्तव्य का एक-एक शब्द सही है। श्री वाजपेयी ने भी कहा है कि मैंने सच नहीं बोला है। मुझे इसी चीज का सबसे अधिक अफसोस है। यदि कोई यह कहे कि मैंने गलती की है तो मैं उसे मान लूंगा क्योंकि हर एक आदमी गलती कर सकता है। परन्तु यदि कोई यह कहे कि मैंने झूठ बोला है अथवा सभा को गुमराह करने की कोशिश की है तो मैं इसे सहन नहीं कर सकता। यदि मुझे यह तसल्ली हो जाये कि मैंने झूठ बोला है तो मैं तुरन्त अपना त्यागपत्र दे दूंगा।

डा० लोहिया ने अपने पत्र के कुछ अंश पढ़ कर सुनाए हैं। मैं उनमें से प्रत्येक अंश को पढ़ूंगा और इस सभा का समाधान करूंगा कि मेरे द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द सही है।

'14 मार्च को स्विटजरलैण्ड के न्यायमंत्री ने कहा था कि भारत तथा अमरीका दोनों ने श्रीमती एलील्यूआ की शरण लेने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया।'

मैंने कहा था कि यह वक्तव्य बिल्कुल गलत है। डा० लोहिया का पत्र कहता है कि यह ठीक है। मैंने सरकारी कागजात की जांच कर ली है और यह सही नहीं है। 21 मार्च को भी मैंने यही कहा था कि "यह सही नहीं है।"

मैंने आगे कहा था :

"वह कुछ अवधि के वीसा पर रूसी पारपत्र के साथ आई थी। जब उसने वीसा की अवधि बढ़ाने के लिये कहा तो उसकी हमने मंजूरी दे दी। उसके बाद, उसने भारत में और अधिक ठहरने की अपनी इच्छा कभी भी जाहिर नहीं की और न ही हमें रूसी दूतावास से या उससे इस बारे में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि वह भारत में रहना चाहती थी।"

इसका प्रत्येक शब्द सही है। मैं तो वैदेशिक कार्य-मंत्री की हैसियत से उत्तर दे रहा था। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

मैंने आगे कहा था :

"अतः उसे भारत में शरण देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वह पारपत्र के साथ आई थी और यदि वह आगे ठहरना चाहती थी तो हम वीसा की अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर सकते थे। यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी यह सुझाव नहीं दिया कि वह वीसा की अवधि, जो 15 मार्च तक थी, के बाद ठहरना चाहती थी।"

दूसरा अंश यह था :

"यह कहना सर्वथा गलत है कि इस महिला ने इस देश में रहने के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्री, किसी मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को कोई प्रार्थना नहीं की।"

यह बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी ओर से और वैदेशिक-कार्य मंत्री के रूप और प्रधान मंत्री की ओर से यह बता रहा हूं। मैं अपने सहयोगी राज्य-मंत्री की ओर से जिस पद पर कि वह उस समय थे, निर्देश कर रहा हूं।

मैंने आगे कहा था :

"नम्र निवेदन की बात छोड़िये, कोई साधारण अनुरोध भी नहीं किया गया था।"

यह बिल्कुल सही है। मैंने फिर कहा :

"मैंने यह पहले भी कहा है और पुनः दोहराता हूं कि हमने वीसा की अवधि बढ़ा दी थी और वह भारत में ठहरना चाहती थी इस तरह का कोई सुझाव या प्रश्न नहीं था।"

अब अन्तिम पैरा आता है :

"अब यह भेद किया गया है अथवा करने की कोशिश की गई है कि मैंने केवल यह कह दिया है कि उसके यहां ठहरने के लिये सरकार अथवा मंत्री महोदय को कोई प्रार्थना नहीं की गई थी और आक्षेप यह है कि उसने यह प्रार्थना श्री दिनेश सिंह को उसकी निजी हैसियत से की थी।"

यह मेरी जानकारी नहीं है; इस पर ध्यान दीजिये :

"मेरे पास इस सभा को स्पष्ट शब्दों में यह बताने का प्रमाण है कि उसने दिनेश सिंह को नहीं उनके वैदेशिक-कार्य राज्य-मंत्री होने के नाते और न ही उसका रिश्तेदार होने के नाते लिखित अथवा मौखिक रूप में कभी भी कोई प्रार्थना नहीं की थी। मैं सभा के सामने यह साफ-साफ बयान दे रहा हूं।"

यह बयान मुझे वाणिज्य मंत्री से प्राप्त हुआ था। वाणिज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें किस कारण यह बयान देना पड़ा। अत: यह मेरी जानकारी नहीं थी। मुझे जो भी जानकारी थी वह सम्बन्धित मंत्री होने के नाते थी और उसे मैंने सभा के सामने रख दिया था। जब मुझसे पूछा गया कि अपनी निजी हैसियत में श्री दिनेश सिंह की कार्यवाही के बारे में क्या स्थिति है, तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उनसे उस स्थिति का पता लगाऊं। उनसे स्थिति का पता लगाकर मैं यहां आया और सभा को उसकी जानकारी दी। मैंने इस सभा में क्या असत्य बोला है। मैंने क्या सच्चाई छिपाई है। थोड़ी लैटिन जानना तो कोई बुरी बात नहीं है। श्री नाथपाई को पता है कि थोड़ी लैटिन जानना बड़ी खतरनाक चीज है।

श्री मसानी और श्री मधोक के इस कथन पर मुझे आश्चर्य है कि यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जाता है तो सरकार की प्रतिष्ठा को खतरा है। नियम किस लिए बनाया गया था। नियम 226 में दिया हुआ है :

"यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाए, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।"

नियम में दो तरीके सुझाये गये हैं। प्रश्न अब केवल यही है कि क्या यह विषय ऐसा है जिसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये या ऐसा है जिस पर सभा में चर्चा करके निर्णय लिया जाना चाहिये। मैं नहीं समझ सका कि इस पक्ष की ओर से किये गये इस सुझाव में आपत्तिजनक या अनुचित बात क्या है कि इस पर यहीं निर्णय किया जाये और इसे विशेषाधिकार समिति को न सौंपा जाये। अब मैं इस बात का समाधान करूंगा कि इसे विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं सौपा जाना चाहिये,

श्री मी० रु० मसानी : प्रश्न तो यह है कि झूठ कौन बोल रहा है ?

श्री मु० क० चागला : क्या मसानी साहेब कुछ सबर से काम लेंगे ? एक माननीय मंत्री द्वारा......

Shri Madhu Limaye : Where is the honour ?

श्री मु० क० चागला : एक गुट के नेता के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देतीं...

(अन्तर्बाधाएं)

Shri Madhu Limaye : How did you address Shri Nath Pai just now ?

श्री मु० क० चागला : अब स्थिति यह है कि एक ओर तो मंत्री महोदय द्वारा सभा में दिया गया बयान है और दूसरी ओर एक गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा लिखा गया पत्र है जिसमें कुछ भिन्न ही बात लिखी हुई है। हम नहीं जानते कि जो कुछ पत्र में लिखा हुआ है वह सही है अथवा नहीं। अतः क्या सभा इस बात के लिये तैयार है कि इस मामले की जांच की जाये क्योंकि एक गैर-सरकारी व्यक्ति ने मंत्री महोदय के बयान की सच्चाई के बारे में चुनौती दे दी है? यह एक गम्भीर विषय है। इसलिये हमें अपने लिये तथा सभा के लिये अवश्य नियम बनाने चाहिये। जब कोई व्यक्ति मंत्री महोदय के बयान की सच्चाई के बारे में चुनौती देता है तो हम ऐसे हर मामले को विशेषाधिकार समिति के पास नहीं भेज सकते। यदि कोई लोक महत्व का विषय हो तब तो उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा भी सकता है परन्तु यहां की स्थिति क्या है?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : एक गैर-सरकारी व्यक्ति के बीच अन्तर..........
(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री अभी बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टै) : आप हमें बैठने के लिये कह सकते हैं न कि सभी विरोधी सदस्यों को। यह क्या बकवास है?......... **(अन्तर्बाधाएं)** मैंने दो तीन बार यह बात देखी है कि जब भी कोई सदस्य इस ओर से बोलने लगता है तो वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप भी चुप रहते हैं। मैं उनसे दबने वाला नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। जब भी कोई सदस्य बोलता है दोनों ओर से चिल्लाने की आवाज आती है। यदि वह मान जायें तो आप कुछ कह सकते हैं परन्तु वह मान नहीं रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इतने समय तक मैं नहीं बोला था। जब मैं बोल रहा था तो श्री चागला सुन रहे थे परन्तु इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस तरह चिल्लाने से तो सभा में एक मिनट भी काम नहीं हो सकता है। सभा के नेता को इन लोगों को हिदायतें देनी चाहिये।

मैं चाहता था कि श्री चागला इस बात का स्पष्टीकरण कर देते कि जिस गैर-सरकारी व्यक्ति ने ऐसा पत्र लिखा था वह साधारण गैर-सरकारी व्यक्ति था या सम्बन्धित व्यक्ति था। उन्हें गैर-सरकारी व्यक्ति तथा सम्बन्धित व्यक्ति के अन्तर को बताना चाहिये।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : यदि ऐसा चलता रहा तो बातों की बजाये मार-पीट शुरू हो जायेगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (नन्दयाल) : हम बिल्कुल चुप रहे हैं और हमारे पर चिल्लाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। विरोधी दलों के सदस्य ही चिल्लाते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं एक बार भी नहीं बोला हूँ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं दोनों ओर के सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि एक ओर के सदस्य दूसरी ओर के सदस्यों का प्रतिरोध करते जायेंगे तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। मैं किसी की ओर से सफाई नहीं दे रहा हूँ। प्रत्येक सदस्य को धैर्य करना चाहिये। यदि कोई सदस्य बोल रहा हो और उसके भाषण में निरन्तर बाधायें डाली जायें तो उसे गुस्सा आ ही सकता है। अतः यदि कोई सदस्य बोल रहा हो और दूसरा सदस्य भी बोलना चाहता हो तो उसे थोड़ी देरी के लिये तो धैर्य रखना ही चाहिये जब तक कि पहला सस्दय न बोल ले। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कोई काम नहीं चल सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप इसे न्यायसंगत सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यह गलत बात है...

श्री मु० क० चागला : मैं इसकी व्याख्या कर रहा था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं एक बार भी नहीं बोला हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की धैर्य की सीमा होती है। हम चाहते हैं कि सभा की प्रतिष्ठा तथा गौरव बना रहे। परन्तु यदि यही रवैया बना रहा तो जो बात श्री गोपालन ने कही है वह सिद्ध हो सकती है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर जोश में न आ जायें। मैं तो यह कह रहा हूँ कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : होता यह है कि एक ओर से कोई गलत बात कही जाती है तो दूसरी ओर के सदस्य भी वैसा ही करना आरम्भ कर देते हैं। ऐसा करने से कोई मामला सुलझ नहीं जाता है। मंत्री महोदय एक गम्भीर वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं। अतः मैं सब सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि उनको धैर्यपूर्वक सुना जाये। बाद में डा० लोहिया को भी उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को यह बता रहा था कि नियमों में दो विकल्पों की व्यवस्था की गई है। एक व्यवस्था तो यह है कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाये और दूसरी व्यवस्था यह है कि उसे गुण तथा दोषों के आधार पर सभा में तय कर लिया जाये। अब मैं यह बताऊंगा कि इस ओर के सदस्यों ने इस मामले को समिति को न भेजने तथा उसे यहां पर तय करने का फैसला क्यों किया है। उन्होंने यह फैसला इसलिये किया है क्योंकि यदि एक बार ऐसा किया गया तो यह एक पूर्वोदाहरण बन जायेगा और जब कभी भी मंत्री के बयान के बारे में इस तरह की चुनौती दी जायेगी तो उस पर निर्णय कराने के लिये हमें हमेशा विशेषाधिकार समिति के पास जाना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि यह लोक महत्व का विषय नहीं है यह एक गैर-सरकारी पत्र है। इसमें लोक महत्व का विषय क्या है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : आश्रय देने से इंकार करना।

श्री मु० क० चागला : श्रीमती स्वेतलाना एक रूसी महिला है जो निजी काम से यहां आई। वह श्री दिनेश सिंह अथवा उनके चाचा के पास गैर-सरकारी रूप से रही। रूस जाने की बजाय वह रोम चली गई और बाद में स्विटजरलैण्ड। वह वहां रह रही है। वह भारतीय नागरिक नहीं है। सामाजिक अथवा सरकारी रूप से हमारा उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उसने शरण के लिये कभी नहीं प्रार्थना की। दूसरे क्या मैं डा० लोहिया से पूछ सकता हूँ कि जबकि उनको इस बात का जनवरी में ही पता लग गया था तो उन्होंने यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं लाई। सभा स्वयं ही इस बारे में अनुमान लगा सकती है।

अब मैं श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इस सभा को बता दिया था कि मैं तब तक कोई वक्तव्य नहीं दूंगा जब तक उसकी पूरी सच्चाई के बारे में मुझे पता नहीं लग जाता। इसके लिये मैंने श्री जयपाल को स्विटजरलैण्ड भेजा था। वह वहां जाकर श्रीमती स्वेतलाना से मिले थे और उसके साथ जो उनकी बातचीत हुई वह उन्होंने मुझे बताई है। मुझे इस बात का सन्तोष है कि जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वह ठीक है। पहले यह कहा जा रहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है, उसे अपनी इच्छा के खिलाफ इस देश को छोड़ना पड़ा। उसे बाहर निकाला गया और हमने उसके लिये कुछ नहीं किया। तब श्री जयपाल ने वहां जाकर उसे समझाया कि चूंकि आपने किसी मंत्री को आवेदन-पत्र नहीं दिया था इसलिये क्या किया जा सकता था। अतः जो कुछ मैंने कहा है उसमें क्या गलत बात है। अमरीका और अमरीकी गुप्तचर विभाग के एजेंटों के साथ सांठगांठ की कहानी का और इस कहानी का कि उसका अपहरण किया गया और उसे गुप्तरूप से हवाई अड्डे पर ले जाया गया और गुप्तरूप से बाहर भेजा गया, भंडाफोड़ पहले ही हो चुका है। इस मामले की सच्चाई तो यह है कि वह अन्ततोगत्वा जाना तो रूस में चाहती थी क्योंकि उसके बच्चे वहां थे परन्तु किसी समय उसने अपना विचार बदल लिया। परन्तु चाहे कुछ भी बात हो मैं अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत गलत पूर्वोदाहरण बन जायेगा यदि हम एक गैर-सरकारी सूत्र द्वारा एक मंत्री के विरुद्ध की गई शिकायत को विशेषाधिकार समिति को सौंपना आरम्भ कर देंगे। यदि आप यह समझते हैं कि मामला गम्भीर है और इसमें सरकारी नीति का सवाल है तो हम निश्चय ही इस मामले को समिति को भेज सकते हैं। परन्तु मुझे ऐसी बात दिखाई नहीं देती है। इसलिये हमें अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिये और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न नहीं करनी चाहिये। अतः मैं डा० रामसुभग सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) ; Mr. Speaker, the meaning of democracy is to discuss things and then to find the truth. If the ministers have developed a habit to tell lie when they are in trouble, then it is the duty of the House to bring privilege motion as many times as they tell lie. Mention is often made about U.K., I want to tell that the ministers do not tell lie there. The people there detect the lie. First of all I have to say that the minister himself has acknowledged the truth of my statement. Shri Dinesh Singh has stated only this much that whatever Svetlana has said is not true. Now the clear question before the House is as to who is wrong? Whether Svetlana is telling a lie or Shri Dinesh Singh is telling a lie. From the contents of the letters it is proved that Svetlana is telling the truth but I have not to decide that now. This should go to the Privileges Committee so that it may be proved as to who is correct.

Except the speech of Shri Chatterjee, all other speeches made from that side about this matter are irrelevant. He while alluding to Shri Mavalankar stated that mere concealment of truth does not constitute a case of privilege. Here the truth has not been concealed but a lie has been told. The question is whether Svetlana expressed a desire to live in India? If she did then whether a lie has been told or not. The second matter which he raised was if a minister makes two contradictory statements at two different places, this cannot be subject matter of a privilege case. I want to read a sentence from Shri Chagla's statement about Shri Jaipal. He said: "Mr. Jaipal did his best to explain to me that my talk with Dinesh Singh and his refusal were private, that I should not consider that as a reply of the Government of India." Shri Chagla at that time uttered the words: 'whether officially or unofficially, privately or publicly, orally or in writing' but now he is worried. Mention has been made about Russia too. I want the minister to enlighten the House about the letters which he has received from Russia. The Government is unnecessarily worried. Indian officials approached her at Rome International Airport and requested her to return to India but she refused because she knew that this was a request of Moscow. She also got frightened. Perhaps Moscow wanted Government of India to call her back. Now they are worried.

Now questions have been asked as to why I did not help her? I wanted to help her but I knew that if I write to them they will do the opposite of what I want them to do. I had experienced it previously when an American woman was expelled from this country inspite of my efforts not to do so. So much importance has been given to this matter only because Svetlana is the daughter of Stalin. Do I not know that such a large number people of our country have died or are dying due to starvation? The problems of bread and of mind are inter-related. I have raised in this House matters pertaining to condonation of land revenue and about shortage of foodgrains but they had no effect on the Government.

Shri Dinesh Singh has told me so many secrets of his but I have not disclosed them here. The same applies from my side to Smt. Tarkeshwari Sinha.

Therefore I want all correspondence done with Russia about this matter may be laid on the Table of the House. The letter received from Svetlana may also be laid on the Table.

If they object to the use of **"prima facie"** words then I am prepared to remove them, if it is acceptable to Shri Masani too. The rest of the matter can go to the privileges committee. There the truth of the matter will be known. There is no effort made to conceal the truth. Question is only to find the truth. Shri Dinesh Singh has stated that Svetlana never requested him to let her stay in India and I have proved that she made a request to stay in India. The matter is clear and there is no ambiguity in it.

श्री मी० रु० मसानी : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले मैं दोनों प्रस्तवकों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे अपने-अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें। मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे सभा को यह आश्वासन दें कि यदि श्रीमती स्वेतलाना भारत में शरण लेना चाहती है और ऐसा कहती है, तो उसे शरण दी जायेगी।

श्री मु० क० चागला : यदि वह हमारे देश में स्थायी रूप से रहना चाहती है तो हम निश्चय रूप से उसके आवेदन पर सहानुभूति से विचार करेंगे।

श्री नाथपाई : क्या आप उसे अनुमति देंगे या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को आप ऐसा उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं। क्या प्रस्ताव को वापिस लेने का विचार है ?

Dr. Ram Manohar Lohia: No, Sir, I do not intend to withdraw the Motion.

श्री नाथपाई : श्री चागला ने ऐसा उत्तर दिया है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनके उत्तर को दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। परन्तु विचार करते-करते तो वर्षों गुजर जाते हैं। जो भी वह कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से कहें। उन्हें साफ कहने में क्या संकोच है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अब मूल प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह धारणा है कि वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा अपनी ओर से कही गई तथा वाणिज्य मंत्री द्वारा तथा प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा बार-बार तथा दृढ़तापूर्वक कही गई बातों और डा० लोहिया को प्राप्त हुए श्रीमती स्वेतलाना के पत्रों में प्रथम दृष्टि से ही असंगति है ; और इसलिए यह सभा इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का संकल्प करती है।"

प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided:

पक्ष में—150

Ayes, — 150

विपक्ष में—236

Noes — 236

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं अब डा० रामसुभग द्वारा पेश किये हुए प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की राय है कि डा० राम मनोहर लोहिया द्वारा आज सभा के समक्ष रखी गई विशेषाधिकार सम्बन्धी शिकायत में उल्लिखित सभा के किसी विशेषाधिकार को, वैदेशिक-कार्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने भंग नहीं किया।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

तारयंत्र (संशोधन) नियम

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 312 में प्रकाशित हुए थे ; सभा-पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-227/67]

नेशनल रिसर्च डवेलपमेंट कारपोरेशन का प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल रिसर्च डवेलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सहित सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-228/67]

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सहित सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-229/67]

कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निष्कर्ष, आदि

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

1. 30 जनवरी, 1967 को धनवाद में हुए कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दसवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-230/67]

2. कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7-क के अन्तर्गत नीवेली कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०

एस० आर० 1771 में प्रकाशित हुई। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-231/67]

3. गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 803 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-232/67]

वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

1. अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 25मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 387 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-233/67]

2. पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1892 में प्रकाशित हुए थे। **पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-234/67]

सालार जंग संग्रहालय बोर्ड का प्रतिवेदन आदि

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेरसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

1. सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**-235/67]

2. सालार जंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत सालार जंग संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 341 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-236/67]

3. प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 20 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3520 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-237/67]

4. (एक) विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति के 1963-64 और 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति।

(दो) उक्त प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**- 185/67]

5. विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-238/67]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा ता० 21-3-67 को सभा में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सभा में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 18 मार्च, 1967 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की थी उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, संसद् का यह अधिवेशन तीन महीनों के बाद हो रहा है और इस बीच में भारत के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देश में अभी जान है, हमारी लोकतंत्रीय पद्धति सजीव है और इसमें भारतीय लोगों की गहरी आस्था है।

जीवन परिवर्तनशील है। भारत के राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन आया है। यह केवल कांग्रेस दल के लिये ही नहीं बल्कि प्रतिपक्षी दलों के लिये भी है। हमारे सामने सभा में भी अनेक सदस्य नये हैं और मेरा ऐसा विचार था कि ये नये सदस्य कुछ नये प्रकार के विचार प्रकट करेंगे जिनसे लोकतंत्र की जड़ मजबूत होगी। परन्तु अभी तक इसका प्रमाण नजर नहीं आता।

कुछ राज्यों में प्रतिपक्षी दलों ने शासन संभाला है। मुझे इससे कोई द्वेष नहीं है बल्कि मैं इस पर प्रसन्न हूं क्योंकि अब सत्ता के साथ ही उन पर जिम्मेदारी भी आ गई है। मेरे लिये यह कोई महत्व की बात नहीं है कि किस राज्य में किस दल ने सरकार बनाई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि देश की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाये। इस बार कुछ लोगों ने राजनीति में सौदे भी किये हैं और उन सौदों से उन्होंने कई स्थानों पर सत्ता प्राप्त की है। कुछ कांग्रेसी भी ऐसे लोगों में हैं।

आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अनाज का। देश के कुछ भागों में सूखा पड़ा है। मैंने हाल ही में बिहार का दौरा किया है और मैंने गंगा के मैदानों में इतना भयंकर सूखा पहले कभी नहीं देखा। अब थोड़ी वर्षा हुई है, इससे थोड़ी सी राहत तो मिलेगी ही। परन्तु संकट पूरी तरह से टल नहीं जायेगा। इस संकट का सामना करने के लिये बहुत कुछ किया जा चुका है। मैं यह भी समझती हूं कि इस सम्बन्ध में तेजी से व्यापक काम करने की आवश्यकता है। इसके लिये आवश्यक उपकरण और सामान आदि देने के लिये केन्द्र भी पूरा प्रयास करेगा।

मैं, श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में बनाई गई बिहार सहायता समिति की सराहना करती हूं। उनके कार्यकर्त्ताओं का दल बहुत अच्छा काम कर रहा है।

आज हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अनाज और देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति का है। मैंने पालामऊ और मिर्जापुर का दौरा किया है। पालामऊ जिले में मैंने सुना था कि ढाई लाख काम करने वाले लोगों में से दो लाख लोग काम पर लगे हुए थे। परन्तु गैर-सरकारी अभिकरणों की सहायता की हमें और आवश्यकता है। मुझे मिर्जापुर में भूख से मृत्यु हो जाने के कुछ समाचार मिले थे। तब मैंने अधिकारियों से इस मामले के बारे में बातचीत की। यह स्वाभाविक ही है कि जब तक हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिल जाती तब तक उस मामले की जांच करना कठिन हो जाता है। भूख से मृत्यु होने के मामले को माननीय सदस्यों ने यहां पर भी उठाया था। जहां तक भूख से मृत्यु होने का सम्बन्ध है यह पता लगाना वास्तव में कठिन है कि आया मृत्यु भूख के कारण हुई है अथवा लम्बे समय से अपर्याप्त भोजन मिलने के कारण या खुले में रहने से रोग लग जाने के कारण हुई है। परन्तु यह समय हर प्रकार की आवश्यक सहायता देने का है।

अनाज की कमी सारे देश में है। अतः हम सभी राज्यों की मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सारा देश इस विपत्ति में साझेदार हो। हमें शक्ति का संचय करना चाहिये तथा फिजूलखर्ची को कम करना चाहिये। ऐसा हम केवल राज्यों के सहयोग से कर सकते हैं। इसके लिये हम सबको मिलकर एक देशव्यापी योजना बनानी चाहिये।

किसी माननीय सदस्य ने कहा था हम भूखे मर जायेंगे परन्तु विदेशों से अनाज नहीं मंगवायेंगे। मेरे विचार से वर्तमान स्थितियों को देखते हुए ऐसा कहना ठीक नहीं है।

हमारे सामने प्रमुख समस्यायें अनाज और सूखे की स्थिति के लिये सहायता देने की हैं। गत

वर्ष भी हमारे सामने इस प्रकार की समस्या आई थी जिसे हम ठोस प्रयत्न करने से ही टाल सके थे। यह वर्ष और भी कठिन है क्योंकि हमारे रक्षित भण्डार खत्म हो गये हैं तथा हमें निश्चित रूप से यह भी पता नहीं है कि अनाज कितना सप्लाई किया जायेगा। हमारे खाद्य मंत्री अल्पकालीन फसल कार्यक्रम तैयार कर चुके हैं और हमें उसे सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें देश भर में सघन खेती कार्यक्रमों में और तेजी लानी चाहिये। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तुरन्त समस्या का समाधान करने के लिये कई काम किये जा रहे हैं। हम यह नहीं भूले हैं कि राजस्थान तथा अन्य भागों में भी ऐसी समस्या है। खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में बनी संयुक्त आपात समिति की लगभग तीन बैठकें हो चुकी हैं। बिहार में सहायता कार्यों और योजनाबद्ध योजनाओं पर लगभग 6 लाख 50 हजार लोगों को काम पर लगाया जा चुका है। सबसे कठिन मई और जून के महीनों में यह संख्या 16 लाख तक पहुंच सकती है। 3 लाख 50 हजार से भी अधिक लोगों को राज्य की ओर से मुफ्त सहायता दी गई है तथा 2 लाख 60 हजार लोगों को गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाये जा रहे रसोईघरों से मुफ्त खाना दिया गया है। 'केयर' तथा 'यूनिसेफ' जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा 14 लाख 60 हजार लोगों को दूध दिया जा रहा है। इटली ने भी हमें लगभग 60 से 70 लाख रुपये के मूल्य का 10,000 टन दूध उपहार के रूप में दिया है। पीने के पानी की भी एक कठिन समस्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में 5 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। लगभग 66 रिग चालू हैं तथा 33 स्थान पर पहुंच चुके हैं। मवेशी कैम्पों में 5 लाख पशुओं की व्यवस्था की गई है तथा 1,30,000 एकड़ भूमि पर चारा/फसलें उगाने की अल्पकालीन योजनायें बनाई गई हैं। बिहार को अनाज की सप्लाई लगातार बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार को सूखा सहायता कोष से 50 लाख से अधिक रुपये दिये गये हैं। लोगों के स्वास्थ्य के सिलसिले में भी कार्यवाही की जा रही है। परन्तु मैं इस बात को मानती हूं कि इन उपायों में और काफी वृद्धि की जानी चाहिये।

हमारे देश में कृषि के उत्पादन में कमी आर्थिक स्थिति की कठिनाई के कारण ही हुई है। इसलिये हमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने और वर्तमान खर्चे को कम करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। हमें ऊँचे दामों से राहत तभी मिल सकती है जब हम उत्पादन बढ़ायेंगे और बजट को नियंत्रण में रखेंगे। हमें सबसे पहले चालू कारखानों को सुव्यवस्थित करना चाहिये। दूसरे उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग किया जाना चाहिये। हमें आगामी 10 वर्षों में अपने स्वदेशी के लक्ष्य को प्राप्त करने का भी प्रयत्न करना चाहिये। प्रशासन में भी परिवर्तित परिस्थितियों की वजह से तरीकों और दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिये। हम सरकारी कारखानों को और अधिक स्वायत्तता देने की कोशिश कर रहे हैं तथा वित्त सम्बन्धी प्रक्रिया को भी सरल बना रहे हैं ताकि देरी को रोका जा सके।

बहुत से सदस्य सरकारी क्षेत्र के बारे में बोले थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकारी क्षेत्र में भी कमियां हैं परन्तु इसने अच्छा काम भी किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र को अच्छी तरह से चलाया जाना चाहिये, इसे अच्छे परिणाम दिखाने चाहिये तथा इसमें नये संसाधन पैदा किये जाने चाहिये।

योजना आयोग के भविष्य के बारे में बहुत रुचि ली गई है। यह बड़े दुख की बात है कि इस आयोग की चर्चा भी की गई है। इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। इसने हमारे राष्ट्रनिर्माताओं की आर्थिक विचारधारा को ठोस नीतियों का रूप दिया है और इस प्रकार उसने केन्द्र और राज्यों के बीच चर्चाओं के लिये एक उपयोगी मंच की व्यवस्था की है। इस उद्देश्य को योजना आयोग के बिना पूरा करना सरकार के लिये कठिन हो जाता। मैंने यह महसूस किया है कि आयोग को आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। यह एक प्रकार की विशेषज्ञ संस्था होनी चाहिये जो हमें कुछ विकल्प बता सके। योजना आयोग पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह राज्यों पर अतिक्रमण करता है। यह बात गलत है। दूसरे योजना सम्बन्धी मुख्य निर्णय तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किये जाते हैं जिसमें केन्द्र और राज्यों दोनों के ही प्रतिनिधि होते हैं।

बहुत से माननीय सदस्य केन्द्र और राज्यों के आपसी सम्बन्ध के बारे में बोले हैं। कुछ मुख्य मंत्रियों ने भी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिये हैं। परन्तु मेरे विचार से ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिये कि इनके बीच कोई संघर्ष होगा। हमारा संविधान बहुत मजबूत है। नई राज्य सरकारों का रवैया भी उत्साहजनक है। मैं भी यह बताना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार का रवैया भी उनके साथ मिलकर रहने का होगा।

बहुत से माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया था। हम व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोक आयुक्त के पद की सिफारिश की है। हमने इस बारे में विचार कर लिया है परन्तु हम राज्यों की राय भी लेना चाहते हैं।

भाषा के प्रश्न पर भी बहुत से सदस्य बोले हैं। हमारा मत यह है कि हमारी सभी भाषायें राष्ट्रीय भाषायें हैं तथा उनका समान स्थान है। यदि कोई राज्य चाहे तो उनमें से किसी भी भाषा को राजभाषा बना सकता है। परन्तु हम सब के लिये यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे को समझ सकें। यही कारण था कि हम चाहते थे कि भाषा राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा होनी चाहिये। हमने यह आश्वासन दे रखा है कि अंग्रेजी को तब तक एक सहायक सम्पर्क भाषा के रूप में रखा जायेगा जब तक ऐसा आवश्यक समझा जायेगा। इस आश्वासन को औपचारिक रूप देने के लिये हम आगामी अधिवेशन में एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब मुख्य मंत्री यहां आयेंगे तो उर्दू भाषा का प्रश्न भी उनके सामने रखा जायेगा। मुझे आशा है कि इस समस्या को संतोषजनक तरीके से हल कर लिया जायेगा।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा होने में देरी होने की बात भी कही गई थी। शिक्षा मंत्री इस आयोग के स्वयं सदस्य थे तथा मुझे आशा है कि वह अपना निर्णय घोषित करने के लिये एक दिन नियत कर देंगे। वह शिक्षा मंत्रालय में एक युवक डिवीजन भी बना रहे हैं।

एक नये सदस्य राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बोले थे। इस बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। हमारी प्रथाएं भी सुव्यवस्थित हैं।

हमारे देश में हरिजनों, आदिम जातीय लोगों तथा भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति सबसे बुरी है और हमें उनकी सहायता करने में अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिये।

अब मैं विदेशों के साथ भारत के सम्बन्ध के बारे में कुछ कहूंगी। माननीय सदस्य श्री मसानी ने कहा था कि हमारा कोई मित्र नहीं है। मेरे विचार से यह जानना कि कौन किसका मित्र है यह बड़ी कठिन बात है। मेरे विचार से हम मित्रहीन नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर भिन्न विचारधारा तथा भिन्न व्यवस्था वाले देशों ने हमारी सहायता की है। हमारे मित्र देश सभी महाद्वीपों में हैं।

हमने राष्ट्रीय हितों को आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक दृष्टिकोण से बढ़ाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्ति का विस्तार करने का सदैव प्रयास किया है। हमारा पहले भी यही लक्ष्य था तथा भविष्य में भी यही लक्ष्य रहेगा। मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं। कई माननीय सदस्यों का यह विचार है कि हम उस नीति को अपनाये रखते हैं जिसकी घोषणा कर दी जाती है चाहे वह नीति अच्छी न हो। परन्तु ऐसी बात नहीं है। सभी नीतियों का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है क्योंकि यदि उनसे प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो उन्हें समाप्त कर दिया जाये।

जो लोग जातिवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं हम उनके लक्ष्य का समर्थन करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बीक, पुर्तगाली गिनी, दक्षिण रोडेशिया, अदन तथा अन्य ऐसे देशों के अधिकारों के लिये बहुत चिंतित हैं जो अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों के यह हित में है कि वे अधिकांश मामलों में सहयोग से काम करें। हम पड़ोसी देश हैं और हमारी समस्यायें और कठिनाइयां भी एक सी हैं। हम पाकिस्तान के साथ मेल-जोल बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करते रहेंगे। चीन के बारे में भी हमारी नीति स्पष्ट ही है। चीन की जनता के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम चीन के झगड़े में कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये जिससे हम वर्तमान गतिरोध से निकल सकें। इस बात की हमेशा कमी रही है परन्तु मैं नहीं समझती कि हमें इस कारण चुप बैठ जाना चाहिये। जहां तक वियतनाम का सम्बन्ध है प्रो० मुकर्जी ने कहा था कि हम वियतनाम के मामले में चुप रहे हैं परन्तु दूसरी ओर कुछ माननीय सदस्य हमें हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम वियतनाम से बारे में बहुत कुछ कहते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब आवश्यकता पड़ी हमने अपना मत प्रकट किया है। हमें पूरी आशा है कि वियतनाम में शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो जायेगी। हमने महासचिव यू थान्ट के प्रस्ताव समेत बहुत से और शान्ति प्रस्तावों का स्वागत किया है। हमें आशा है कि यह समस्या लड़ाई की बजाये अब बातचीत से हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, गत कुछ समय से इस सभा में जानबूझ कर ऐसे प्रश्न उठाने का प्रयास किया जा रहा है जिनका सम्बन्ध मेरी व्यक्तिगत वस्तुओं से अथवा उन उपहारों से होता है जो मुझे विदेशी उच्च-पदाधिकारियों से प्राप्त हुए हैं। मैं इन आरोपों का इस सभा में कई बार खण्डन कर चुकी हूं और आज फिर मैं उनका जोरदार शब्दों में खण्डन करती हूं। जब से मैं इस संसद की सदस्या बनी हूं अथवा जब से मैंने सरकारी पद सम्हाला है तथा उससे पहले भी मैंने उपहारों को स्वीकार करने सम्बन्धी नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन नहीं किया है। मुझ पर जो आरोप लगाने का प्रयत्न किया गया है वे आरोप झूठे हैं। मैं समय-समय पर ऐसे आरोपों का खण्डन करती रही हूं। सऊदी अरब के राजा द्वारा दस वर्ष पूर्व मुझे दिये गये हीरों के हार का उल्लेख किया गया था तथा मैंने अध्यक्ष महोदय को इस बारे में पूरा हाल लिख दिया है। मैं इन आरोपों के बारे में चिन्तित नहीं हूं परन्तु यहां पर चरित्र हनन करने का जानबूझ कर प्रयास किया जाता है तथा इस बारे में सभा ही निश्चय कर सकती है कि वह व्यक्तिगत आक्षेपों के लिये कब तक अनुमति देती रहेगी। मैं इस बारे में कुछ और भी कहना चाहूंगी। 1955 में उस समय के प्रधान मंत्री यानी मेरे पिताजी ने यह विचार व्यक्त किया था कि ऐसे उपहारों को संग्रहालयों में रखा जाना चाहिये। उन्हें प्राप्तकर्ताओं को अपने पास नहीं रखना चाहिये। वह और मैं ऐसा ही करते रहे हैं। उस उपहार को छोड़कर जो रूस का दौरा करने पर मुझे श्री ख्रुश्चेव ने दिया था मैंने कोई भी उपहार अपने पास नहीं रखा है। वह भी मैंने इस कारण अपने पास रखा था क्योंकि जिस ढंग से वह दिया गया था यदि मैं उसे अपने पास न रखती तो गलतफहमी उत्पन्न हो सकती थी। दूसरे हमारी यह प्रथा नहीं है कि विदेशी मित्र देशों के उच्च-पदधारियों या उनकी सरकारों के प्रधानों से प्राप्त सभी उपहारों के ब्योरे को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाये। उपहार विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा उनकी सूची प्रकाशित करने से विभिन्न देशों द्वारा दिये गये उपहारों की तुलना सी हो जाती है जो विभिन्न देशों के लिये परेशानी का विषय बन सकती है तथा जिस वजह से बढ़े हुए सम्बन्ध होने के नाते बनी हुई प्रतिष्ठा गिर सकती है। यह बताना भी लोक हित में नहीं है कि व्यक्तिगत उपहारों को किस प्रकार निपटाया जाता है क्योंकि ऐसा करने से उपहार देने वाले इसे अपने प्रति अशिष्ट व्यवहार समझ सकते हैं। परन्तु ऐसी सभी वस्तुओं की एक पूर्ण सूची बनाई जाती है।

हमने कुछ समय पहले आचार संहिता अपनाई थी। उसे संसद् में भी प्रस्तुत किया गया था। उसके अधीन केन्द्र के सभी मंत्री अपनी आस्तियों और देनदारियों का विवरण प्रधान मंत्री को देते हैं। चाहे उस संहिता में प्रधान मंत्री के लिये कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है परन्तु फिर भी मैं अपने साथियों के साथ अपना विवरण भी रखती आ रही हूं। मैं और मेरे साथी हम पर लगाये गये आरोपों का उत्तर देने से कभी नहीं कतराते हैं।

देश की स्थिति का सही-सही अनुमान लगाने के लिये देश ने स्वतंत्रता के बाद जो भी प्रगति की है उसे नहीं भुलाया जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने कुछ गलतियां भी की हैं। हम उन गलतियों को छिपाना नहीं चाहते हैं। हमसे गलतियां अवश्य हुई हैं परन्तु यह जो

इस तरह की स्थिति अब उत्पन्न हुई है इसके कई कारण हैं। हमारी सीमाओं पर आक्रमण हुए हैं। इसकी वजह से हमें अपनी प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी इसके अलावा और कई समस्यायें उत्पन्न हुईं जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुकी हूं। परन्तु ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये हम सबको अब एक होना होगा। राष्ट्रीय समस्या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही देखी जानी चाहिये। उसके समाधान के लिये भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिये। विभिन्न दलों के सदस्यों को अब यह दिखा देना चाहिये कि देश-व्यापी समस्या का हल खोजने के लिये वे भी आतुर हैं। उन्हें एक ऐसा सांझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिये जो सीधे क्रियान्वित किया जा सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीति के कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से बताना सम्भव नहीं था। वे पहलू अगले सत्र में स्पष्ट हो जायेंगे। जो कुछ भी निकट भविष्य में किया जाना है उसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण में अवश्य मिलती है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Cannot we ask questions about clarification ?

Mr. Deputy Speaker: One question could be asked.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa): Our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi had gone to Gaya, Palamau etc. about six months back. One Minister of Bihar has also said in a newspaper of Bihar named 'Indian Nation' that one hundred and fifty-seven persons have starved to death in district Gaya alone. May I therefore know from Hon. Minister as to what steps she is going to take in this connection?

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जानकारी नहीं दी है।

Shri Madhu Limaye: The Hon. Member wants to know whether the Prime Minister is aware of this fact?

Shri Gunanand Thakur: I am sorry the Prime Minister has not mentioned this point in her speech.

Shri Balraj Madhok (South Delhi): The Prime Minister has not said anything about the elections in Kashmir. I want that atleast a high-powered probe should be launched in this connection.

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई प्रश्न नहीं है। आपने सुझाव दिया है।

Shri Balraj Madhok: Shall the Prime Minister say anything in this connection.

Shrimati Indira Gandhi: All these things are before the election commission.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The Prime Minister has said in her speech that the condition of Uttar Pradesh is very bad. May I therefore know whether she is going to issue instructions to Uttar Pradesh Government not to charge levies from the famine-stricken areas for some time and postpone it for the time being.

Shrimati Indira Gandhi: We have already issued instructions?

Shri Gunanand Thakur: The Chief Minister has set up an enquiry commission in connection with two starvation deaths in Muzaffarpur District. May I know what has been done in the case of Gaya and Saharsa districts?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य सहमत हैं तो मैं सभा के मतदान के लिये सभी संशोधन इकट्ठे रख देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
All the amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मूल प्रस्ताव सभा के सामने रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 18 मार्च, 1967 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरे विचार से इस विधेयक को पास कराने के लिये मुझे ज्यादा व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है। सभा के अनेक पक्षों की यह राय थी कि चौथी लोक-सभा के सदस्यों का चुनाव पूरा हो जाने के बाद तीसरी लोक-सभा का अन्तराल सत्र (लेम डक सैशन) बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसाकि 1952, 1957 और 1962 में हुआ था। राष्ट्रपति द्वारा चौथी लोक-सभा का सत्र बुलाये जाने के लिये यह आवश्यक था कि लोक-सभा का गठन हो जाये तथा ऐसा करने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक था। ऐसा करने के लिये अध्यादेश जारी किया गया और इस विधेयक को लाने का ध्येय यह ही है कि उक्त अध्यादेश का स्थान संसद् द्वारा पारित नियमित अधिनियम ले सके। मुझे आशा है कि सभा एक मत होकर इस विधेयक का समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

इस विधेयक के लिये आधा घंटा नियत किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि आम चुनावों में नये सदस्यों के निर्वाचित हो जाने के बाद अन्तराल (लेम डक) सत्र बुलाना निरर्थक

होता है। तथापि ऐसा सत्र बुलाने का लाभ यह था कि पुराने और नये दोनों प्रकार के सदस्य आपस में मिलकर विचार-विमर्श कर सकते थे।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : संसद के इतिहास में यह बात पहली बार हुई है कि जो सदस्य आम चुनाव में चुनाव नहीं लड़े अथवा दुर्भाग्यवश हार गये उन्हें इकट्ठे मिलने का अवसर नहीं मिला है। मेरे विचार से अन्तराल सत्र को समाप्त करना बड़ी भूल होगी। यदि ऐसा करने का उद्देश्य मितव्ययिता है तो यह उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। इसके अलावा आवास के सिलसिले में भी नये सदस्यों को असुविधा होती है। सेवा-निवृत्त होने वाले सदस्यों को जिस प्रकार भेजा गया है वह बात अच्छी नहीं है। ऐसा करना सरकार के लिये उचित नहीं था। ऐसा करने से हमारा कोई ध्येय पूरा नहीं हुआ है केवल विरोधी दलों को प्रसन्न किया गया है जिनके सुझाव को मानकर इस सत्र को समाप्त किया गया है।

Shri K. G. Deshmukh (Amravati): Government has not set up a good convention by cancelling this lame duck session. They have merely satisfied the opposition Members. The Members of the Congress have not even been consulted. I would, therefore, appeal to the Government not to make it a permanent feature. I could not have raised any objection had this Bill been brought to validate the ordinance.

Shri P. G. Sen (Purnea): I support my Hon. friend that it is not good to cancel the Lame Duck session. In this way the old members have not got an opportunity to get together. I also support this point that it should not be so in future.

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : कांग्रेस समेत सभी दल इस बात के लिये सहमत हो गये थे कि अन्तराल सत्र रद्द किया जाये। इसलिये मेरे विचार से इस बात का अब विरोध करना ठीक नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : कुछ माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अब मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई उचित प्रश्न नहीं पूछा गया था इसलिये वह उत्तर नहीं देना चाहेंगे।

श्री सोनावने : यदि उचित प्रश्न नहीं पूछा गया है तो मंत्री महोदय को कहना चाहिये कि प्रश्न उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई नई बात नहीं पूछी गई है तो मंत्री के लिये उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

श्री सोनावने : उन्हें बताना चाहिये कि तीसरी लोक सभा की कालावधि क्यों कम की गई है।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत किया है तथा कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं। उनका उत्तर देना मंत्री महोदय का कर्तव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह विधेयक के तीसरे वाचन के समय कुछ कहेंगे ।

श्री सोनावने : प्रत्येक वाद-विवाद में, प्रथम वाचन के समय, मंत्री अवश्य उत्तर देते हैं। इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि वह किस कारण उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा) : तीसरे वाचन के समय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाना नियम के विपरीत होगा।

श्री सोनावने : क्या हम यह समझ लें कि मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई उत्तर नहीं देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री सोनावने : आपको मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विनिर्णय देने की बात नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। खंडों पर मतदान किये जाने से पहले मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह कुछ कहें।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्षपीठ को प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। यदि वह उत्तर देना चाहें तो दे देंगे वरना नहीं।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : उत्तर देना मंत्री का कर्तव्य है। अध्यक्षपीठ को प्रार्थना नहीं करनी चाहिये।

श्री गोविन्द मेनन : उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मैं उत्तर देना चाहता था परन्तु इस बीच आपने प्रश्न मतदान के लिये रख दिया। अत: मैंने यह सोचा कि इस समय उत्तर देना आपके प्रति अशिष्टता होगी।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : क्या वह प्रथम वाचन अथवा द्वितीय वाचन या तीसरे वाचन पर भाषण दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह खंड 2 पर बोल रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : खंड 2 पर कोई नहीं बोला है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर कोई संशोधन नहीं है।

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : मैं खंड 2 पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के बाद वह बोल सकते हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : जब इस पर कोई संशोधन नहीं है तो माननीय सदस्य कैसे बोल सकते हैं ?

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati): On account of cancellation of the Lame Duck Session the Members had to face a lot of difficulties. They did not know that this session will be cancelled and thus they had not made arrangements accordingly. They had not vacated their quarters and thus the new members had also to face difficulties regarding accommodation. We should not do so in future. The time of identification cards should also be extended so that they could conveniently come here and vacate their quarters.

श्री गोविन्द मेनन : मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के लिये प्रश्नों का उत्तर देना कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होता है ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : बशर्ते कोई प्रस्ताव पर न बोले । जब कोई सदस्य बोलता है तो उसका उत्तर मंत्री महोदय को अवश्य देना होता है ।

श्री गोविन्द मेनन : प्राय: वाद-विवाद होता है परन्तु उत्तर देना अथवा न देना प्रस्तावक पर निर्भर करता है । कानूनी स्थिति तो यह है । प्रायः उत्तर दे दिया जाता है परन्तु उत्तर देना बाध्य नहीं होता है । चूंकि आपने मामला मतदान के लिये प्रस्तुत कर दिया था तो मैंने हस्तक्षेप करना नहीं चाहा । यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो मुझे इसके लिये बड़ा दुख है ।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है अन्तराल सत्र को रद्द करने का सभी दलों ने निर्णय किया था । इस सत्र को मार्च के मध्य में बुलाया गया था । परन्तु उस समय चार को छोड़कर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव खत्म हो गये थे तथा यह विचार किया गया था कि लगभग पांच सौ में से चार सौ सदस्यों के निर्वाचित हो जाने पर सदस्यों को बुलाया जाये । यह प्रश्न उठाया गया था तथा कांग्रेस दल के नेता इस से सहमत हो गये । मैं माननीय सदस्यों के इस भाव से सहमत हूं कि यदि तीसरी लोक सभा के सदस्य भी इकट्ठे होते तो बहुत अच्छा होता । चौथी लोक सभा गठित करने के लिये यह अध्यादेश जारी किया गया था ।

श्री सोनावने : यह पहले क्यों नहीं सोचा गया था ।

श्री गोविन्द मेनन : जब अन्तराल सत्र बुलाया गया था तो इन पहलुओं को प्रधान मंत्री को बताया गया था तथा इस सभा के बिभिन्न दलों के नेता इस बात से सहमत हो गये थे । इस स्थिति में अध्यादेश जारी किया गया था तथा उस अध्यादेश के स्थान पर नियमित अधिनियम लाना अब आवश्यक था । इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री कृष्ण गुलाब देशमुख (अमरावती) : मैं बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब नहीं बोल सकते हैं । माननीय मंत्री पहले उत्तर दे चुके हैं ।

श्री सोनावने : यह तृतीय वाचन है । प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, वह भी बोल सकते हैं ।

Shri K. G. Deshmukh: Elections in our country cannot take place at one time. Hence there is need for this Lame Duck Session. The cancellation of Lame Duck Session should not become a permanent feature.

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : मेरे विचार से सभा के सामने जो विधेयक लाया गया है इसे लाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति अपने विवेक तथा शक्ति से संसद का आह्वान तथा विसर्जन कर सकता है ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है इसलिये उसके स्थान पर विधेयक का आना स्वाभाविक ही है ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बात बताना चाहता हूं कि चुनाव के बाद इस प्रक्रिया से निर्वाचित हुए सदस्य को बुलाना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अधीन संसद अथवा विधान सभा का गठन किया जाता है तथा यह गठन चुनाव आयोग की अधिसूचना से किया जाता है । सारे चुनाव पूरे होने के बाद अप्रैल में यह अधिसूचना जारी करने का विचार था । चूंकि यह अधिसूचना पहले जारी की गई इसलिये संगत अधिनियम की धारा 73 में संशोधन करना आवश्यक हो गया । उस संशोधन को प्रभावी बनाने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) विधेयक
LAND ACQUISITION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के कतिपय अर्जनों के मान्यकरण सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 केरल, मैसूर, राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन करने के हेतु भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 के आधीन यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत एक प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की जाती है। प्रारम्भिक अधिसूचना जारी करने से अधिकारी लोग भूमि का सर्वेक्षण कर सकते हैं तथा जो लोग चाहें प्रस्तावित भूमि के बारे में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समाहर्ता आपत्ति को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है तथा सरकार प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में धारा 6 के अन्तर्गत एक अथवा अधिक बार घोषणा जारी करती है जिसमें यह बताया जाता है कि भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन अथवा कम्पनी के स्थापित करने के लिये आवश्यकता है। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अन्दर धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा प्रकाशित की जानी चाहिये।

मुआवजे की रकम उस तारीख के बाजार भाव से निर्धारित की जाती है जब धारा 4 (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की गई थी तथा धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गई घोषणा की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम विष्णु प्रसाद शर्मा तथा उसके साथी के मामले में दिनांक 9-2-1966 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा मत व्यक्त किया था कि जब अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा जारी की जाती है तो चाहे वह भूमि के कुछ भाग के बारे में हो या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचित सम्पूर्ण भूमि के बारे में हो, प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अग्रेतर घोषणायें भी अवैध हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सरकार उत्तरोत्तर घोषणायें करके भूमि अर्जित नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय से सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन के अनिर्णीत मामलों के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि भविष्य में भूमि अर्जन के मामलों में भी एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

[**श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों पीठासीन हुये**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

अतः मुख्य अधिनियम की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये क्या हस्तगत मामलों के वैध

ठहराने के लिये 20 जनवरी, 1967 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक में हमने धारा 6 के आधीन एक से अधिक घोषणा जारी करने के उपबन्ध और धारा 5-क के अधीन एक या एक से अधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को अनुमति दी जानी चाहिये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि धारा 4 (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना के बाद भूमि अर्जन करने के काम में अनावश्यक देरी न हो। अतः विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि धारा 4 (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष बाद धारा 6 के अधीन कोई घोषणा जारी नहीं की जा सकती। निलम्बित कार्यवाही के सम्बन्ध में विधेयक में यह उपबन्ध है कि प्रारम्भिक अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के किसी भी भाग के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किये जाने के दो वर्ष बाद कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी।

निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने के लिये एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत धारा 6 की घोषणा को प्रकाशित किया जायेगा और ऐसी विचाराधीन कार्य-वाहियों/मामलों के सम्बन्ध में जो विधेयक द्वारा वैध ठहराई जाये तीन वर्ष से अधिक विलम्ब की स्थिति में ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

भारत सरकार भूमि अर्जन के मार्ग में आने वाली प्रशासनिक सम्बन्धी तथा अन्य अनेक समस्याओं के प्रति सतर्क है। अतः दोनों सभाओं के सदस्यों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया है जो मुख्य अधिनियम की सम्पूर्ण योजना पर विचार करे। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची का है अतः अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों की इस प्रकार की समिति में रखा जायेगा। कुछ कानून सम्बन्धी विशेषज्ञों को भी इस समिति में शामिल किया जायेगा। इस विधेयक को पास करने की सिफारिश करते समय सरकार की ओर से सभा को मैं यह आश्वासन देता हूं।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभा इस विधेयक पर विचार कर सकती है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कुछ संशोधन जनता की राय जानने तथा अन्य कुछ संशोधन प्रवर समिति को सौंपने के लिये दिये गये हैं। उन्हें प्रस्तुत हुआ मान लिया जाये।

श्री दत्तात्रेय कुंटे : (कोलाबा) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मंत्री महोदय ने इस विधेयक के समर्थन में जो तर्क दिये हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह अधिनियम लगभग 70 वर्ष पुराना है परन्तु गत 20 वर्षों से अधिकारियों ने इस अधिनियम के सिद्धान्त तथा नीति की गलत विवेचना की है जिस कारण उच्चतम न्यायालय को अनेक बार सरकार को ठीक मार्ग पर लाने के लिये अपना निर्णय देना पड़ा है। सरकार अपनी गलत विवेचना को ठीक ठहराने के लिए ही इस विधेयक को पारित कराना चाहती है। इस विधेयक द्वारा सरकार आरम्भतः अमान्य अधिनियमों को विधिमान्य बनाने का प्रयास कर रही है।

सरकार से आशा की जाती है कि वह सभी सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करने के

पश्चात ही धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करेगी क्योंकि एक बार इस धारा के अन्तर्गत यदि अधिसूचना जारी हो जाती है तो भूस्वामी के लिए अपनी भूमि का सौदा करना कठिन हो जाता है और यह उसके मूल अधिकारों के विरुद्ध है। धारा 4 के अधीन यह उपबन्ध भी होता है कि भू-स्वामी को उस मूल्य से अधिक मुआवजा नहीं मिलेगा जो मूल्य उसकी भूमि का अधिसूचना जारी होने के समय था। इस तथ्य को समक्ष रख सभा को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

बम्बई के पास उरान में हाल ही में सरकार ने 1100 एकड़ भूमि प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये ली थी। परन्तु उसका प्रयोग नहीं किया गया और अभी 300 एकड़ और भूमि लेने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है। यह एक हास्यस्पद स्थिति है। पहले ही वहां से बेकार किये गये लोगों को बसाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस समस्या पर भी विचार किया है। मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिए कि ऐसे कितने मामले किन-किन राज्यों के विचाराधीन हैं और उनकी बिक्री के लिये कौन जिम्मेदार है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि पहले प्रतिवेदनों तथा घोषणाओं के लिये कोई समय-सीमा निश्चित नहीं थी परन्तु अब इसके लिये समय-सीमा निश्चित होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1894 में इस अधिनियम के निर्माताओं का आशय यह था कि भू-स्वामियों को धारा 4 के अन्तर्गत वह मूल्य दिया जाये जोकि अधिसूचना जारी करने के समय हो। यदि यह आशय नहीं था तो सरकार को एक नया अधिनियम बनाना चाहिए और सरकार को अधिनियम का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भूमि का अर्जन किया जा रहा था तो सरकार से यह अपेक्षा की जाती थी कि उसके लिये अतिरिक्त मुआवजा दिया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विधेयकों की सूचनाओं में यह सुझाव दिया है कि भूमि का चालू मूल्य दिया जाये। इसका अर्थ यह है कि जब अन्तिम घोषणा जारी की जाये उस समय जो बाजार भाव हो वही दिया जाय। सरकार से यह आशा की जाती है कि वह स्वयं सुझावों को स्वीकार करेगी।

अधिनियम के अनुसार एक अधिसूचना जारी की जायेगी फिर प्रतिवेदन तथा उसके पश्चात घोषणा जारी की जायेगी। देखने में तो यह योजना पूर्ण दिखाई देती है। परन्तु ऐसी किसी बात की कल्पना करना जो अधिनियम का अंग नहीं है और फिर उसको ठूंसना, क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी अधिनियम को समझ नहीं सके, वास्तव में भू-स्वामियों के प्रति अन्याय है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उसके अधिकारियों से गलतियां हुई हैं और इसलिए वह फिर से अधिसूचना जारी करेगी।

मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार की नीति कृषि सम्बन्धी भूमि को अर्जित करने की नहीं है। परन्तु नगरीय क्षेत्रों में ऐसी भूमि क्यों ली जा रही है जिसके ऊपर बंगले बने हुए हैं। क्या

मंत्री महोदय ऐसा वचन देने को तैयार हैं कि ऐसी भूमि का अर्जन नहीं किया जायेगा जबकि लोगों को वैकल्पिक निवास स्थान न दे दिये जायें ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi): I rise to oppose this Bill. The Land Acquisition Act must have enacted under some special circumstances in 1894 by Britishers Conditions have now changed. The present Bill is being brought to validate the decision of the Supreme Court. The Government should have accepted the verdict of the Supreme Court and have put an end to the injustice done to people in Madhya Pradesh whose land have been acquired. The land of the eleven villages was notified in 1949 but the said land was actually acquired in 1966. People were paid compensation according to the rate, of 1949. In this way about 600 acres of land remained unused for 17 long years. Neither the compensation was paid to the owners nor the land was put to any proper use. The people took the case to the court and the court decided in favour of them. Instead of accepting the decision of the Court Government issued the ordinance and now have brought this Bill.

Delhi, the capital of India, has suffered the most under the provision of this Act. Under section 4 of the Act about 34 thousand acres of land was frozen in 1959 in Delhi. After a year another 16 thousand acres of land was frozen. Out of that about 22 thousand acres have been actually acquired and about 5070 acres of land have been developed. The remaining land is lying unused, compensation to the owners was paid at the rates prevailing in 1959 although the land was actually acquired at a much later date. The housing problem in Delhi is actually the result of the land acquisition policy of the Government. The Government it itself has indulged in profiteering and black marketing.

Government has also acquired some land near Okhla which was cultivated previously. Corporation was also earning about ten to fifteen thousand of rupees per annum from this land. But now this land is lying unused.

It was better if the Government had amended this Act according to the verdict of the court. The Hon. Minister has stated that he will consider the question of appointing a committee which will reconsider the whole matter. I would like to know what was the hurry in bringing this Bill. A comprehensive Bill should have been brought forward to meet the needs of the time. As has been said a committee should be appointed to go into the matter. Thereafter a comprehensive Bill can be prepared in accordance with the suggestions of the committee. The present Bill should be withdrawn or it should be circulated for eliciting public opinion thereon.

Shri Brahm Parkash (Outer Delhi): I rise to oppose the Bill because it will do great injustice to the cultivators. This Bill also goes against the spirit of the Supreme Court Judgement, Law Commission's report and Experts Committee's suggestions.

Since 1959 about sixty thousand acres of land have been acquired. In many cases compensation have not yet been paid. Even the method of paying the compensation is wrong.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

No time-limit has been fixed for the second notice issued under Section 4 of the Act within

three years of the issue of first notice. According to certain rule land can be acquired according to budget provisions. But in Delhi notification for acquiring land worth 100 crores of rupees has already been issued.

Land acquired under this Act is lying unused. This is agricultural land. But it is regrettable that request to make use of the land has not been acceded to.

I welcome the suggestion for constituting a Committee of the Members to go into the entire scheme of this Principal Act. I would, therefore, request the Government not to proceed with the Bill and wait till the outcome of the committee. A comprehensive Bill should be brought forward in the light of the recommendations of that committee.

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : यदि इस विधेयक को इसके वर्तमान रूप में पारित किया जाता है तो कुछ तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में सुधार करने के लिए इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सार्वजनिक हित के लिए भूमि अर्जित करनी पड़ती है। परन्तु मुझे मध्य प्रदेश के उन किसानों के साथ पूरी सहानुभूति है जिनकी भूमि के लिए अधिसूचना 1949 में जारी की गई थी और उसी आधार पर उनको मुआवजा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया है और यह निर्णय दिया है कि उन जमींदारों को क्षति पहुंचाना उचित नहीं है क्योंकि इस अधिनियम के अधीन इन भूमिधारों को मुआवजा 1949 के मूल्यों के आधार पर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुचित ठहराये गये उपबन्धों को पुनः विधिमान्य बनाकर हमें किसानों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिए परिचालित किया जाये अथवा इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

इस विधेयक के खण्ड 4 द्वारा उच्च-न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध ठहरायी गई अधिसूचनाओं को वैध ठहराने का उपबन्ध है।

भू-स्वामियों को अपनी सम्पत्ति के बारे में कुछ मूल-अधिकार प्राप्त हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक निर्णय है कि संविधान के भाग 3 के अन्तर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को संक्षिप्त करने के लिये सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। उक्त निर्णय को देखते हुए ऐसा लगता है कि उक्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध ठहराई गई अधिसूचनाओं को विधिमान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मेरा निवेदन है कि प्रथम तथा अन्तिम सूचना की बीच की समयावधि को कम किया जाये इस बारे में मैंने एक संशोधन दिया है जिसमें कहा गया है कि इस अवधि को छः महीने अथवा एक वर्ष किया जाये। हो सकता है कि आज किसी भू-खण्ड का मूल्य एक हजार रुपया हो परन्तु इसका मूल्य एक वर्ष पश्चात दस हजार भी हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार को लोगों को संविधान में प्राप्त अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह विधेयक को पास करने में शीघ्रता न करें क्योंकि इससे फिर से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

Shri Baswant (Bhiwandi) : A number of assurances are given to farmers before acquiring the land. But as soon as the land is acquired those assurances are not fulfilled. It results in lot of difficulties to the farmers whose land is given to the industrialists.

I can quote number of instances of my own constituency where assurances were given to the farmers before acquiring the land but the assurances were not fulfilled afterwards. Not to talk of the industrialists for whom the land is acquired the Government have not paid full compensation to the farmers.

Under the provisions of the Land Acquisition Act the farmers are suffering a lot. Assurances given by the Government in 1962 to protect the interest of the farmers have not yet been implemented. The Government should implement those assurances immediately. It should be made obligatory by law or the industrialists to make arrangements for the training and employment of the farmers whose land is acquired.

Shri Maharaj Singh Bharti (Meerut) : While formulating the plans for the expansion of the cities Government do not care much for the interests of the farmers whose fertile land is acquired. After years of labour the farmers made the land worth producing but then it is acquired by the Government Law and compensation is paid to the farmer's. Instead of allowing the expansion of the existing cities Government should allow the setting up of new cities on barren lands and not on fertile lands around the cities. The land near the cities is generally fertile and therefore it should not be acquired. Such a policy will be not only in the interest of the farmers but in the interest of whole nation.

इसके पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार, 6 अप्रैल, 1967/16 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 6, 1967/Chaitra 16, 1889 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—6-6-68—600.